खण्ड–497, अंक–3
बुधवार, 02 भाद्रपद, शक संवत् 1938
(24 अगस्त, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2016)

(खण्ड 497 में 7 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
प्रदेश में ध्वस्त कानून-व्यवस्था पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	9-10
प्रश्नोत्तर	10-77
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	77-78
जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय 200 आबादी वाले ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद आगरा मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत/लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अन्तर्गत राप्ती नदी के कटान से प्रभावित गांवों में बोल्डर पिचिंग व स्पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आई बाढ़ के कारण आम जन-जीवन अस्त-व्यवस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80-81
जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओलावृष्टि व बेमौसम बरसात से प्रभावित किसानों का मुआवजा शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत पंचम लाल की मृत्यु के पश्चात मृतक आश्रित पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौरी-चौरा में किसानों की राहत राशि एवं पूर्व से लम्बित पड़े मुआवजे को अविलम्ब दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद लखनऊ के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गीतापल्ली वार्ड में ईको पार्क के निर्माण में ध्वस्त भूमिगत नाला (साइफन) के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद प्रतापगढ़ की नगर प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महोबा की विधान सभा क्षेत्र महोबा में नई सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83-84
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	84
मोदी शुगर मिल के मालिक श्री उमेश मोदी के विरुद्ध मोदीनगर थाने में धारा-420 एवं 3/7 में दर्ज मुकदमें में उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	85
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-का0नि0-2-634/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश-(157)-2016, दिनांक 27 मई, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	85-86
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-का0नि0-2-773/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0अधि0-30-07 आदेश-(158)-2016, दिनांक 02 जून, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	86
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-का0नि0-2-774/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0अधि0-30-07 आदेश-(159)-2016, दिनांक 02 जून, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	86
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2016 (दिनांक 29-01-2016 से 08-03-2016 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	86
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2014 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	87
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2015 (उप0लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	87
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015-2016) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	87-88
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015-2016) का 11वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	88
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (वर्ष 2015-2016) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	88
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	88-90
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	90-95

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान सं0-2, लगायत 03, 05, 07, लगायत 11, 13 लगायत 18, 20 लगायत 26, 28, 31 लगायत 32, 34, 37 लगायत 52, 56 लगायत 60, 63, 65, 69 लगायत 77, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 92 तथा 94	95-96
अनुदान संख्या-02-आवास विभाग (स्वीकृत)	96
अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	96
अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत)... ...	96
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	96
अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	97
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	97
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	97
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)... ...	97
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	97
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	97
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	97
अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास) (स्वीकृत)...	97
अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	97
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	97
अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)... ...	98
अनुदान संख्या-21-खाद्य एवं रसद विभाग (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या-22-खेल विभाग (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	98
अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	98
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	98
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)... ...	98
अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)... ...	99

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	...	...	100
अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	100
अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	100
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	100
अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	...	100
अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन हेतु) (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार-साधन-सड़कें) (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)		...	101
अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत)	...	...	101
अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		...	101
अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) (स्वीकृत)		...	101
अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	101
अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	...	101
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	101
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	101
अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	101
अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) (स्वीकृत)	...	...	102
अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	...	...	102
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	...	...	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	102
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)... ...	103
अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	103
अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	103
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	103
उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित एवं पारित)	103-111
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित)	111-112
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	113-114
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित)	114-115
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	115-116
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियों एवं विधान सभा के पूर्व अध्यक्षों का दिनांक 29 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे सभा मण्डप में सम्मान समारोह उनके तैल चित्रों का अनावरण तथा भोज की सूचना	117
नत्थियां	118-134

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-348

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय, श्री — वाराणसी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान, हाजी — अम्बेडकरनगर
9. अताउररहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
36. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
37. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
38. *आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
39. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
43. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
44. आशीष यादव, श्री — बदायूं
45. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
46. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री — लखनऊ
47. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

---

* उप चुनाव में निर्वाचित।

48. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
54. उदयराज, श्री उन्नाव
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. *कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
62. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
63. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
64. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. किसमतिया, श्रीमती गाजीपुर
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
69. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
74. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
75. गजराज सिंह, श्री हापुड़
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
78. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
79. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
80. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
81. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
82. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
83. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
84. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
85. गोमती यादव, श्री लखनऊ
86. गोरख पासवान, श्री बलिया
87. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
88. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
89. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
90. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
91. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
92. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
93. जगपाल सिंह, श्री सहारनपुर
94. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
95. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
96. जफर आलम, श्री अलीगढ़
97. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
98. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
99. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
100. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
101. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
102. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
103. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
104. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
105. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी

* उप चुनाव में निर्वाचित।

107. तसलीम, श्री बिजनौर
108. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
109. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
110. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
111. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
112. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
113. दलजीत सिंह, श्री बांदा
114. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
115. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
116. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
117. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
118. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
119. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
123. धर्मराज, श्री बाराबंकी
124. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
125. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
126. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
127. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
130. नारद राय, श्री बलिया
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
133. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
134. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
135. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
136. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
137. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
138. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
139. पीतमराम, श्री पीलीभीत
140. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
143. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
144. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
145. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
146. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
147. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
148. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
149. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
150. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
151. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
152. फेरन लाल, श्री ललितपुर
153. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
154. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
155. बदलू खां, श्री उन्नाव
156. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
157. बाबू खां, श्री हरदोई
158. बाबूलाल, श्री गोण्डा
159. बावन सिंह, श्री गोण्डा
160. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
161. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
162. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
163. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
164. बैजनाथ, श्री मऊ
165. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
166. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली

167. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
168. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
169. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
170. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
171. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
172. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
173. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
174. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
175. मनबोध, श्री देवरिया
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीष रावत, श्री सीतापुर
178. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
182. महबूब अली, श्री अमरोहा
183. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
184. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
185. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
186. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
187. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
188. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
189. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
190. *माविया अली, श्री सहारनपुर
191. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
192. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
193. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
194. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
195. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
196. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
197. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
198. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
199. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
200. *मो0 फईम, श्री मुरादाबाद
201. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
202. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
203. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
204. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
205. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
206. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
207. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
208. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
209. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
210. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
211. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
212. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
213. रणजीत सुमन, श्री एटा
214. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
215. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
216. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
217. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
218. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
219. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
220. रवि शर्मा, श्री झांसी
221. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
222. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
223. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
224. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
225. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
226. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
227. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
228. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा

* उप चुनाव में निर्वाचित।

229. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
230. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
231. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
232. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
233. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
234. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
235. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
236. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
237. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
238. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
239. राधे श्याम, श्री अमेठी
240. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
241. राम करन आर्य, श्री बस्ती
242. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
243. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
244. राम गोविन्द, श्री बलिया
245. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
246. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
247. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
248. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
249. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
250. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
251. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
252. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
253. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
254. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
255. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
256. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
257. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
258. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
259. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
260. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
261. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
262. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
263. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
264. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
265. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
266. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
267. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
268. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
269. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
270. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
271. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
272. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
273. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
274. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
275. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
276. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
277. विजय सिंह, श्री रामपुर
278. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
279. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
280. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
281. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
282. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
283. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
284. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
285. वीरपाल राठी, श्री बागपत
286. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
287. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
288. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
289. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
290. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी

291. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
292. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
293. शाकिर अली, श्री देवरिया
294. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
295. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
296. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
297. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
298. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
299. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
300. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
301. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
302. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
303. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
304. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
305. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
306. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
307. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
308. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
309. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
310. संजय कपूर, श्री रामपुर
311. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
312. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
313. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
314. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
315. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
316. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
317. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
318. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
319. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
320. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
321. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
322. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
323. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
324. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
325. सियाराम सागर, डा0 बरेली
326. सीमा, श्रीमती जौनपुर
327. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
328. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
329. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
330. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
331. सुधाकर, श्री मऊ
332. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
333. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
334. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
335. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
336. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
337. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
338. सुरेश राणा, श्री शामली
339. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
340. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
341. सुल्तान बेग, श्री बरेली

342.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली	
343.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	
344.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
345.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
346.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
347.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
348.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व ही सदन के वेल में आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप लोग अपने-अपने आसन पर चलें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में खड़े होकर बैनर दिखाने लगे, नारेबाजी करने लगे और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विधान सभा की कार्यसूची फाड़कर फेंकी तथा कुछ सदस्य मा0 अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री गयाचरण दिनकर)-

मान्यवर, प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में और प्रदेश में हर वर्ग तथा हर तबके की महिलाओं और बेटियों के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के सम्बन्ध में मैंने नियम-311 के तहत नोटिस दिया है। मान्यवर, सभी मदों को स्थगित करते हुए चर्चा का अवसर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरा विधान भवन बैरीकेटिंग से घिरा हुआ है।

श्री गयाचरण दिनकर-

मान्यवर, मजदूर, किसान, व्यापारी और नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग परेशान हैं, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, कानून-व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मान्यवर, प्रदेश में हर जाति और वर्ग की महिलाओं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, कल भी हुआ, कल भी आप लोगों ने इतना किया, अब आपकी बात पहुंच गई। बाहर जहां आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है आप वहां जा ही नहीं रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है।

श्री गयाचरण दिनकर-

मान्यवर, बी0जे0पी0 के लोग प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं की चर्चा पर व्यवधान डालना चाहते हैं और चर्चा से पीछे हटना चाहते हैं। मान्यवर, 29 और 30 जुलाई की मध्य रात्रि को लगभग 5 घण्टे तक नोएडा का परिवार जो अपने मूल जनपद शाहजहांपुर में एक तेरहवीं संस्कार में शामिल

होने जा रहा था। कुछ अराजक तत्वों ने रास्ते में गाड़ी रोक करके पुरुषों को बन्धक बनाया और मां-बेटी के साथ लगभग 5 घण्टे तक बलात्कार बारी-बारी से किया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही को 12:20 बजे तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजबर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद फिरोजाबाद एवं एटा में 108 एम्बुलेन्स सेवा विलम्ब से पहुंचने पर हुई मृत्यु की जांच तथा प्रदेश में समयानुसार सेवा संचालित करने हेतु विशेष उपाय/प्राविधान की मांग

**01-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद एवं जनपद एटा में दिनांक 05-08-2016 से 07-08-2016 तक 108 एम्बुलेन्स सूचना दिये जाने के उपरान्त 4-5 घण्टे देरी से पहुंचने के कारण 3 रोगियों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार 108 एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत सूचना देने के बावजूद 4-5 घण्टे विलम्ब से एम्बुलेन्स पहुंचने के प्रकरण की गम्भीरतापूर्वक जांच कर प्रदेश भर में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने तथा समयानुसार सेवा संचालित कराने हेतु कोई विशेष उपाय/प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं। संदर्भित दिनांक 05.08.2016 से दिनांक 07.08.2016 तक जनपद फिरोजाबाद एवं जनपद एटा में 108 एम्बुलेंस सेवा से लाभान्वित रोगियों का विवरण संलग्न† है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त दिनांकों में 108 एम्बुलेंस सूचना दिये जाने के उपरान्त 4-5 घण्टे देरी से नहीं पहुंची है। उक्त वर्णित तिथियों में 108 एम्बुलेंस देर से पहुंचने के कारण किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

---

† छापी नहीं गयी।

नत्थी (ख)
तारांकित प्रश्न

ताज ट्रिपैजियम जोन (टी0टी0जेड0) को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन

*01-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपैजियम जोन (टी0टी0जैड0) में 24 घण्टे सुचारु विद्युत आपूर्ति करने के आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय के हैं ? यदि हां, तो मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत सरकार द्वारा टी0टी0जैड0 क्षेत्र के किसानों को 5 से 6 घण्टे की ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सरकार 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं, कभी-कभी लाइन में ब्रेक डाउन, अनुरक्षण अथवा विद्युत की अनुपलब्धता के कारण विद्युत कटौती करनी पड़ जाती है।

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर विद्युत आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जैनरिक दवाओं की बिक्री एवं प्रचार प्रसार हेतु मॉडल शाप की श्रंखला बनवाने की मांग

*02-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक ही साल्ट/फार्मूले के होने के बावजूद ब्रान्डेड दवायें जैनरिक दवाओं से कई गुना मंहगी होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निजी क्षेत्र में इलाज कराने वाले नागरिकों की सुविधा हेतु जैनरिक दवाओं की बिक्री एवं उसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश में मॉडल शापों की एक श्रृंखला बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में इलाज की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। सरकारी अस्पताल हेतु जेनेरिक दवाओं का ही दर अनुबन्ध किया जाता है। उक्त कारणों से निजी क्षेत्र में इलाज कराने वाले नागरिकों की सुविधा हेतु जेनेरिक दवाइयों की बिक्री एवं प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में मॉडल शॉपों की श्रंखला बनाने का वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विगत दो वर्षों में सहकारी/प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

*03-श्री सुरेश राणा तथा श्री नदीम जावेद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में प्रदेश की सहकारी/प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार ने गन्ना

किसानों का भुगतान दिलाने की कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 16-08-2016 तक की स्थिति के अनुसार प्रदेश की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2014-15 एवं 2015-16 के अन्तर्गत देय गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2014-15 के अन्तर्गत कुल रु0 55.19 करोड़ तथा पेराई सत्र 2015-16 के अन्तर्गत कुल रु0 2262.65 करोड़ बकाया है।

उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धी प्राविधान विद्यमान है, जिसके अनुसार किसानों को गन्ना मूल्य शीघ्र दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण करते हुए पेराई सत्र 2014-15 में ऐसी 15 चीनी मिलों, जिनका गन्ना मूल्य भुगतान अत्यन्त खराब था, के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये तथा 33 चीनी मिलों के विरुद्ध 52 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। इसी प्रकार पेराई सत्र 2015-16 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करने के कारण चीनी मिलों को नोटिसें निर्गत की गयी हैं तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी चीनी मिलों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कई निर्देश भी दिये गये हैं। इसी क्रम में गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करने एवं गन्ना मूल्य की धनराशि को अन्य मदों में व्यावर्तित करने के कारण सम्बन्धित निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के विरुद्ध 29 एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2011 से 23-11-15 तक घाटे में चल रही गन्ना समितियों को घाटे से उबारने हेतु कार्य योजना बनाने की मांग

*04-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों से सम्बन्धित कुल कितनी गन्ना समितियां हैं एवं उनमें से कितनी लाभ में हैं एवं कितनी घाटे में चल रही हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2011 से दिनांक 23-11-2015 तक कितनी गन्ना समितियों को घाटे से उबारा जा सका है ? घाटे में चल रही गन्ना समितियों को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने कोई कार्य-योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्बन्धित कुल 169 सहकारी गन्ना विकास समितियां पंजीकृत एवं कार्यरत हैं, जिनमें से 117 सहकारी गन्ना समितियां सकल लाभ में और 51 गन्ना समितियां सकल हानि में चल रही हैं तथा 01 गन्ना समिति नवसृजित है, जिसका गठन दिनांक 30-03-2016 को हुआ है।

वर्ष 2011 से दिनांक 23-11-2015 तक प्रदेश की 03 सहकारी गन्ना विकास समितियां यथा-सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, ऐशबाग, लखनऊ, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, चन्दौसी, सम्भल तथा सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बभनान, बस्ती को घाटे से उबारा जा सका है तथा 14 गन्ना विकास समितियों में वर्ष 2011 के सापेक्ष वर्ष 2015 में उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है।

प्रदेश में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत एवं कार्यरत सहकारी गन्ना विकास समितियां स्ववित्त-पोषित व स्वायत्तशासी सहकारी संस्था के रूप में कार्य करती हैं तथा समितियों को अपने प्रबन्धकीय व्ययों का वहन अपनी आय के स्रोतों से करना होता है। सहकारी गन्ना विकास समितियों को घाटे से उबारने हेतु समितियों की कृषकों पर अवशेष ऋण की वसूली सुनिश्चित करने, उर्वरक व्यवसाय को बढ़ावा देकर अतिरिक्त आय प्राप्त करने, कृषकों पर गन्ना समितियों के पुराने बकाये की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू करने, सहकारी गन्ना विकास समितियों पर गन्ना संघ के बकाये की वसूली के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान लागू करने के साथ समितियों के मानव संसाधन का समुचित उपयोग कर समितियों के प्रबन्ध व्यय में सुधार लाये जाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु बजटीय मितव्ययता के साथ ही बजट नियंत्रण की नियमित समीक्षा की जा रही है, जिससे इनकी वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति एवं मांग के अन्तर को कम करने हेतु कार्य योजना बनाने एवं कैलेण्डर वर्ष 2015 एवं 2016 में विद्युत आपूर्ति के विवरण की जानकारी

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मांग के सापेक्ष वर्तमान में विभिन्न सरकारी यूनिटों से विद्युत का कितना-कितना उत्पादन हो रहा है ? क्या सरकार की मांग व आपूर्ति के इस अन्तर को कम करने की कोई योजना है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के लिए जो विद्युत निजी क्षेत्रों से खरीद रही है वह किस दर से खरीदी गयी है तथा कैलेण्डर वर्ष 2015 व 2016 में अब तक कितनी-कितनी विद्युत कहां से किससे कितने रुपये की खरीदी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

<u>उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0</u>

वर्तमान में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन विभिन्न इकाईयों से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नवत् विद्युत उत्पादन हो रहा है।

विद्युत गृह का नाम	इकाई संख्या एवं क्षमता (मे0वा0)	विद्युत उत्पादन वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जुलाई, 2016 तक		विद्युत उत्पादन वर्तमान माह में 15 अगस्त, 2016 तक	
		मि0यू0	औसत (मे0वा0)	मि0यू0	औसत (मे0वा0)
1	2	3	4	5	6
अनपरा	1 (210)	390.939	134	55.313	154
	2 (210)	520.484	178	25.513	71
	3 (210)	494.41	169	51.05	142

1	2	3	4	5	6
अनपरा	4 (500)	1412.48	482	127.955	355
	5 (500)	1386.13	473	157.095	436
	6 (500) सी0ओ0डी0 दिनांक 08-05-16	361.32	177	0	0
ओबरा	1 (50)	44.806	15	2.536	7
	2 (50)	34.622	12	0	0
	7 (94)	आर0 एण्ड एम0 हेतु बन्द			
	8 (94)	डिलीशन हेतु बन्द			
	9 (200)	482.28	165	56.029	156
	10 (200)	217.992	74	0	0
	11 (200)	आर0 एण्ड एम0 हेतु बन्द			
	12 (200)	284.172	97	35.433	98
	13 (200)	295.469	101	6.863	19
पनकी	3 (105)	169.87	58	22.732	63
	4 (105)	158.575	54	28.416	79
हरदुआगंज	5 (60)	उत्पादन हेतु आरक्षित			
	7 (105)	294.542	101	37.583	104
	8 (250)	710.924	243	86.429	240
	9 (250)	666.834	228	86.523	240
पारीछा	1 (110)	107.32	37	आर0 एण्ड एम0 हेतु बन्द	
	2 (110)	254.633	87	30.6	85
	3 (210)	559.75	191	73.855	205
	4 (210)	576.49	197	72.601	202
	5 (250)	696.747	238	78.91	219
	6 (250)	693.051	237	84.74	235
कुल उत्पादन	**5433**	**10813.841**	**3747**	**1120.706**	**3112**

उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0-

वर्तमान में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अधीन स्थित जल विद्युत गृहों की विभिन्न इकाइयों से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नवत् विद्युत उत्पादन हो रहा है :--

विद्युत गृह का नाम	इकाई संख्या एवं क्षमता (मे0वा0)	विद्युत उत्पादन वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जुलाई, 2016 तक		विद्युत उत्पादन वर्तमान माह में 21 अगस्त, 2016 तक	
		मि0यू0	औसत (मे0वा0)	मि0यू0	औसत (मे0वा0)
रिहन्द पिपरी	3 (50)	27.456	9.38		
	4 (50)	20.769	7.09	21.07	41.8
	5 (50)	19.239	6.57		
	1 (50)				
	2 (50)	आर0 एण्ड एम0 कार्यों हेतु बन्द			
	6 (50)				
ओबरा (जलीय)	1 (33)	13.076	4.46		
	2 (33)	8.414	2.87	12.88	25.55
	3 (33)	7.255	2.48		
खारा	1 (24)	9.091	3.1		
	2 (24)	43.846	14.97	29.39	58.31
	3 (24)	41.192	14.07		
माताटीला	1 (10.2)	4.771	1.63		
	2 (10.2)	4.628	1.58	9.5	18.85
	3 (10.2)	4.518	1.54		
निरगाजनी	5 मे0वा0	2.098	716.53 कि0वा0		
चित्तौडा	3 मे0वा0	1.89	645.49 कि0वा0		
सलावा	3 मे0वा0	1.809	617.83 कि0वा0	1.12	2222 कि0वा0
भोला	1.2 मे0वा0	0.999	341.88 कि0वा0		
बेल्का	3 मे0वा0	0.569	194.33 कि0वा0		456.35 कि0वा0
बबैल	3 मे0वा0	0.13	44.4 कि0वा0	0.23	
शीतला	3.6 मे0वा0	0.2	68.31 कि0वा0	0.24	476.19 कि0वा0

प्रदेश में मांग व आपूर्ति के इस अन्तर को कम करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत राज्य/संयुक्त क्षेत्र में कई विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन/प्रस्तावित हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :--

(अ) राज्य क्षेत्र :--

पूर्ण की नई परियोजना-

1-2x500 अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना इकाई सं0 6 की सीओडी (कामर्शियल आपरेशन डेट) दिनांक 08-05-2016 को घोषित की गयी है। इकाई सं0 7 की सीओडी सितम्बर, 2016 तक सम्भावित है।

<u>निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं-</u>

1-1x660 हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना-

दिनांक 08-09-2015 को कार्यादेश निर्गत कर दिये गये हैं। इकाई से सितम्बर, 2019 तक उत्पादन प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।

2-2x660 मेजा तापीय विद्युत परियोजना (स्टेज-1)

(उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम)-

परियोजना की प्रथम इकाई से जून, 2017 एवं द्वितीय इकाई से अक्टूबर, 2017 से उत्पादन प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।

<u>अन्य प्रस्तावित परियोजनाएं-</u>

1-2x660 ओबरा 'सी' तापीय विद्युत परियोजना

2-2x660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना

3-1x660 पनकी तापीय विद्युत परियोजना

4-3x660 घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना

मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में जून, 2016 तक निजी क्षेत्र के स्रोतों से रु0 3.73 प्रति यूनिट की आगणित समेकित दर से विद्युत खरीदी गयी है।

कैलेन्डर वर्ष 2015 व 2016 में अद्यतन उपलब्ध आंकडो के अनुसार खरीदी गयी विद्युत की मात्रा एवं संगत धनराशि की सूचना निम्नवत् है :--

संगठन/परियोजना	कलेन्डर वर्ष 2015 (जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक)		कलेन्डर वर्ष 2016 (जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक)	
	कुल विद्युत (मि0यू0 में)	कुल रु0 (करोड़ में)	कुल विद्युत (मि0यू0 में)	कुल रु0 (करोड़ में)
1	2	3	4	5
यू0पी0आर0वी0यू0एन0एल0	24097.74	8874.01	13291.05	5231.97
यू0पी0जे0वी0एन0एल0	879.01	58.84	246.66	17.41
आई0पी0पी0	23860.31	9784.60	14004.65	5466.98
कोजनरेटर्स	2941.81	1421.48	1846.31	918.48

1	2	3	4	5
सोलर	50.89	52.64	76.56	72.35
माइक्रो हाइडिल	4.07	0.92	1.41	0.32
सी0पी0पी0	152.15	71.18	85.29	40.14
एन0पी0सी0आई0एल0	2545.50	742.65	1353.81	394.71
एन0एच0पी0सी0	3697.64	1284.00	1639.20	584.90
एन0टी0पी0सी0	27462.90	8726.86	13397.63	4139.73
टी0एच0डी0सी0	1867.77	1000.12	612.44	343.71
एन0वी0वी0एन0	528.21	257.56	358.92	165.65
नाथपा झाकरी (एस0जे0वी0एन0एल0)	1721.29	516.45	712.11	234.72
ताला (पी0टी0सी0)	141.77	29.60	23.12	4.67
बाईलेटरल एग्रीमेन्ट/एनर्जी एक्सचेन्ज (ओपन एक्सेस)	1822.03	712.40	1253.51	431.40

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के क्षतिग्रस्त राजमार्गों एवं अन्य जिला मार्गों को गड्ढ़ामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 2016-2017 में आवंटित बजट एवं शेष क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त कराने की मांग

*06-श्री सतीश महाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गों को गड्ढामुक्त करने की सरकार की नीति क्या है ? इसके लिए वर्ष 2016-17 में कितने धन का प्राविधान किया गया है तथा अब तक कितनी सड़कें गड्ढामुक्त हो चुकी हैं एवं कितनी शेष हैं ? क्या सरकार शेष सड़कों को गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, परती भूमि विकास राजस्व, आभाव एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

प्रदेश के राज्यमार्गों तथा प्रमुख जिला मार्गों को गड्ढायुक्त रखने हेतु प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के समस्त श्रेणी के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण हेतु लेखाशीर्षक 3054 राज्य सड़क निधि मद में रु0 1500 करोड़ तथा अनुरक्षण मद के अन्तर्गत कुल रु0 600 करोड़ का बजटीय प्राविधान है। राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों का अनुरक्षण एवं गड्ढामुक्ति का कार्य इसी मद के अन्तर्गत किया जाता है।

जून माह के अन्त तक प्रदेश के कुल 490.97 कि0मी0 लम्बाई के राज्य मार्गों तथा 904.48 कि0मी0 लम्बाई में प्रमुख जिला मार्गों को गड्ढामुक्त कराया जा चुका है तथा शेष 87.90 कि0मी0 लम्बाई के राज्य मार्गों तथा 125.83 कि0मी0 लम्बाई के प्रमुख जिला मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

अवशेष मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रीन यू0पी0 क्लीन यू0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-2016 में आवंटित धन के विवरण की जानकारी

*07-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रीन यू0पी0 क्लीन यू0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में दिनांक 31 जुलाई, 2016 तक प्रदेश में कितना वृक्षारोपण किया गया तथा पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री गार्ड तथा पानी की भी व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

उत्तर प्रदेश में ग्रीन यू0पी0 क्लीन यू0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में 31 जुलाई, 2016 तक वन विभाग तथा अन्य राजकीय विभागों द्वारा किये गये वृक्षारोपण के सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार हैं :--

वित्तीय वर्ष	विभाग का नाम	रोपित पौधों की संख्या (करोड़ में)	व्यय की गयी धनराशि (रु0 लाख में)
2015-16	वन विभाग	3.83	29422.99
	अन्य विभाग	1.91	
	योग-	5.74	
2016-17	वन विभाग	5.05	29818.73
	अन्य विभाग	0.41	
	योग-	5.46	

रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार ट्री गार्ड, तारबाड़, सुरक्षा खाई आदि की व्यवस्था की गयी है। सिंचाई हेतु विभिन्न प्रकार के साधनों की व्यवस्था है।

वर्ष 2015-16 में रु0 29422.99 लाख एवं वर्ष 2016-17 में रु0 29818.73 लाख की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गुजरात, नागालैण्ड, मिजोरम एवं बिहार आदि प्रदेशों की भांति शराब बन्दी लागू करने हेतु कानून बनाने की मांग

*08-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मृत्यु के नियंत्रण के लिये गुजरात, नागालैण्ड, मिजोरम, बिहार आदि प्रदेशों की भांति प्रदेश में भी शराब बन्दी कानून लागू करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत राज्य को मदिरा के उत्पादन, वितरण एवं विनियमन का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा मदिरा व्यापार के अनन्य विशेषाधिकार को अनुज्ञापी के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाता है, जिसके बदले में राज्य सरकार को प्रतिफल शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है। प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य की जनकल्याण एवं विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है। शराब के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने से अवैध मद्यनिष्कर्षण एवं अवैध मदिरा के व्यापार को परोक्ष रूप से प्रश्रय मिलेगा तथा जन सामान्य अवैध स्रोतों से क्रय कर मदिरा का सेवन करने के लिये दुष्प्रेरित होगा जो जनस्वास्थ के सर्वथा प्रतिकूल होगा तथा इससे व्यापक जनहानि की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः व्यापक राजस्वहित एवं जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में शराब बन्दी लागू किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतारांकित प्रश्न

01-श्री सतीश महाना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु मार्च, 2016 से 15 जुलाई, 2016 तक की गई विद्युत आपूर्ति की जानकारी

02-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के कृषि कार्य को देखते हुए माह मार्च, 2016 से 15 जुलाई, 2016 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानकानुसार कितने घंटे विद्युत आपूर्ति किया जाना था तथा उसके सापेक्ष कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की गयी है ? क्या सरकार इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष माह मार्च, 16 में 13:38 घण्टे, माह अप्रैल, 16 में 14:47 घण्टे, माह मई, 16 में 14:43 घण्टे, माह जून, 16 में 14:29 घण्टे एवं माह जुलाई, 16 में 15:26 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी।

जी हां, विवरण मा0 सदन के पटल पर अवलोकनार्थ रक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में फुंके ट्रांसफार्मर के बदलने में की गई लापरवाही में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रकरण

03-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के गांव उमरपुर, मण्डी भास्कर में ट्रांसफार्मर फुंक जाने के बाद 15-15 दिन तक विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर न बदले जाने की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो सरकार फुंके ट्रांसफार्मरों को बदलवाने तथा लापरवाही बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शामली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में निर्धारित अवधि (72 घण्टे) में ट्रांन्सफार्मर बदले जा रहे है। ग्राम उमरपुर में दिनांक 20-07-2016 को फुंके ट्रान्सफार्मर को दिनांक 20-07-2016 को तथा मण्डी भास्कर में दिनांक 22-07-2016 को फुंके ट्रान्सफार्मर को दिनांक 25-07-2016 को बदल दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है, तो लापरवाही बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जनपद महाराजगंज में गण्डक नहर प्रणाली की संखुई मदनपुरा माइनर में किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजा का भुगतान

04-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

द्वितीय सत्र 2015 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न-158 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आख्या उपलब्ध हो गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त आख्या के क्रम में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों के बकाया मुआवजे के भुगतान हेतु शासन के पत्र दिनांक 24-07-2015 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग की स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में कृषकों के बकाया मुआवजे के भुगतान हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से भू-दर पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए कृषकों से सहमति पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अवशेष मुआवजे के भुगतान हेतु धनावंटन का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर परीक्षणाधीन है। शासन को प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम जमुही की नई बस्ती में विद्युतीकरण

05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य ग्रामवासियों का दिनांक 08-07-2016 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा हुआ पत्र, जो शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम जमुही की एक नई बस्ती में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम जमुही का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में करा दिया गया है तथा ग्राम जमुही की नई बस्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

फेस-2 में चयनित नहीं है। किसी अन्य योजना में चयनित होने पर जमुही नई बस्ती का विद्युतीकरण करवा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय मोहल्लों में विद्युत केबिल हेतु लगे लकड़ी के खम्भों के स्थान पर सामान्य लोहे या सीमेन्ट के खम्भे लगवाने विषयक

06-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में जिन मोहल्लों में अभी भी लकड़ी के खम्भों पर विद्युत केबिल हैं, में क्या सरकार जनहित में दुर्घटना की आशंका को समाप्त करने के उद्देश्य से लकड़ी के खम्भों को हटाकर सामान्य लोहे या सीमेण्ट के खम्भों को लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

मार्च, 2017 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में कतिपय स्थानों एवं राजवाहों पर विगत 5 वर्षों में व्यय एवं उनके अनुरक्षण की जानकारी

07-श्री दलवीर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में महेशपुर, जीवनगढ़, मण्डलायुक्त कार्यालय क्वार्सी चौराहा एटा चुंगी, माली नगला के पास से गुजरने वाले कोल राजवाहा पर विगत 5 वर्षों में अनुरक्षण कार्य पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त राजवाहा का बीच-बीच में अस्तित्व समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजवाहा का अनुरक्षण कार्य व मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अलीगढ़ के महेशपुर, जीवलगढ़, मण्डलायुक्त कार्यालय क्वार्सी चौराहा एटा चुंगी, माली नगला परिक्षेत्र में अवस्थित कौल राजवाहा के कि0मी0 37.600 से 45.350 में विगत 5 वर्षों में कोई व्यय नहीं किया गया है।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस लम्बाई में राजवाहा शहरी क्षेत्र में आने के फलस्वरूप सिंचाई हेतु उपयोगी नहीं रहा।

जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ ड्रेन के 38 कि0मी0 से 121 कि0मी0 तक आंतरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना परियोजना

08-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2015 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ ड्रेन के किमी0 38

से किमी0 121 तक आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना की परियोजना स्वीकृत कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

परियोजना अभी परीक्षणाधीन है।

परियोजना के साध्य पाये जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में ओगर ग्वालरा मार्ग को लोक निर्माण विभाग के व्यापार विकास निधि से निर्मित कराये जाने की जानकारी

09-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में ओगर ग्वालरा मार्ग को लोक निर्माण विभाग के व्यापार विकास निधि से निर्मित कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0-10616109/2015, दिनांक 04-05-2015 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है एवं इसकी लम्बाई 3.60 कि0मी0 है। वर्तमान में यह खडण्जा स्तर तक निर्मित है। प्रश्नगत आगणन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ की ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

10-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ की ग्राम पंचायत वियावल के अन्तर्गत आने वाले मजरे काशीनाथ का पुरवा, जमना का डेरा, चन्देलपुर, मेडिया का डेरा में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां , तो क्या सरकार जनहित में उक्त मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ की ग्राम पंचायत वियावल के अन्तर्गत आने वाले मजरे काशीनाथ का पुरवा, जमना का डेरा, चन्देलपुर, मेडिया का डेरा का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का प्राविधान है एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर, 2016 तक करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की जलालाबाद रोड पर साउथ सिटी कालोनी के कच्चे नाले की सफाई कराकर जल निकासी की व्यवस्था

11-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की जलालाबाद रोड पर साउथ सिटी कालोनी के पास जल निकासी हेतु स्थित कच्चा नाला के दक्षिणी छोर पर असामाजिक तत्वों द्वारा नाला पाट दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैधानिक रूप से पाटे गये उक्त नाले की जल निकासी हेतु उसे खुलवाये जाने की व्यवस्था करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद मार्ग (लिपुलेक भिण्ड मार्ग एस0एच0-29 का भाग) पर स्थित साउथ सिटी कालोनी के पास दक्षिण की ओर असामाजिक तत्वों द्वारा पाटे गये कच्चे नाले (लगभग 100 मी0 लम्बाई में पूर्व निर्मित पुलिया तक) की सफाई कराकर वर्तमान में जल निकासी की व्यवस्था करा दी गई है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में हाट मिक्स प्लाण्ट द्वारा प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर मरम्मत हेतु चयनित चार मार्गों की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 08-03-2016 को मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में की गयी घोषणा के अनुरूप 8 किमी0 सड़क हॉट मिक्स प्लाण्ट से मरम्मत हेतु प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर कौन-कौन से मार्ग चयनित किये गये हैं तथा इन मार्गों की लम्बाई कितनी है तथा इसका इस्टीमेट कितने का है एवं इनका कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर मरम्मत हेतु चार मार्गों का चयन किया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत धनराशि (धनराशि रुपये लाख में)
1	निगोही मार्ग से टिकरी सम्पर्क मार्ग	2.00	23.49
2	लक्ष्मीपुर सिमरिया सम्पर्क मार्ग	1.50	17.52
3	निगोही मार्ग से भटेला सम्पर्क मार्ग	2.80	32.31
4	जमुही सम्पर्क मार्ग	0.50	6.68

प्रमुख अभियन्ता (यातायात वर्ग) लखनऊ के आदेश दिनांक 01-06-2016 द्वारा उपर्युक्त चारों मार्गों हेतु कुल रु0 80 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल को विभाजित कर नगर पंचायत हरदुआगंज को नयी तहसील बनाये जाने की जानकारी

13-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ की तहसील कोल में लगभग 400 गांव तथा पूरा शहर सम्मिलित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से इस तहसील पर कार्य की अति व्यस्तता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशासनिक दृष्टि से तहसील कोल को विभाजित कर नगर पंचायत हरदुआगंज को नयी तहसील बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, तहसील कोल में कुल 393 गांव एवं पूरा शहर सम्मिलित है। इसमें कुल 91 लेखपाल क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इस तहसील पर कार्य की अति व्यस्तता अवश्य रहती है, परन्तु कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

जी नहीं।

तहसील सृजन हेतु निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण।

जनपद अलीगढ़ की चीनी मिल की क्षमता वृद्धि किये जाने का प्रकरण

14-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10232978/2013, दिनांक 11-03-2013 जो जनपद अलीगढ़ के साथ चीनी मिल की क्षमता वृद्धि विषयक है पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र पर विचार किया गया और पाया गया कि किसान सहकारी चीनी मिल साथा जनपद अलीगढ़ को अपनी स्थापित क्षमता 1250 टी0सी0डी0 के अनुरूप आवश्यक गन्ना लगभग 20 लाख कुन्टल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं। विगत 10 वर्षो के दौरान इस मिल को कभी भी आवश्यकता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध नहीं हो पाया। वर्तमान क्षमता के अनुरूप गन्ना की उपलब्धता न होने के कारण क्षमता विस्तार औचित्यपूर्ण नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चीनी मिल की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है तथा चीनी मिल रु0 29,256.15 लाख की संकलित हानि में है। खराब वित्तीय स्थिति एवं क्षमता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत इस मिल को 2500 टी0सी0डी0 तक विस्तारीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन को चलाने हेतु रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती

15-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला अस्पताल, अलीगढ़ में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 22-08-2016 द्वारा रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद अलीगढ़ महानगर में नियोजन विभाग द्वारा महायोजना तैयार करने की जानकारी

16-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अलीगढ़ महानगर में बढ़ती आबादी के घनत्व के दृष्टिगत अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित आर0 जोन (रिहायशी क्षेत्र) को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, अलीगढ़ महायोजना-2021 से 2041 को तैयार करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है जिसमें समस्त भू-उपयोगों सहित आवासीय जोन को भी पुनरीक्षित करने की कार्यवाही की जा रही है।

अलीगढ़ महायोजना 2021-2041 का मानचित्र नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा तैयार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाये जाने की जानकारी

17-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में बक्शीबांध एलनगंज रेलवे क्रासिंग तथा एम0एन0आई0टी0 (पूरा गड़ेरिया) रेलवे क्रासिंग पर आवागमन को सुगम बनाने हेतु आर0ओ0बी0 (फ्लाई ओवर ब्रिज) निर्माण कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इलाहाबाद में बक्शीबांध एलनगंज रेलवे क्रासिंग तथा एम0एन0आई0टी0 (पूरा गड़ेरिया) रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण भूमि की उपलब्धता, रेलवे एवं सेना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0)/अनुमति तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के राजकीय आस्थान की भूमि तथा नजूल भूमि पर कब्जाधारियों को ही मालिकाना हक दिये जाने की मांग

18-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में राजकीय आस्थान की भूमि तथा नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों के प्रकरण में शासन के (आवास विभाग) 353/1 बेली उपरहार की काश्तकारी भूमि को नजूल मानते हुए बिना कोई पैसा लिये हुए मालिकाना, बेचने, बांटने (विभाजन) का

हक कब्जाधारी को प्रदान कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उस पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ले-आउट प्लान पास कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-5542/8-नजूल-303एन/82, दिनांक 31-12-1982, शासनादेश संख्या-2683/9-आ-4-2001-295एन/2001, दिनांक 22-10-2001 एवं शासनादेश संख्या-7/2365/8-4-14-64एन/14, दिनांक 11-12-2014 के अनुसार आराजी 353/1, बेली उपरहार इलाहाबाद पर भू-धारक का आधिपत्य आकुपेन्सी टेनेन्सी व पट्टा दमामी के रूप में हैं। प्रश्नगत भू-खण्ड पर हस्तान्तरण एवं विभाजन सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध विधिक दृष्टिकोण से लागू नहीं किया जा सकता और भू-खण्ड पर निर्माण कार्य का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रश्नगत भू-खण्ड पर निर्माण कार्य के लिए किसी अधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु निर्माण कार्य हेतु प्राधिकरण के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उपरोक्त शासनादेश के क्रम में श्री बद्री विशाल टण्डन एवं श्री गिरीश टण्डन के पूर्व स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र दिनांक 28-08-2000 के प्रस्तावना में आंशिक संशोधन हेतु दाखिल मानचित्र का परीक्षण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तकनीकी मानको पर कराते हुए स्वीकृति योग्य पाये जाने पर पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन की सहमति दिनांक 15-06-2016 को प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद इलाहाबाद की भू-खण्ड संख्या 353/1 बेली उपरहार की नजूल भूमि को कब्जाधारियों को ही दिये जाने की मांग

19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों में ऐसे भूमि को नजूल मानते हुए कब्जाधारकों (इलाहाबाद 353/1 बेली उपरहार) को बिना शासन को कोई पैसा दिये मालिकाना, बेचने, विभाजन तथा जिलाधिकारी के अनुमति के बिना निर्माण कराने का हक प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों के प्रकरणों में भूमि को नजूल मानते हुए कब्जाधारकों (इलाहाबाद भू-खण्ड संख्या-353/1 बेली उपरहार) को बिना शासन को कोई पैसा दिये मालिकाना बेचने, विभाजन तथा जिलाधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण कराने का कोई हक राजस्व विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद इलाहाबाद में दोहरी प्रविष्टियों के प्रकरणों के निराकरण हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 को पूरे मामले की जांच/परीक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण के परीक्षण/जांच की कार्यवाही अभी प्रचलित है।

जनपद बरेली नगर की यातायात समस्या को मद्देनजर रखते हुए उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

20-डा0 अरुण कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली नगर में बढ़ती हुई यातायात समस्या को दूर करने के लिए शहर के उत्तरी भाग को शहर के प्रमुख दक्षिणी भाग से जोड़ने वाली शहामतगंज की सड़क के ऊपर थाना बारादी से बरेली कालेज तक यातायात को सुगम बनाने हेतु क्या सरकार एक उपरिगामी ब्रिज बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उपरिगामी सेतु के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-131/2016/03आ0/23-10-16-02सेतु/2016, दिनांक 22-07-16 द्वारा लम्बाई 998.27 मी0 लागत रु0 3030.00 लाख की प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत कार्य को माह सितम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड खन्दौली के ग्राम व मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

21-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अविद्युतीकृत एवं आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों तथा 100 से अधिक आबादी वाले मजरों में विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में आर0जी0जी0वी0आई (12वीं योजना) तथा उक्त योजनान्तर्गत होने वाले सभी कार्य दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किये जाने हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त योजना के अन्तर्गत एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड खंदौली एवं एत्मादपुर के किसी भी ग्राम व मजरे में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विकास खण्डों के ग्राम व मजरों में उक्त योजना के अन्तर्गत सभी कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-खन्दौली एवं एत्मादपुर के 30 ग्रामों के 79 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा इनमें लगभग 2800 खम्भे खड़े हो चुके हैं।

सभी कार्य निर्धारित लक्ष्य दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

22-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में गंभीर रूप से घायल रोगियों की समुचित जांच के लिए आवश्यक सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध न

होने के कारण रोगियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में सी0टी0 स्कैन तथा एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। प्रदेश के 18 मण्डलीय जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन स्थापित एवं क्रियाशील हैं (आवश्यकतानुसार गम्भीर रूप से घायल रोगियों को रेफर किया जाता है) तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद फिरोजाबाद में शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पांच-6-15-76(जी)/15, दिनांक 31-08-2015 द्वारा ट्रामा सेन्टर में सीटी स्कैन मशीन स्वीकृत की गयी है। स्थापना हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। एम0आर0आई0 मशीन सम्प्रति स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी के किनारे स्थित धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने की मांग

23-श्री मनीष असीजा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी के किनारे स्थित अत्यन्त प्राचीन एवं धार्मिक महत्व वाले जैन मंदिर, हनुमान मंदिर एवं सूफी साहब की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष बहुत बढ़ी संख्या में नागरिक मेलों के रूप में एकत्रित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन धर्मस्थलों के आस-पास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु यमुना के किनारों का पक्का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

वर्तमान में प्रश्नगत स्थलों पर कोई योजना पर्यटन विभाग, उ0प्र0 में विचाराधीन नहीं है। पूर्व वर्षों में हनुमान मन्दिर के निकट बह रही यमुना नदी पर घाट का निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 की राज्य योजनान्तर्गत कराया गया है तथा सूफी साहब की दरगाह पर व चन्द्रवार स्थित दिगम्बर जैन मन्दिर के पर्यटन विकास के अन्तर्गत भी अवस्थापना सम्बन्धी कार्य कराये गये है।

जनपद फिरोजाबाद में 400 के0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी जिला अधिकारी, फिरोजाबाद का ऊर्जा सविव, उत्तर प्रदेश को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में 400 के0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी जिला अधिकारी, फिरोजाबाद का ऊर्जा सचिव, उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र संख्या 603/भूमि व्यवस्था-5 पुनर्ग्रहण दिनांक 29-12-2015 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकेन्द्र स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पक्ष में अंतरण की कार्यवाही गतिशील है। भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त होने एवं वित्त पोषण सुनिश्चित होने के उपरान्त लगभग 30 माह में उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण होना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद के किनारे बहने वाली यमुना नदी में वर्षा ऋतु के समय जल संचय का भू-गर्भ जलस्तर बढ़ाने की कार्य योजना की जानकारी

25-श्री मनीष असीजा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद के किनारे बहने वाली यमुना नदी में वर्षा ऋतु के समय बढ़ने वाले जलस्तर को इसके सटे हुये खादरों/दर्रों/रिवाइन्स में जल संचय कर इन क्षेत्रों का भू-गर्भ जलस्तर बढ़ाने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के सिद्धार्थनगर (परतापुर) जोगीनवाद, मठलक्ष्मीपुर आदि क्षेत्रों में विद्युत तारों को बदलवाने तथा नये ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग

26-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 124 बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के सिद्धार्थनगर (परतापुर) जोगीनवादा, मठलक्ष्मीपुर आदि क्षेत्रों में रूरल फीडर से वैध विद्युत कनेक्शन धारकों को टूटे तथा जर्जर तारों से आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में विद्युत तारों को बदलवायेगी तथा नये ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

सिद्धार्थनगर में 3.81 कि0मी0 तथा मठलक्ष्मीपुर में 2.08 कि0मी0 जर्जर तार बदला गया है तथा परतापुर में पूर्व में तार बदला जा चुका है। 250 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि दिनांक 17-02-2016 में की जा चुकी है। जोगीनवादा में एक नया 250 के0वी0ए0 उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य दिनांक 30-09-2016 तक पूर्ण कर दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश के महानगरों में मानक के अनुसार विद्युत कटौती की जानकारी तथा विद्युत कटौती मुक्त करने सम्बन्धी सरकार की कार्य योजना की जानकारी

27-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में मानक के अनुसार कितने घंटे विद्युत कटौती की जा रही है ? क्या इनको विद्युत कटौती मुक्त करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ शहरों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने का रोस्टर का मानक निर्धारित है।

शेष मण्डल मुख्यालयों पर 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने का रोस्टर का मानक निर्धारित है। ब्रेक डाउन, शट डाउन तथा ऊर्जा की उपलब्धता न होने पर ग्रिड के कारण इसमें कुछ व्यवधान संभव है।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा तथा ब्रेक डाउन एवं शट डाउन के परिप्रेक्ष्य में कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर विद्युत आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 135-शाहजहांपुर के कतिपय क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने का प्रकरण

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 135-शाहजहांपुर के वि0ख0 ददरौल के ग्राम घूरखेड़ा यादव गौटिया ग्राम सभा में बिजली के खम्भे लगने के बाद अभी तक केबिल नहीं खींचा गया है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि विकास खण्ड भावलखेड़ा, जि0 शाहजहांपुर के ग्राम मऊ खालसा में तथा असेवित बस्ती जमुही ग्राम में अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु खम्भे व केबिल लगाने तथा विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 135-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-ददरौल ग्राम-घूरखेड़ा यादव गौटिया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-द्वितीय चरण में चयनित नहीं है। उक्त ग्राम में पुराने खम्भे खड़े है। किसी योजना में चयनित होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

ब्लाक-भावलखेड़ा के ग्राम-मऊ खालसा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित है। जिसमें अत्याधिक वर्षा के कारण पुल क्षतिग्रस्त है इसलिए गांव के विद्युतीकरण का सामान नहीं पहुंच पा रहा हैं। पुल सही होने के बाद कार्य करा दिया जायेगा। ब्लाक-भावलखेड़ा के ग्राम-असंवित बस्ती जमुही, ग्राम-घूरखेड़ा यादव गौटिया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-द्वितीय में चयनित नहीं है। अन्य किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

उक्त दोनों ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-द्वितीय चरण में चयनित नहीं है। अन्य किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में रेल उपरिगामी पुल कठपुला काफी पुराना होने के कारण नये पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

29-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ शहर में रेल उपरिगामी पुल कठपुला काफी पुराना होने के कारण कभी भी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नये पुल का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अलीगढ़ शहर में रेल उपरगामी पुल कठपुला, रेलवे विभाग द्वारा निर्मित है एवं इसका स्वामित्व रेलवे विभाग का है। वर्तमान में इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी कार्यालय संत रवि दास नगर, भदोही में तैनात स्टेनों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच पर कार्रवाई की जानकारी

30-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-356/रालोद/वि0मं0द0/2015, दिनांक 15-09-2015 जो जिलाधिकारी कार्यालय संत रविदास नगर, भदोही में तैनात स्टेनो के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर द्वारा कराये जाने विषयक था प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 01-02-2016 द्वारा आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर को जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में आयुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल, मिर्जापुर के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, भदोही द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुख्य विकास अधिकारी, भदोही एवं उप जिलाधिकारी, ज्ञानपुर की त्रिस्तरीय समिति गठित कर जांच करायी गयी। समिति की जांच आख्या दिनांक 24-02-2016 में श्री जगदीश कुमार स्टेनो जिलाधिकारी, भदोही के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं पाया गया।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में निजी नलकूपों पर बकाया विद्युत बिल के भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान कार्य-योजना बनाने की मांग

31-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी नलकूपों पर बकाया विद्युत बिल के भुगतान हेतु एक मुश्त समाधान योजना लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं को लागत मूल्य से अत्यन्त कम दर पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों के किसानों के नलकूपों के बिजली बिलों को आधा किये जाने की मांग

32-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया है उन जिलों के किसानों के नलकूपों के बिजली बिलों को आधा किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

किसानों के निजी नलकूपों पर वर्तमान में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के सापेक्ष अत्यधिक कम दर पर विद्युत मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार उ0प्र0का0लि0 को राजस्व अनुदान देकर कर रही है। इसके अतिरिक्त किसानों के निजी नलकूपों पर विद्युत कर पूर्णतया माफ है। यह स्पष्ट है कि किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत मूल्य के सम्बन्ध में समुचित सहायता की व्यवस्था है। वर्तमान में निजी नलकूपों के बिजली बिलों को आधा किये जाने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद हाथरस, फिरोजाबाद, एटा के अलावा आगरा के एत्मादपुर क्षेत्र के किसानों की फसल की सिंचाई का प्रकरण

33-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस, फिरोजाबाद, एटा के अलावा जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल की सिंचाई हेतु निर्मित करायी गयी समानान्तर हाथरस-आगरा नहर के हाथरस शहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 पर पुल न होने के कारण चालू नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

समानान्तर हाथरस शाखा पर कि0मी0 46.200 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 पर पुल का निर्माण किया जा चुका है, किन्तु पुल के पहुंच मार्ग के न बन पाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या-93 का यातायात नहर पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी रूप से निर्मित मार्ग से गुजर रहा है, जिसके कारण नहर की जलापूर्ति बाधित हुई है।

उक्त स्थल पर पूर्व में ही पुल का निर्माण किया जा चुका है, किन्तु पुल का पहुंच मार्ग अभी नहीं बन सका है। इसके लिए परियोजना तैयार कर ली गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में आफसाबाद स्थित टूण्डला-गाजियाबाद रेलवे सेक्शन क्रासिंग संख्या-62 पर उपरिगामी सेतु निर्माण कराये जाने की मांग

34-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में आफसाबाद स्थित टूण्डला-गाजियाबाद रेलवे सेक्शन पर क्रासिंग संख्या-62 पर यातायात को सुगम बनाने हेतु सरकार उपरिगामी सेतु आर0ओ0बी0 निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नगर फिरोजाबाद में आफसाबाद स्थित टूण्डला-गाजियाबाद रेलवे सेक्शन पर क्रासिंग सं0-62 पर उपरिगामी सेतु निर्माण का वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में इस सेतु के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत नलकूप कनेक्शन दिये जाने का प्रकरण

35-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई नलकूपों के ऊर्जीकरण की नीति क्या है ? प्रथम आवत प्रथम पावत की नीति के आधार पर ऊर्जीकरण होता है, या पिक एण्ड चूज के आधार पर ? 1-श्री मदनपाल पुत्र श्री सुरेश, ग्राम हसौआ, पो0 निगोही, तहसील तिलहर, 2-श्रीमती रामवती पत्नी श्री ढाकन, ग्राम उदयपुर कटैया, ब्लाक ददरौल, 3-श्री धर्मेन्द्र सिंह उर्फ श्री राकेश सिंह निवासी कुरसण्डा, जनपद शाहजहांपुर ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले शाहजहांपुर में क्रमशः दिनांक 06-04-2015 एवं 17-02-2016 को निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी इनका नलकूप कनेक्शन अभी तक ऊर्जीकृत नहीं हो पाया है जबकि इनके बाद वालों के नलकूप कनेक्शन ऊर्जीकृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके कनेक्शन ऊर्जीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत निजी नलकूप संयोजन दिया जा रहा है। श्री मदन लाल पुत्र श्री सुरेश निवासी ग्राम-हसौआ, ब्लाक-निगोही जनपद-शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 04-08-2016 को प्राक्कलन की धनराशि जमा करायी गई है (रसीद सं0-39/073408) किन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा अभी तक अनुबन्ध नहीं किया गया है। अनुबन्ध करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्रीमती रामवती पत्नी श्री ढाकन निवासी ग्राम-उदयपुर कटैया ब्लाक-ददरौल जिला-शाहजहांपुर द्वारा भी प्राक्कलन की धनराशि दिनांक 04-08-16 को जमा कराई गयी है (रसीद सं0-38/073408)। इनके द्वारा भी अभी तक अनुबन्ध नहीं किया गया है। अनुबन्ध करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा श्री धर्मेन्द्र सिंह उर्फ श्री राकेश सिंह निवासी ग्राम-कुरसण्डा जिला-शाहजहांपुर का पूरा पता अंकित न होने के कारण विवरण दे पाना सम्भव नहीं है।

जी हां।

जनपद इलाहाबाद में विगत वर्षो में आवास विकास परिषद् तथा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्य का विवरण

36-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में आवास विकास परिषद् तथा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में अवस्थापना निधि से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं ? क्या वे सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में आवास एवं विकास परिषद् के लिए कुल 29 कार्य अवस्थापना निधि से स्वीकृत हुए हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल 113 कार्य इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से स्वीकृत हुए हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

आवास विकास परिषद् में कुल स्वीकृत 29 कार्यों में से 26 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, 03 कार्य प्रगति पर है, जो अक्टूबर, 16 तक पूर्ण हो जायेगा।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में कुल स्वीकृत 113 कार्यों में से 100 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं 08 कार्य प्रगति पर हैं और 02 कार्य स्थल पर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर लाइन डाली जा रही है, जिसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे तथा 01 कार्य स्थानीय विवाद के कारण एवं 02 कार्य लोक निर्माण विभाग व नगर निगम द्वारा करा लिये जाने के कारण निरस्त कर दिये गये हैं।

सूची संलग्नक[†] है।

प्रगति पर चल रहे कार्यो को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रगति पर चल रहे कार्यों को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में अधिष्ठापित राजकीय नलकूपों की वर्तमान स्थिति विषयक जानकारी

37-श्री दलवीर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड जवां, चण्डौस, लोधा, धनीपुर व खैर में अधिष्ठापित राजकीय नलकूपों में से वर्तमान में कितने चालू हालत में हैं और

[†] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0-118-131 पर।

कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब नलकूपों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड जवां, चण्डौस, लोधा, धनीपुर व खैर में कुल 273 राजकीय नलकूप अधिष्ठापित हैं। दिनांक 11-08-2016 की बन्दी के अनुसार उक्त राजकीय नलकूपों में से 260 राजकीय नलकूप चालू हालत में हैं, जबकि 07 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 06 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से खराब हैं।

जी हां।

राजकीय नलकूपों का अनुरक्षण एवं परिचालन एक सतत प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को निर्धारित मानक अवधि में ठीक कराकर चालू करा दिया जाता है। विद्युत दोष से खराब राजकीय नलकूपों को विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर ठीक कराने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषकों की सुविधा हेतु विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी

38-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत खराब विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ग्रामीण इलाकों में खराब विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिये निम्नलिखित योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है :--

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना)।

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना)।

(ग) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत पोषकों के पृथक्कीकरण का कार्य।

(घ) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।

(ङ) उ0प्र0 के तहसील नगरों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण।

(च) सभी निजी नलकूपों को तुरन्त नये संयोजन देना।

(छ) विद्युत वितरण निगमों में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 72 घण्टे के भीतर बदले जाने की कार्य योजना।

(ज) विजन 2016 : बेहतर विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना।

(झ) वर्ष 2019 से 24x7 पावर फार आल।

अन्य

(अ) केन्द्रीयकृत विद्युत शिकायत दर्ज करने की कार्य योजना।

(टोल फ्री0 नं0-1800-180-8752)

(ब) ब्लाक स्तर पर ग्राहक सुविधा केन्द्रों की स्थापना।

(स) नये कनेक्शन देने हेतु अभियान।

उपरोक्त योजनाओं का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के सूमेरा आदि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

39-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सूमेरा झाल से कासिमपुर पुल तक एवं सिमपुर बम्बा की पटरी से जवां तक तथा अतरौली गोधरा की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्न में अंकित तीन मार्गों में से सुमेरा झाल से कासिमपुर पुल मार्ग नहर सेवा का मार्ग है। सिमपुर बम्बा की पटरी से जवां-मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतरौली गोधरा मार्ग, को अलीगढ़ रामघाट मार्ग से गांव खेड़ा सी0टी0के0 मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 02-08-2016 द्वारा रु0 2944.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 38.22 लाख धनराशि अवमुक्त की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना विषयक प्रकरण

40-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0-10238780/2013, दिनांक 19-03-2013 जो कि अलीगढ़ में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना सम्बन्धी है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

† देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ से 131-134 पर।

प्रदेश में मुख्य मंत्री द्वारा 8 कि0 मी0 सड़कों की मरम्मत हॉट मिक्स प्लान्ट से कराये जाने की घोषणा से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत बजट सत्र के दौरान की गयी 8 कि0मी0 सड़कों के पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की घोषणा विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5 नं0-909265 व 909264 दिनांक 28-06-2016 तथा पत्र सं0 ख-5 नं0-270492 दिनांक 27-06-2016 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 8 कि0मी0 सड़कों की मरम्मत हॉटमिक्स से कराये जाने की घोषणा की गई है। पत्र में उल्लिखित 04 ग्रामों के पुनर्निर्माण के आगणन प्राप्त हुये है, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में यमुना नदी के ऊपर कंजोली घाट पुल तथा जोड़ने वाली सड़क के निर्माण सम्बन्धी प्रकरण

42-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में यमुना नदी के ऊपर कंजोली घाट पुल तथा इसको जोड़ते हुए सड़क का लगभग 3 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मानक के अनुसार सड़क निर्माण न होने से कंजोली घाट पुल की दोनों ओर की सड़कें तथा दीवार (पिचिंग) ढह गयी है जिससे आये दिन दुर्घटना तथा वाहन पलट रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कंजौली घाट पर निर्मित सेतु के दोनों ओर के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग, पिचिंग दीवाले आदि के सम्बन्ध में जांच में पाया गया कि पुल में हुई क्षति का कारण अत्यधिक वर्षा एवं समय से एप्रोच स्लैब न डाला जाना रहा है। विषयगत प्रकरण में आगणन में प्राविधान हो जाने के बावजूद एप्रोच स्लैब का कार्य न कराये जाने हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-03-2016 द्वारा सेतु निगम के निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गई है :--

1-श्री गेंदालाल, तत्कालीन उप परियोजना प्रबन्धक,

2-श्री डी0के0, तत्कालीन उप परियोजना प्रबन्धक,

3-श्री आर0एन0 चौबे, तत्कालीन अपर अभियन्ता।

वर्तमान में सेतु पर एप्रोच स्लैब का कार्य सेतु निर्माण ईकाई, मथुरा द्वारा पूर्ण करा दिया गया है तथा मार्ग पर मरम्मत का कार्य करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में महिला रोगियों हेतु मेमोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

43-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला अस्पताल फिरोजाबाद में महिला रोगियों की सुविधा हेतु एक मेमोग्राफी मशीन की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सालयों में सुविधायें उपलब्ध कराया जाना विशेषज्ञ चिकित्सकों, तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में फैको मशीन की स्थापना कराये जाने की मांग

44-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में आंखों की बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार/शल्य चिकित्सा हेतु फैको मशीन न होने के कारण उपचार की गुणवत्ता एवं कार्य निष्पादन क्षमता पर असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल फिरोजाबाद में एक अत्याधुनिक फैको मशीन की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षयरोग्याश्रम फिरोजाबाद के पत्र संख्या-जि0चि0/विधान सभा प्रश्न/2016-17-811, दिनांक 16-08-16 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में फैको मशीन के बिना भी मोतियाबिन्द के गुणवत्तापरक आपरेशन किये जा रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद मोतियाबिन्द के आपरेशन के सम्बन्ध में प्रदेश में अच्छे स्थान पर है।

उपर्युक्त के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सालयों में सुविधायें उपलब्ध कराया जाना विशेषज्ञ चिकित्सकों, तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रोगियों की जांच कराने हेतु आडियोमेट्री मशीन एवं टेक्निशियन की मांग

45-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में आडियोमेट्री मशीन न होने के कारण जनपद के रोगियों को मजबूरन आगरा जाकर अपनी जांच करानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल फिरोजाबाद में एक आडियोमेट्री मशीन एवं सम्बन्धित टेक्नीशियन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला अस्पताल फिरोजाबाद में आडियोमेट्री मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम प्रदेश के 20 जनपदों में संचालित है एवं वर्ष 2016-17 से भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 के अनुसार 16 अन्य जनपदों में प्रारम्भ किया जाना है। वर्तमान में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 के अनुसार जनपद फिरोजाबाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रोगियों की सर्जरी सुविधा हेतु लैप्रोस्कोप सेट

46-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में सर्जरी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण रोगियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में लैप्रोस्कोप सेट उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षयरोग्याश्रम फिरोजाबाद के पत्र संख्या-जि0चि0/विधान सभा प्रश्न/2016-17/कैम्प दिनांक 16-08-16 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में पूर्व की अपेक्षा ढाई से तीन गुना सर्जरी में वृद्धि हुई है।

चिकित्सालयों में सुविधायें उपलब्ध कराया जाना विशेषज्ञ चिकित्सकों, तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के इमरजेन्सी विभाग में सी0सी0टी0वी0 कैमरा विद रिकार्डर लगाये जाने की मांग

47-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला अस्पताल फिरोजाबाद के इमरजेंसी विभाग में सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 कैमरा विद रिकार्डर लगाने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

चिकित्सालयों में सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद शाहजहांपुर में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत नहरों की सफाई की मांग

48-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत आने वाली नहरों की सफाई पिछले 3 वर्षों से नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में नहरों की सफाई कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के ग्राम गुलड़िया उपराला, थाना सिरौली, तहसील आंवला निवासी श्री रहमान खां की विद्युत लाइन से हुई मृत्यु के उपरान्त 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग

49-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के ग्राम गुलड़िया उपराला, थाना सिरौली, तहसील आंवला निवासी श्री रहमान खां के 30 वर्षीय पुत्र श्री रहीम खां की 11 हजार विद्युत लाइन की चपेट में आने से हुई मृत्यु उपरान्त परिवार को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5 नं0-855648 दिनांक 03-05-2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब तथा कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विगत दो वर्षों से पुनः सड़क निर्माण की मांग

50-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कराये गये सड़क निर्माण कार्य, खराब गुणवत्ता के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पुनः सड़क निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कराये गये सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच पी0डब्लू0डी0 विभाग में कराई जाती रही है। जो मानक के अनुरूप पायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन नवीन जसराना नहर परियोजना के कार्य की जानकारी

51-श्री मनीष असीजा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन नवीन जसराना नहर परियोजना की वर्तमान में प्रगति की स्थिति क्या है एवं इस परियोजना के क्या उद्देश्य हैं तथा इसे कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद फिरोजाबाद में नवीन जसराना नहर परियोजना के अन्तर्गत जसराना नहर एवं 4 अल्पिकाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जसराना नहर की कुल लम्बाई 36.120 कि0मी0 के सापेक्ष 34.500 कि0मी0 नहर निर्मित हो चुकी है। शेष 1.62 कि0मी0 लम्बाई में कार्य प्रगति में हैं। इस परियोजना में मुख्य नहर पर 4 एक्वाडक्ट एक साइफन एवं 15 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 6 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति में है। अल्पिकाओं एवं हेड रेगुलेटर का निर्माण कार्य भी प्रगति में है। नहर के कि0मी0 25.200 पर जल निगम को पानी देने हेतु क्रास एवं हेड रेगुलेटर का कार्य अभी शेष है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनपद फिरोजाबाद में जसराना तहसील के अन्तर्गत एका, शेखपुर, हाथवन्त एवं खेरगढ़ आदि क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में लगभग 9520 हे0 कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तथा फिरोजाबाद शहर को पेयजल हेतु 50 क्यूसेक जल उपलब्ध कराना है। परियोजना को माह जनवरी, 2017 तक पूर्ण करने का संशोधित लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कराये जाने की मांग

52-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांच एवं चूड़ी उत्पादन के लिये प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर न होने एवं ट्रकों का आवागमन एवं लोडिंग-अनलोडिंग की अव्यवस्थित गतिविधियों के कारण घनी आबादी क्षेत्रों में सामान्य नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद नगर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा फिरोजाबाद के ग्राम नागऊ, तहसील टूण्डला में यातायात नगर की स्थापना हेतु पूर्व में निर्णय लिया गया था। उक्त योजना पर पूर्व

से ही लगभग 30 करोड़ व्यय आना सम्भावित था। फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त योजना को फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की उन्नीसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 10-04-2015 को निरस्त/समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में जलेसर रोड मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में जलेसर रोड मार्ग पर झील की पुलिया से लेकर ककरऊ की कोठी तक लगभग 700 मीटर लम्बा क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र संख्या-क-5 नं0-452715, दिनांक 16-12-15 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है, परन्तु शहरी भाग होने के कारण मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कराया जा रहा है।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सक एवं रिक्त पदों को भरे जाने का प्रकरण

54-श्री मनीष असीजा-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में कितने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में उन पर कितने चिकित्सक कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण (श्री रविदास मेहरोत्रा)-

नगर फिरोजाबाद में 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 06 चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं तथा 18 पद रिक्त हैं।

जी हां।

जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा चिकित्सक का चयन किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26-07-2016 को प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में बोदला चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने की मांग

55-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में बोदला चौराहे पर जाम से निजात दिलाने हेतु एक फ्लाई ओवर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आगरा नगर में बोदला चौराहे पर फ्लाई ओवर के निर्माण का कोई प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में इसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले न्यूनतम उपभोग गारण्टी (एम0एस0जी0) को सरकार द्वारा समाप्त करने की मांग

56-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले न्यूनतम उपभोग गारण्टी (एम0एस0जी0) को समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम चार्ज तभी देय होता है जब उसका उपभोग एक निर्धारित सीमा से कम होता है। वितरण निगम उपभोक्ता के स्वीकृत भार पर विद्युत की उपलब्धता निरन्तर बनाये रखने हेतु बाध्य है, चाहे उपभोक्ता कुछ भी उपभोग न करे। इस निरन्तरता को बनाये रखने में होने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति न्यूनतम चार्जेज से होती है।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने मे0 रेमण्ड लि0 बनाम मध्य प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वाद पर निर्णय देते हुए न्यूनतम उपभोग गारण्टी की वसूली को उचित पाया है। जिसका उल्लेख करते हुए इसे मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 के टैरिफ आदेश में मान्यता प्रदान की गई है। अतः न्यूनतम चार्ज की वसूली विधिसंगत एवं उचित है।

जनपद अलीगढ़ में गभाना, बरौली मुख्य मार्ग एन0एच0-91 पर गभाना बाई पास पर अण्डर पास बनवाये जाने की जानकारी

57-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में गभाना, बरौली मुख्य मार्ग एन0एच0-91 पर गभाना बाई पास मार्ग को पास करने के लिये अण्डरपास बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है, जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से सम्बन्धित है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 गाजियाबाद से अलीगढ़ तक मार्ग को 4/6 लेन का संरेखण कार्य डी0पी0आर0 परामर्शदाता के अनुभवी इंजीनियरों द्वारा किया गया था। जिसमें परामर्शदाता द्वारा गभाना बाईपास को पास करने हेतु किसी भी अण्डरपास का रेखांकन नहीं किया गया था। रियायतग्राही द्वारा मार्ग को परामर्शदाता द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रारूप के अनुसार ही बनाया गया है तथा मार्ग का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम हीरापुर के नर्सरी में विभिन्न प्रकार के प्रजाति के पौधे किसानों को उपलब्ध कराने की मांग

58-श्री दलवीर सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम हीरापुर में स्थित पौध नर्सरी में विभिन्न प्रकार की प्रजाति के फलदार पौधे तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

हीरापुर नर्सरी में विभिन्न प्रकार के प्रजाति की पौध तैयार कर किसानों को वितरित करने की कोई योजना नहीं है।

हीरापुर नर्सरी बन्द हो चुकी है।

जनपद अलीगढ़ में कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

59-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10216292/2013, दिनांक 14-02-2013 जो जनपद अलीगढ़ के ग्राम दौरऊ, मेमडी, पोईना मोड़, कलाई, बड़ागांव ओखलाना एवं बीरपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना विषयक है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश दिनांक 11-02-2014 द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की नीति निर्धारित की गयी। उक्त शासनादेश दिनांक 11-02-2014 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार वर्णित ग्रामों में से केवल बीरपुरा एवं बड़ागांव उखलाना ही नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मानक पूर्ण कर रहे हैं। नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये मानकानुसार भूमि उक्त स्थानों पर उपलब्ध न होने के कारण नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

शासनादेश दिनांक 11-02-2014 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार शेष अन्य ग्राम यथा दौरऊ, मेमडी, पोईना मोड़ व कलाई नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का मानक पूर्ण नहीं कर रहे हैं।

बीरपुरा एवं बड़ागांव उखलाना में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध न होने के कारण तथा शेष अन्य 04 ग्राम नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का मानक पूर्ण न करने के कारण।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाक में सड़कों के नवनिर्माण/विशेष मरम्मत हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

60-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/ वि0को0/एम0/पी0जी0-10595344/2015, दिनांक 20-03-2015 जो जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक राया, बल्देव तथा फरह की सड़कों की नवनिर्माण/विशेष मरम्मत कराने हेतु धनावंटन कराये जाने सम्बन्धी था, उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों के नवनिर्माण/विशेष मरम्मत हेतु धनावंटन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित उनके क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक राया में तीन कार्य स्वीकृत हैं जिसमें से एक कार्य पूर्ण है तथा दो कार्य प्रगति पर हैं।

ब्लाक बल्देव में विशेष मरम्मत व नवीनीकरण के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 12 कार्य स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 9 कार्य पूर्ण हैं व 3 कार्य प्रगति पर हैं।

इसी प्रकार ब्लाक फराह के अन्तर्गत 2014-15 एवं 2015-16 में 18 कार्य स्वीकृत हैं, जिसमें 14 कार्य पूर्ण हैं शेष 4 कार्य प्रगति पर हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के बल्देव विधान सभा क्षेत्र के कंजौली घाट के पुल की दोनों तरफ की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

61-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10596897/2015, दिनांक 25-03-2015 जो विधान सभा क्षेत्र बल्देव, जनपद मथुरा के अन्तर्गत कंजौली घाट के पुल के दोनों तरफ की सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने सम्बन्धी था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कंजौली घाट सेतु पर एप्रोच स्लैब का कार्य सेतु निर्माण इकाई, मथुरा द्वारा पूर्ण करा दिया गया है तथा मार्ग पर मरम्मत का कार्य भी करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मार्गों की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग

62-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10599229/2015, दिनांक 28-03-2015 जो जनपद मथुरा के मार्गों का नवनिर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने सम्बन्धी था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के क्रमांक-1 पर अंकित मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग पर सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।

क्रमांक-2, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 25 पर अंकित मार्गों की दशा संतोषजनक है।

क्रमांक-9 पर अंकित मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित है जिसकी दशा संतोषजनक है।

क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 22 व 26 पर अंकित मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

क्रमांक-23 पर अंकित मार्ग की लम्बाई 4.00 कि0मी0 है। जिसमें से 1.850 कि0मी0 की दशा संतोषजनक है। मार्ग का शेष भाग लम्बाई 2.150 कि0मी0 का मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

क्रमांक-24 पर अंकित मार्ग सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जुड़े होने के कारण इनका नवनिर्माण कराया जाना लोक निर्माण विभाग के किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

क्रमांक-27 पर अंकित मार्ग जिसकी लम्बाई 20.925 कि0मी0 है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 02-08-2016 द्वारा रु0 4144.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में मथुरा वन प्रभाग में पिछले तीन वर्षों में ब्लाक बल्देव फरह राया तथा तहसील महावन में किये गये वृक्षारोपण का विवरण

63-श्री पूरन प्रकाश-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पिछले तीन वर्षों में ब्लाक बल्देव फरह राया तथा तहसील महावन में कितने विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाये गये तथा इन पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त में फर्जी आंकड़े धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मथुरा वन प्रभाग में पिछले तीन वर्षों में ब्लाक बल्देव फरह तथा राया में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	रोपित पौधों की संख्या	व्यय की गयी धनराशि
1	2013-14	फरह (तहसील मथुरा)	13,000	5,85,800.00
		बल्देव (तहसील महावन)	18,205	9,43,949.00
		राया (तहसील महावन)	1,650	80,356.00
2	2014-15	फरह (तहसील मथुरा)	9,875	11,23,495.00
		बल्देव (तहसील महावन)	22,000	9,99,024.00
		राया (तहसील महावन)	11,000	5,48,978.00
	2015-16	फरह (तहसील मथुरा)	1,03,775	95,89,285.00
		बल्देव (तहसील महावन)	6,750	11,94,806.00
		राया (तहसील महावन)	9,423	18,02,902.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में बल्देव ब्लाक में बल्देव कंजौली घाट में नगला राधे से नगला बेर तक का कच्चा मार्ग पक्का निर्माण कराये जाने की मांग

64-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग सी0डी0 प्रथम के अन्तर्गत बल्देव ब्लाक में बल्देव-कंजोली घाट पुल मार्ग में नगला राधे से नगला बेर तक कच्चा मार्ग लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 का पक्का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव के नगला राधे व नगला बेर दोनों ग्राम एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त हैं। नगला राधे से नगला बेर तक मार्ग लगभग 1.85 कि0मी0 कच्चा मार्ग है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति द्वारा राजस्व मंत्री को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

65-श्री पंकज गुप्ता-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सतीश महाना, सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पत्र दिनांक 26 मई, 2016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि राजस्व अनुभाग-2 के पत्रांक वी0आई0पी0-28/1-2-2016- रा0-2, दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा जिलाधिकारी, गोण्डा को तालाब की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटाकर निर्देश का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण में दिनांक 14-6-16 को शासन द्वारा जिलाधिकारी, गोण्डा को तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये हैं।

तालाब की भूमि गाटा सं0-815/0-35डि0 से अवैध कब्जेदारों का कब्जा हटवा दिया गया था। पुनः जांच की गयी तो पाया गया कि शिकायतकत्री श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व0 विश्वनाथ शुक्ल के पुत्र हनुमतलाल, दुर्गेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण विश्वनाथ व देवकी नन्दन पुत्र उदय नरायन निवासीगण ग्राम पूरे बहोरी द्वारा तालाब की भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया गया है। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध मु0अ0सं0-241/2016 अन्तर्गत धारा-2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा में दर्ज करायी गयी। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जे के बेदखली हेतु तहसीलदार करनैलगंज के न्यायालय पर उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-35 (1) (ग) मु0नं0-टी 2016-0830052754, मु0नं0-टी 2016-0830052755, मु0नं0-टी 2016-0830052756, मु0नं0-टी 2016-0830052757 का वाद दायर किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा में पिपरहरी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

66-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा (कछियन पुरवा) में पिपरहरी मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में अत्यन्त कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

कछियन पुरवा राजस्व ग्राम मोतियारी का एक मजरा है। कछियन पुरवा फतेहपुर-बबेरू-अतर्रा-नरैनी-करतल मार्ग के कि0मी0 84 तथा मोतियारी-पथरा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 1 से लेपित मार्ग से जुड़ा है। पिपारहरी ग्राम फतेहपुर-बबेरू-अतर्रा-नरैनी-करतल मार्ग के कि0मी0 82 व मोतियारी-पथरा सम्पर्क मार्ग कि0मी0 2 से लेपित मार्ग से जुड़ा है। अतः मोतियारी का पुरवा (कछियन पुरवा) में पिरहरी मार्ग का डामरीकरण कराया जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा की (कछियन पुरवा) नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

67-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा (कछियन पुरवा) की नहर कई जगह से कटी होने के कारण सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बीच-बीच कटी नहर की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा (कछियन पुरवा) से होकर महुटा नहर निकलती है। नहर की मरम्मत कराकर वर्तमान में नहर से कृषकों को 1424 फसली खरीफ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के कछियन पुरवा में विद्युतीकरण की मांग

68-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड-महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा (कछियन पुरवा) एवं बेला पुरवा जिनकी आबादी लगभग 1000 है, का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुरवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम मोतियारी का मजरा मोतियारी का पुरवा (कछियन पुरवा) का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का प्राविधान है एवं कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण करा लिया जाना लक्षित है।

मजरा-बेला पुरवा के विद्युतीकरण का कार्य जिला विद्युत समिति से प्रस्ताव मिलने के उपरान्त दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर 31-03-2017 तक सम्पन्न करा लिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा से जनपद चित्रकूट में नेशनल हाई-वे 76 को फोर लेन बनाने की मांग

69-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा से जनपद चित्रकूट में नेशनल हाई-वे-76 को फोर लेन बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बांदा से जनपद चित्रकूट को जाने वाला मार्ग झांसी-इलाहाबाद-मिर्जापुर रा0मा0 सं0-76 का भाग है। जिसकी जनपद बांदा में लम्बाई 43.00 कि0मी0 तथा जनपद चित्रकूट में लम्बाई 27.00 कि0मी0 है अर्थात् कुल 70.00 कि0मी0 लम्बाई है जो 7.00 मी0 चौड़ा है। उक्त मार्ग को फोर लेन में निर्मित करने हेतु पी0सी0यू0 20 हजार से अधिक होनी चाहिए। परन्तु प्रश्नगत मार्ग की वर्तमान पी0सी0यू0 7313 है। अतः इसे फोर लेन बनाया जाना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है, परन्तु प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण (दो लेन विद पेव्ड शोल्डर) राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-100 (1)/23-11-2014, दिनांक 17-03-2015 द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के कतिपय मार्गों को डबल लेन कराये जाने की मांग

70-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बिसण्डा से अतर्रा (खंजा बाबा से सेमरिया तक लगभग 7 कि0मी0) एवं अतर्रा से नरैनी (पल्हरी से पचोखर तक लगभग 3 कि0मी0) मार्ग बीच में डबल लेन का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त छूटे मार्ग को डबल लेन का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बांदा के बिसण्डा से अतर्रा (खंजा बाबा से सेमरिया तक लगभग 7 कि0मी0) एवं अतर्रा से नरैनी (पल्हरी से पचोखर तक लगभग 3 कि0मी0) मार्ग को डबल लेन करने का प्रस्ताव वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में इसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में नर्सों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की जानकारी

71-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में नर्सों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कम नर्सें कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

स्टाफ नर्स के 2930 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 23-06-2016 द्वारा अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजा जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा हेतु सभी वार्ड वातानुकूलित कराये जाने की मांग

72-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भर्ती होने वाले मरीजों की सुविधा हेतु क्या सरकार सभी वार्डों को वातानुकूलित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

चिकित्सालयों में सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में निर्माणाधीन आई0सी0सी0यू0 (इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट) क्रियाशील कराये जाने की मांग

73-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में स्वीकृत एवं निर्मित आई0सी0सी0यू0 (इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट) क्रियाशील हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षय रोग्याश्रम फिरोजाबाद के पत्र संख्या-जि0चि0/विधान सभा प्रश्न/2016-17/805 दिनांक 16-08-16 के अनुसार जिला अस्पताल फिरोजाबाद में आई0सी0सी0यू0 (इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट) का भवन निर्माणाधीन है।

प्रश्नगत भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात उक्त निर्माणाधीन आई0सी0सी0यू0 (इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट) को क्रियाशील किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद में गम्भीर रूप से बीमार/घायल रोगियों के उपचार हेतु आई0सी0सी0यू0 वार्ड एवं न्यूरो सर्जन की नियुक्ति की मांग

74-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में गम्भीर रूप से बीमार एवं घायल रोगियों के उपचार हेतु आई0सी0सी0यू0 वार्ड एवं न्यूरो सर्जन/फिजीशियन की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में आई0सी0सी0यू0 वार्ड की स्थापना एवं न्यूरो सर्जन/फिजीशियन की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षयरोग्याश्रम फिरोजाबाद के पत्र संख्या-जि0चि0/विधान सभा प्रश्न/2016-17/805 दिनांक 16-08-16 के अनुसार जिला अस्पताल फिरोजाबाद में आई0सी0सी0यू0 (इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट) का भवन निर्माणाधीन है।

न्यूरो सर्जन/फिजीशियन का पद उक्त चिकित्सालय हेतु सृजित न होने के कारण उक्त चिकित्सालय में न्यूरो सर्जन/फिजीशियन की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण मंत्री को मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

75-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10588948/2015, दिनांक 02-03-2015, जो मथुरा में राया-बल्देव मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 7 ग्रामों में से क्रमांक-1 पर अंकित मार्ग पर वर्ष 2016-17 में सी0सी0, बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मार्ग की दशा संतोषजनक है।

क्रमांक-2 व 6 पर अंकित मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।

क्रमांक- 3, 4 पर अंकित मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

क्रमांक-5 व 7 पर अंकित मार्ग सिंगिल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत लेपित मार्ग से जुड़े होने के कारण लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में 27 मार्गों के नवनिर्माण, मरम्मत कराये जाने के प्रकरण की जानकारी

76-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10594294/2015, दिनांक 19-03-2015, जो जनपद मथुरा में 27 मार्गों के नवनिर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र में उल्लिखित मार्गों का नवनिर्माण/विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र के क्रमांक-1 पर अंकित मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग पर सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।

क्रमांक-2, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 25 पर अंकित मार्गों की दशा संतोषजनक है।

क्रमांक-3 पर अंकित मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित है जिसकी दशा संतोषजनक है।

क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 22 व 26 पर अंकित मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिनकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

क्रमांक-23 पर अंकित मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 है। जिसमें से 1.850 कि0मी0 की दशा संतोषजनक है। मार्ग का शेष भाग लम्बाई 2.150 कि0मी0 की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

क्रमांक-24 पर अंकित मार्ग सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जुड़े होने के कारण इनका नव निर्माण कराया जाना लोक निर्माण विभाग के किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

क्रमांक-27 पर अंकित मार्ग जिसकी लम्बाई 20.925 किमी0 है, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 02-08-2016 द्वारा रु0 4144.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में मथुरा अलीगढ़, हाथरस के मध्य कस्बा राया में ओवरब्रिज अथवा बाईपास बनवाने की मांग

77-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10589913/2015, दिनांक 04-03-2015, जो जनपद मथुरा में मथुरा अलीगढ़-हाथरस के मध्य कस्बा राया में ओवर ब्रिज अथवा बाईपास बनवाये जाने सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मथुरा के राया में ओवर ब्रिज अथवा बाईपास बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

1-राया कस्बा में ओवर ब्रिज का निर्माण रेलवे/सेतु निगम/लोक निर्माण विभाग के संयुक्त निरीक्षणोपरान्त फिजिवल पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-राया कस्बा (राया टाउन एरिया) की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 18032 है। वर्तमान में एक लाख से कम आबादी के शहरों के बाईपास का निर्माण लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता न्यूनतम उपभोग गारन्टी (एम0एस0जी0) से अधिक विद्युत उपभोग पर प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज को समाप्त करने की जानकारी

78-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो विद्युत उपभोक्ता न्यूनतम उपभोग गारन्टी (एम0एस0जी0) से अधिक विद्युत उपभोग करते हैं, के प्रति किलोवाट निर्धारित फिक्स चार्ज को समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

फिक्स चार्ज को लिया जाना पूर्णतः उचित है क्योंकि विद्युत अधिनियम, 2003 में दिये गये प्रावधानानुसार विद्युत उपभोक्ताओं से इनर्जी चार्ज के अतिरिक्त फिक्स चार्जेज भी लिये जाने की व्यवस्था की गई है। फिक्स चार्ज उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता बनाये रखने के लिये स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट, उपकेन्द्र, वितरण लाइनों आदि के रख-रखाव में होने वाले खर्चों के कारण लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के उपयोगार्थ जिन विभिन्न विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय की जाती है उसके लिये विभाग को विद्युत उत्पादकों को इनर्जी चार्जेज के साथ-साथ फिक्स चार्ज का भी भुगतान करना होता है।

फिक्स चार्ज विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानानुसार ही लिया जा रहा है जो विधिसंगत एवं आवश्यक है।

जनपद अलीगढ़ के गोधा से सफेदपुरा मार्ग बम्बा की क्षतिग्रस्त पटरी सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

79-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के गोधा से सफेदपुरा मार्ग बम्बा की पटरी सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 11.00 कि0मी0 है, जिसमें से कि0मी0 1 से 3 तक मार्ग की दशा सन्तोषजनक है। शेष भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में इस्तेमाल होने वाले कोयले से निकलने वाले पत्थरों को आस-पास की सड़कों के किनारे न डाले जाने की मांग

80-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में इस्तेमाल होने वाले कोयले से निकलने वाले पत्थरों को ठेकेदारों द्वारा परियोजना के आस-पास की सड़क/मार्गों के किनारे डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिये दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में इस्तेमाल होने वाले कोयले से निकलने वाले पत्थरों को अनुबन्धानुसार ठेकेदार द्वारा परियोजना परिसर के बाहर शिफ्ट कराया जाता है। ठेकेदार द्वारा उक्त पत्थरों को परियोजना के ऐश डम्प यार्ड पर ही डाला जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी पत्थर ढोने वाली गाड़ी के साथ ऐश डम्प यार्ड तक जाते रहते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की बरौली विधान सभा क्षेत्र में सूखा राहत और ओलावृष्टि राहत से प्रभावितों को सहायता वितरण करने की जानकारी

81-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम सूखा राहत व ओलावृष्टि राहत की सहायता राशि के चेक वितरण से अब तक वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार उक्त वंचित ग्रामों में किसानों को सहायता राशि वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अलीगढ़ की बरौली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 की सूखा राहत से 39 गांव तथा वर्ष 2015 की ओलावृष्टि में 43 गांव, कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु अवशेष रह गये हैं। जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2015 में सूखे से कृषि फसलों को क्षति नहीं हुई थी। वर्ष 2016 की ओलावृष्टि से प्रभावित सभी 19 गांवों में कृषि निवेश अनुदान का वितरण कर दिया गया है।

सूखा मेमोरेण्डम 2014 के सापेक्ष भारत सरकार से वांछित सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने के कारण सूखा राहत हेतु धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है। ओलावृष्टि मेमोरेण्डम 2015 की मांग रु0 7543.14 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार से मात्र रु0 2801.59 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। अवशेष धनराशि की मांग की गयी है। प्राप्त होने पर सहायता राशि दी जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ की सहकारी चीनी मिल साथा व निजी चीनी मिलों पर बकाया गन्ना कमीशन की वसूली किये जाने की कार्यवाही

82-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की सहकारी चीनी मिल साथा का निजी चीनी मिलों पर कितना गन्ना कमीशन बकाया है तथा सरकार इसकी वसूली के लिये क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ में स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, साथा का आनन्द एग्रोकेम इण्डिया प्रा0 लि0, गोपीलधौआ, जनपद अलीगढ़ पर रु0 7.42 लाख गन्ना कमीशन बकाया है।

बकाया गन्ना कमीशन की वसूली हेतु आनन्द एग्रोकेम इण्डिया प्रा0 लि0, गोपीलधौआ, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में (महिला एवं पुरुष) में तैनात लैब टेक्नीशियनों का स्थानान्तरण करने की जानकारी

83-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालयों (महिला एवं पुरुष) सीतापुर में 25 वर्षों से स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात लैब टेक्नीशियनों का स्थानान्तरण सरकार स्थानान्तरण नीति से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत समूह-ग के कर्मचारी जिसमें लैब टेक्नीशियन सम्मिलित है, के स्थानान्तरण हेतु कोई तैनाती की समय-सीमा निर्धारित नहीं है। अतः सन्दर्भित जिला चिकित्सालय (महिला/पुरुष) सीतापुर में लैब टेक्नीशियन की तैनाती वर्तमान स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पैटर्न पर कराये गये वृक्षारोपण का विवरण

84-श्री सतीश महाना-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश में हरीतिमा बढ़ाने हेतु ग्रीन बेल्ट पैटर्न पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त योजना में अब तक कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी एवं इससे कुल कितने प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया ? क्या सरकार रोपित सभी प्रकार के वृक्षों का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी हां।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक कुल रु0 29,982.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक कुल 18,074 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट पैटर्न पर वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। विकसित की गयी ग्रीन बेल्ट में मुख्यतः शीशम, नीम, अमलतास, गुलमोहर, जैकरेण्डा, सिरस, कन्जी, आम, छितवन, बरगद, पीपल, पाकड़, मौलश्री, कचनार, इमली, बेल आदि प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है।

ग्रीन बेल्ट पैटर्न पर कराये गये वृक्षारोपण का वर्षवार विवरण अर्थात् कुल रोपण क्षेत्र व रोपित पौध संख्या निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	वृक्षारोपण	
		क्षेत्रफल हे0 में	पौध सं0 लाख में
1	2	3	4
1	2012-13	1102	7.52
2	2013-14	5641	43.02

1	2	3	4
3	2014-15	3192	19.95
4	2015-16	5115	31.97
5	2016-17 (माह जुलाई, 2016 तक)	3024	18.90
	योग :-	18074	121.36

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग

85-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर का दिनांक 17-10-2014 को शाहजहांपुर के दौरे के समय गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो गन्ना शोध परिषद् को विश्वविद्यालय का दर्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के माध्यम से गन्ना शोध परिषद् को अपग्रेड कर कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार किया गया तथा यह पाया गया कि उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप शोध परिषद् में आवश्यक भूमि व अन्य अपेक्षित संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिसके दृष्टिगत शोध परिषद् को अपग्रेड कर कृषि विश्वविद्यालय न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अन्तर्गत आने वाले कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं टूटी पुलिया का निर्माण कराने की मांग

86-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अन्तर्गत आने वाला मार्ग मोहम्मदी रोड से जपनापुर-उदियापुर मार्ग निगोही रोड से ग्राम दौलतपुर मार्ग 2 कि0मी0 तथा ग्राम मऊखालसा प्रा0 विद्यालय से वसिलिया बिलरिया मार्ग लगभग 01 कि0मी0 क्षतिग्रस्त है तथा इसी मार्ग पर एक छोटी पुलिया भी टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सभी मार्गों की मरम्मत एवं टूटी पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग एवं पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मार्गों की मरम्मत एवं पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

87-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 23-08-2016 को अता0प्र0सं0-80 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा के बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक राया एवं ब्लाक बल्देव की क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

88-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सं0-18157160042089, दिनांक 14-05-2016 जो बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक राया एवं ब्लाक बल्देव मार्गों के निर्माण सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगणन स्वीकृत कर धनावंटन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 04 मार्गों में से बल्देव कंजौली घाट पुल मार्ग से नगला बेर तक मार्ग पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है। अतः मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

बल्देव-बरौली मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

अवैरनी से पचावर मार्ग के मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

राया-सादाबाद से जुगसना मार्ग की लम्बाई 14.500 कि0मी0 है, जिसमें से कि0मी0 9.000 से 14.500 तक लम्बाई में शासनादेश दिनांक 31-03-2015 द्वारा रु0 203.25 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण करा लिया गया है। किमी0 0.000 से 9.000 तक लम्बाई में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के राया कस्बे में जाम से निजात पाने हेतु बाईपास का निर्माण कराये जाने की मांग

89-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सं0-18145160042072, दिनांक 14-05-2016 जो जनपद मथुरा के राया कस्बा में लगने वाले 3-4 घण्टे जाम से निजात पाने के सम्बन्ध में लगभग 3 किमी0 बाईपास बनवाने सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाईपास का शीघ्र निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

राया कस्बा (राया टाउन एरिया) की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 18032 है। वर्तमान में एक लाख से कम आबादी के शहरों के बाईपास का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी एवं विद्युत कनेक्शनों की समस्या को देखते हुए बड़े ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

90-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ओवरलोडिंग के कारण बहुत अधिक संख्या में ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं ? यदि हां, तो क्या बढ़ती हुई आबादी एवं विद्युत कनेक्शनों की संख्या को देखते हुए विद्युत समस्या से निजात दिलाने हेतु व्यापक स्तर पर बड़े ट्रांसफार्मर लगवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां, लोड बढ़ने पर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि संसाधन की उपलब्धता के आधार पर की जाती है एवं नये परिवर्तक भी लगाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु बन्द किये गये विद्युत कनेक्शनों को पुनः दिये जाने की मांग

91-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई व्यवस्था में हो रही भारी असुविधा को देखते हुए सरकार बन्द किये गये विद्युत कनेक्शन देना प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई व्यवस्था हेतु विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रतिबन्धित नहीं है। कारपोरेशन/शासन द्वारा सम्बन्धित कुछ जनपदों के चिन्हित विकास खण्डों में गिरते भू-जल स्तर को नियंत्रित करने हेतु डार्क जोन घोषित कर वहां निजी नलकूप संयोजन देना प्रतिबन्धित कर दिया जाता है एवं इस प्रतिबन्ध को भू-जल स्तर में सुधार हो जाने पर हटा भी लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत मांट शाखा गंग नहर के किनारे की सड़क का पुनर्निर्माण की परियोजना

92-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच गंग नहर के किनारे सड़क (पटरी) से किसानों के निकलने वाले वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत होने से उत्पन्न समस्या के समाधान

सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री के आदेश सं0-18157160048907, दिनांक 26-05-2016 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद मथुरा में विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत मांट शाखा के कि0मी0 115.200 से कि0मी0 128.800 तक पूर्व निर्मित सड़क के पुनर्निर्माण की परियोजना तैयार कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा विधान सभा क्षेत्र बल्देव में परखम से ओला मार्ग व अन्य चार मार्गों का निर्माण करवाये जाने की मांग

93-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सं0-18157160042096, दिनांक 14-05-2016 जो कि जनपद मथुरा विधान सभा क्षेत्र बल्देव में परखम से ओल मार्ग व अन्य 4 मार्गों का निर्माण कराने सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 05 मार्गों में से परखम से ओल मार्ग व फरह ओल मार्ग से किरारई सहजादपुर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। बरारी से ओल मार्ग वाया बेरी समसाबाद मार्ग का प्रस्ताव पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

फरह ओल मार्ग से धाना जीवना मार्ग का निर्माण जिला पंचायत द्वारा कराया जा चुका है। मार्ग की दशा संतोषजनक है।

ओल से भदेरुआ-बिरोना-चौकीपुरा-लुहारा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग के एक भाग के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, शेष भाग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत कंजौली घाट पुल के दोनों तरफ की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने की जानकारी

94-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10666171/2015, दिनांक 30-08-2015, जोकि जनपद मथुरा

विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत कंजौली घाट पुल के दोनों तरफ की सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण कराने, अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। किन्तु पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10666171/2015, दिनांक 30-08-2015 न प्राप्त होकर सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10666171/2015, दिनांक 03-08-2015 प्राप्त हुआ है।

कंजौली घाट पर निर्मित सेतु के दोनों ओर के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग, पिचिंग दीवालें आदि के सम्बन्ध में जांच में पाया गया कि पुल में हुई क्षति का कारण अत्यधिक वर्षा एवं समय से एप्रोच स्लैब न डाला जाना रहा है। विषयगत प्रकरण के आगणन में प्राविधान होने के बावजूद एप्रोच स्लैब का कार्य न कराये जाने हेतु सेतु निगम के उत्तरदायी तीन अधिकारियों के विरुद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15-03-2016 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गई है। सेतु पर एप्रोच स्लैब का कार्य सेतु निर्माण इकाई, मथुरा द्वारा पूर्ण करा दिया गया है तथा मार्ग पर मरम्मत का कार्य भी करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के जुगसना बाईपास से बल्टीकरी खेड़ा पुल तक कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

95-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0-10676960/2015, दिनांक 22-08-2015, जो कि जनपद मथुरा में जुगसना बाईपास से बल्टीकरी खेड़ा पुल तक के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में 33 के0वी0 के 9 विद्युत उपकेन्द्रों का अलग-अलग थ्रू-रेट एवं कम थ्रू-रेट वाले क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

96-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में कार्यरत 33 के0वी0ए0 के 9 विद्युत उपकेन्द्रों का अलग-अलग थ्रू-रेट (सप्लाई की गयी बिजली के सापेक्ष प्राप्त होने वाला राजस्व) क्या है ? क्या सरकार सबसे कम थ्रू-रेट वाले क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को सुधार का लक्ष्य निर्धारित

करने तथा लक्ष्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

नगर फिरोजाबाद में नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, फिरोजाबाद के अन्तर्गत 09 नं0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का माह जुलाई, 2016 तक का थ्रू-रेट का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	उपकेन्द्र का नाम	ऊर्जा (मि0यू0)	रियलाइजेशन (रु0 करोड़ में)	थ्रू-रेट प्रति यूनिट
1	औद्योगिक क्षेत्र	4.038	1.97	4.88
2	सुहाग नगर	1.979	0.72	3.64
3	गांधी पार्क	2.157	0.99	4.59
4	राम नगर	2.909	0.79	2.72
5	रसूलपुर	5.160	0.78	1.51
6	लेवर कालोनी	3.188	1.08	3.39
7	आसफाबाद	3.452	0.70	2.03
8	पुरुषोत्तम विहार	4.797	1.59	3.31
9	एस0एन0	5.916	2.04	3.45

लक्ष्य निर्धारित कर थ्रू रेट को बढ़ाने हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि थ्रू-रेट को बढ़ाया जा सके। थ्रू-रेट प्राप्त करने हेतु प्रयास न करने वाले अवर अभियन्ताओं/उप खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी आवश्यकतानुसार की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत टूण्डला में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

97-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन द्वारा जिला फिरोजाबाद अन्तर्गत टूण्डला में 220 के0वी0 क्षमता के स्वीकृत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0-क-5 नं0-467753, दिनांक 09-10-2015, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जिला प्रशासन के माध्यम से उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 की भूमि उपलब्ध एवं उपकेन्द्र के निर्माण पूर्ण करने की जानकारी

98-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपने अर्द्ध शा0 पत्र सं0-236/24-पी-1-2013-4137/2012, दिनांक 29-01-2013 द्वारा उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन फिरोजाबाद नगर में आवश्यक भूमि प्राप्त होने के पश्चात् 400 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा, से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0टी0जेड क्षेत्र में अवस्थित नगर फिरोजाबाद को अतिभारिता से मुक्त कराते हुए उक्त विद्युत उपकेन्द्र को बनाने की समय-सीमा तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पक्ष में अंतरण की कार्यवाही गतिशील है।

भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त होने एवं वित्त पोषण सुनिश्चित होने के उपरान्त लगभग 30 माह में उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण होना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में अग्निकाण्डों में पीड़ितों को सहायता दिये जाने की जानकारी

99-श्री मनीष असीजा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 जनवरी, 2014 से 31 अक्टूबर, 2015 के मध्य नगर फिरोजाबाद में घरों, दुकानों, गोदामों एवं कारखानों में आगजनी की कितनी घटनायें पंजीकृत हुई उक्त अग्निकाण्डों में पीड़ितों के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या राहत के कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत अवधि के मध्य नगर फिरोजाबाद में आगजनी की 7 घटनायें पंजीकृत हैं। उक्त अग्निकाण्ड की घटनायें दैवी आपदा (प्राकृतिक आपदा) से आच्छादित न होने के कारण कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के नारखी क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

100-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नारखी क्षेत्र में 132 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-क-5 नं0-467754, दिनांक 09-10-2015 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जिला प्रशासन के माध्यम से उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में खैर से सोभना एवं जट्टारी से पिसावां मार्ग के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी

101-श्री भगवती प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में खैर से सोभना एवं जट्टारी से पिसावां मार्ग के निर्माण में अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-ख-5 नं0-502283, दिनांक 23-07-2016 जिलाधिकारी, अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, अपितु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-5 नं0-502283, दिनांक 23-07-2016 के स्थान पर पत्र संख्या ख-5 नं0-592283 तद्दिनांक प्राप्त हुआ है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करायी गयी। कार्य मानकों के अनुरूप पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद में राम जानकी राज्य मार्ग-72 की टूटी 9 कि0मी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने की मांग

102-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में रामजानकी राज्य मार्ग 72 पर गोपालपुर, गोला, दईडीहा, उरुवा तक कुल 8 कि0मी0 दूरी तक अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष रामजानकी राज्य मार्ग 72 के उपरोक्त 8 कि0मी0 सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गोरखपुर जनपद में राम जानकी राज्य मार्ग 72 कुल 60 कि0मी0 है। जिसमें 51 कि0मी0 की चौड़ाई 7 मीटर है। अन्य 9 कि0मी0 को चौड़ा करने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में इसका चौड़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत आछीडीह से सरया खास तक राप्ती किनारे तटबन्ध का निर्माण कराने की मांग

103-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के अन्तर्गत आछीडीह से सरया खास तक राप्ती किनारे अवशेष तट बन्धा का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के अन्तर्गत आछीडीह से सरया खास तक राप्ती किनारे बैरिया सराय तटबन्ध के निर्माण हेतु परियोजना लागत रु0 7582.19 लाख उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति की 47वीं बैठक दिनांक 08-04-2015 द्वारा स्वीकृत है। परियोजना नाबार्ड से वित्त पोषण की प्रक्रिया में है। परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदनोनरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे ग्राम बारा नगर में पम्प कैनाल के पूर्व कटाव की रोकथाम हेतु धन स्वीकृति एवं पुनः निर्माण की मांग

104-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे ग्राम बारानगर में पम्प कैनाल के पूरब कटाव की रोकथाम हेतु धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के अन्तर्गत सरयू नदी किनारे ग्राम बारानगर में पम्प कैनाल के पूरब कटाव की रोकथाम हेतु धन स्वीकृत नहीं किया गया है अपितु उक्त स्थल के कटाव की रोकथाम हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना लागत रु0 856.90 लाख उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति की 48वीं बैठक दिनांक 14-03-2016 द्वारा स्वीकृत है। परियोजना नाबार्ड से वित्त पोषण की प्रक्रिया में है। परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के आन्तर्गत ग्राम खखाइजखोर एवं ग्राम रतनपुरा में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने की जानकारी

105-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम खखाइजखोर एवं ग्राम रतनपुरा में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कार्य पांच वर्ष से बन्द है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों परियोजनाओं को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत ग्राम सभा खखाइजखोर में समय स्थान भीटी के नाम से 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन है, जिसे अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराकर उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत करते हुए व्यवसायिक भार पर ले लिया जाना लक्षित है।

इसी प्रकार उसी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (चिल्लूपार) का कार्य निर्माणाधीन है, जिसे अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराकर उपकेन्द को ऊर्जीकृत करते हुए व्यवसायिक भार पर ले लिया जाना लक्षित है।

अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गाजीपुर के थाना सोहावल में ग्राम खजुआ के स्वर्गीय सीताराम सिंह भूतपूर्व सैनिक आदि को सरकार द्वारा दी गयी भूमि को उनके वारिसों के नाम दर्ज किये जाने की मांग

106-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-02-2016 जिला गाजीपुर के थाना सोहावल में स्थित ग्राम खजुहा के स्व0 सीताराम सिंह भूतपूर्व सैनिक आदि को सरकार द्वारा दी गयी भूमि को राजस्व अभिलेखों में उनके एवं उनके वारिसों के नाम दर्ज किये जाने विषयक प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र की जांच करायी गयी। ग्राम खजुहा में पुरानी गाटा संख्या-97 से नया नम्बर गाटा संख्या-168 रकबा 0.292 हे0 बना है, जो वर्तमान खतौनी में बंजर के खाते में अंकित है। मौके पर आराजी नं0-168 में कुछ भूमि पर चण्डी मां का स्थान है तथा शेष स्थान पर ग्रामीणों द्वारा खलिहान के रूप में प्रयोग किया जाता है। भूमि मौके पर खाली है। आवेदक संसार सिंह यादव पुत्र स्व0 सीताराम निवासी खजुहा को बुलाकर उनसे प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। उनके द्वारा जो अभिलेख उपलब्ध कराए गए उनमें कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उनका नाम अभिलेखों में अंकित करने का आदेश दिया गया हो। उपलब्ध साक्ष्यों में सीताराम सिंह बनाम गांव सभा वाद संख्या-1403 धारा-43 एल0आर0 एक्ट जो एस0डी0ओ0 जमानियां के न्यायालय में दिनांक 1-1-1968 को निर्णीत हुआ है, जिसमें एस0डी0ओ0 जमानियां द्वारा नामान्तरण प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया है। आवेदक संसार सिंह यादव द्वारा आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कथित आदेश दिनांक 11-10-1989 के आधार पर नाम अंकित करने का अनुरोध किया गया है,

परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश की प्रति/कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे अभिलेखों में उनका नाम अंकित किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की नौ सड़कों की विशेष मरम्मत/नव निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

107-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0-10675867/2015, दिनांक 20-08-2015, जो जनपद मथुरा की 9 सड़कों की विशेष मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में अंकित 09 मार्गों में से क्रमांक-2 पर अंकित मार्ग की दशा संतोषजनक है।

क्रमांक-4 व 9 पर अंकित मार्ग के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत है कार्य प्रगति पर है।

क्रमांक-1,3,5,6,7,8 पर अंकित मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिनकी मरम्मत/नवनिर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के आवास एवं विकास परिषद् की राधिका विहार योजना में विधायक कोटे से आवासीय भू-खण्ड आवंटित करने की जानकारी

108-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के आवास एवं विकास परिषद् की राधिका विहार योजना मथुरा में विधायक कोटे से आवासीय भू-खण्ड आवंटित करने हेतु मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर सं0-पी0जी0-10675871, दिनांक 21-08-2015 प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग को समुचित कार्यवाही किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की राधिका विहार योजना मथुरा के स्वीकृत ले-आउट के अनुसार खसरा संख्या-2059 के पीछे भाग में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-424 से 428 सृजित है, जिसमें भवन संख्या-424 का निर्माण हो पाया है। शेष भवन संख्या-425 से 428 का रिक्त क्षेत्रफल

265 वर्गमीटर मौके पर उपलब्ध है, जिसकी गहराई 13.70 व 6.30 मीटर है। उक्त भूमि वाद संख्या-99/87 से ग्रसित है एवं निषेधाज्ञा प्रभावी होने से भवनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में यह भूमि आवंटन योग्य नहीं पायी गयी है।

मा0 विधायक द्वारा चाही गयी भूमि, भवन संख्या-425 से 428 के प्रस्तावित क्षेत्रफल का आंशिक भाग है। अतः इसका आवंटन नियमानुसार सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत राया, प्रदेश के मुख्य जनपदों की जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने का प्रकरण

109-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0-10675874/2015, दिनांक 21-08-2015, जो जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा राया मुख्य मार्ग प्रदेश के जनपद हाथरस व अन्य जनपदों को जोड़ने वाली सम्पर्क मार्ग राया बाईपास लगभग 3 किमी0 बनवाने विषयक है, उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

राया कस्बा (राया टाऊन एरिया) की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 18032 है। वर्तमान में एक लाख से कम आबादी के शहरों के बाईपास का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर में रहीम नगर से भरत नगर के आगे तक जाने वाली विद्युत हाईटेंशन लाइन को हटवाने या भूमिगत लाइन बिछाने की मांग

110-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में रहीम नगर से भरत नगर के आगे तक जाने वाली विद्युत हाईटेंशन लाइन रिहायशी आवासों के ऊपर से होकर गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिहायशी इलाके में खतरा बन चुकी उक्त विद्युत हाईटेंशन लाइन को हटवायेगी या भूमिगत लाइन बिछायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

लखनऊ नगर में रहीम नगर से भरत नगर के आगे तक जाने वाली विद्युत हाईटेंशन लाइनें इस क्षेत्र के विकसित होने के पूर्व से विद्यमान हैं। यहां के निवासियों ने भारतीय विद्युत नियमावली,

1956 की धारा-77, 78, 79 एवं 80 का उल्लंघन करते हुए मकानों का निर्माण कराया है। उक्त नियमावली में यह प्राविधानित है कि भवन निर्माणकर्ता धारा-82 के अन्तर्गत लाइन स्थानान्तरित कराने हेतु विद्युत विभाग से प्राक्कलन हेतु आवेदन कर सकता है। भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने के उपरान्त ही प्रश्नगत लाइनें स्थानान्तरित की जानी सम्भव होंगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में तेलीबाग चौराहे के बाद नीलमथा के आगे रेलवे ब्रिज से बाई तरफ लगभग 200 मीटर दूरी पर बीच में लगभग 100 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने का प्रकरण

111-श्री मुहम्मद गाजी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2016 के 1ले बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिग्रहीत भूमि पर निर्मित निर्माण के समायोजन हेतु आवेदन-पत्र में वांछित औपचारिकताएं पूरा कराकर निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त स्थल वृन्दावन योजना संख्या-2 एवं 3 लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बरौली खलीलाबाद के खता संख्या-105 व 114 खसरा संख्या-1544 पर स्थित है। उक्त भूमि पर पुराना निर्माण है। उक्त अधिग्रहीत भूमि पर निर्मित निर्माण के समायोजन हेतु आवेदन परिषद् के सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु आवेदन में वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न होने एवं अस्पष्ट होने के कारण अग्रिम कार्यवाही बाधित थी। वर्तमान में आवेदक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कर दी गयी हैं, जिस पर परिषद् द्वारा गुण-अवगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर स्थित पुराने निर्माण पर नियमानुसार निर्णय लिये जाने की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष सड़क के निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के गोलाघाट पुल के दोनों ओर तटबन्ध बनवाने की मांग

112-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के गोलाघाट पुल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार दोनों ओर तटबन्ध बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

113-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 23-08-2016 को अता0प्र0सं0-81 द्वारा उत्तरित]

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों में बांस-बल्लियों के स्थान पर नये पोल लगवाये जाने की मांग

114-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 10-03-16 एवं 17-07-16 पत्रांक-650 जो कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के न्यू आजाद नगर सतबरी रोड, रामपुरम्, श्यामनगर, कोयलानगर, कंचन विहार मंगला विहार आदि क्षेत्रों में बांस-बल्लियों के स्थान पर नये बिजली के पोल लगाये जाने विषयक है, प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

छावनी विधान सभा क्षेत्र के न्यू आजाद नगर, सतबरी रोड, रामपुरम्, कोयला नगर आदि क्षेत्रों में बांस-बल्लियों के स्थान पर लगभग 160 पोल केस्को द्वारा लगवा दिये गये हैं एवं ए0बी0सी0 का शेष कार्य प्रगति पर है।

उक्त के अतिरिक्त मंगला विहार प्रथम, कंचन विहार, श्याम नगर के क्षेत्र वर्तमान में किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घरेलू औद्योगिक परिसर में विद्युत बिल बकाया होने पर पुराना बिल बिना चुकता किये निर्वासित लोगों के लिए दूसरा नया कनेक्शन देने की जानकारी

115-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घरेलू/औद्योगिक परिसर में संयोजित विद्युत कनेक्शनों के विद्युत बिल बकाया होने पर विच्छेदित होने के उपरान्त बिना पुराना बिल चुकता किये उसी परिसर में दूसरा नया कनेक्शन देने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार गरीब मलिन बस्ती में निर्वासित लोगों के लिये ऐसा प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के बेली उपरहार में स्थित कतिपय भू-खण्डों का नक्शा ले-आउट कराने हेतु राजकीय आस्थान/राजस्व विभाग से अनापत्ति लेने की जानकारी

116-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद में दोहरी प्रविष्टियों की भूमि पर नक्शा ले-आउट पास कराने हेतु राजकीय आस्थान/राजस्व विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता

है ? यदि हां, तो क्या बेली उपहर स्थित भू-खण्ड संख्या-354/414/455/498 तथा 499 पर भी ये नीति लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-5542/8-नजूल-303एन/82, दिनांक 31-12-1982 एवं शासनादेश संख्या-2683/9-आ-4-2001-295एन/2001, दिनांक 22-10-2001 एवं शासनादेश संख्या-7/2365/8-4-14-64एन/14, दिनांक 11-12-2014 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में राजकीय आस्थान/राजस्व विभाग से अनापत्ति लेने की आवश्यकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गोमतीनगर लखनऊ में विद्युत सप्लाई की कम वोल्टेज की समस्या के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ऊर्जा को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

117-श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमतीनगर लखनऊ में विद्युत सप्लाई की कम वोल्टेज की समस्या विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-435 ल0वि0पू0/2016, दिनांक 05-02-2016 प्रमुख सचिव, ऊर्जा उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

गोमतीनगर क्षेत्र, लखनऊ में विद्युत समस्याओं के निराकरण हेतु दो नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र प्रत्येक 2 x 10 एम0वी0ए0 क्रमशः ग्वारी कलवर्ट एवं मंत्री आवास, विभूति खण्ड में बनवाये गये हैं तथा 250 के0वी0ए0 एवं 400 के0वी0ए0 के कुल 43 नग नये परिवर्तक स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार वर्तमान में गोमतीनगर क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या नहीं है तथा विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में आपदा राहत के अन्तर्गत जारी कतिपय चेकों को खाताधारकों के वारिसानों के नाम जारी करने की जानकारी

118-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील-सगड़ी में आपदा राहत के अन्तर्गत जारी चेक सं0-(एस0 के0 जी0 बी0/सी0 डी0/ए0,नं0)-498011 एवं चेक सं0 (एस0के0जी0बी0/सी0डी0/ए0नं0) 498012, दिनांक 22-05-2015 खाता धारक के मरणोपरान्त उनके वारिसानों के नाम से जारी करने विषयक पत्र दिनांक 19-11-2015, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सन्दर्भित पत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़ के अभिलेखों में दर्ज नहीं है। प्रकरण संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी द्वारा आवेदक श्री प्रवीन पाठक से उक्त पत्र की छायाप्रति प्राप्त की गयी।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में आपदा राहत के अन्तर्गत जारी पुराने चेक सं0-498011 दिनांक 22-05-2015 (मु0 7,254.00) के धारक श्री राजेन्द्र पुत्र विजय नरायन की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान श्री नवीन कुमार पुत्र स्व0 राजेन्द्र, श्री प्रवीन पुत्र स्व0 राजेन्द्र तथा श्रीमती चन्द्रावती धर्मपत्नी स्व0 राजेन्द्र को रु0 2,418/- धनराशि के नये चेक संख्या-350530, 350527 एवं 350528 दिनांक 19-08-2016 को प्राप्त करा दिये गये हैं।

इसी प्रकार पूर्व में जारी किये गये चेक संख्या-498012, दिनांक 22-05-2015 (मु0 1500) के धारक श्री ज्ञानेन्द्र पुत्र श्री विजय नरायन की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र श्री सुरेश चन्द का भी निधन हो गया है। अतः उनके वारिस श्री आनन्द स्वरूप पुत्र सुरेश चन्द्र को रु0 1500/- धनराशि का नया चेक संख्या-350529, दिनांक 19-08-2016 को प्राप्त करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी परगना गोपालपुर के अन्तर्गत जोत शेख नादिर की खतौनी में खाता धारकों के वास्तविक नाम के स्थान पर राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फर्जी नाम अंकित किये जाने का प्रकरण

119-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी, परगना-गोपालपुर के अन्तर्गत आराजी खोखरपुर, जोत शेखनादिर की खतौनी सन् 1410 से 1415 फ0 खाता सं0-61 गाटा सं0-122 मि0, 152 मि0, 153 मि0, 154 मि0 में प क 23 के आधार पर खाता धारकों के वास्तविक वारिसानों के स्थान पर राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कूटरचना कर फर्जी नाम अंकित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खतौनी में वास्तविक वारिसानों के नाम दर्ज करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम-खोखर जोत शेख नादिर की खतौनी सन् 1410 से 1415फ0 के खाता सं0 61 पर कूटरचना करके गाटा सं0 132मि/0.170हे0, 152मि/0.203हे0, 153मि/0.330हे0, 154मि/1.313हे0 कुल 4 गाटा/2.016 हे0 दोहरी प्रविष्टि अंकित कर फर्जी खातेदार के नाम की गयी है, साथ ही उपरोक्त गाटे वास्तविक खाता धारकों के नाम पूर्व से वर्तमान तक उनके रकबे के साथ बदस्तूर अभिलेख में कायम हैं। यह कहना कि खाताधारकों के वास्तविक वारिसानों के नाम के स्थान पर फर्जी नाम अंकित किये गये हैं सही नहीं है, किन्तु तथ्य यह है कि इन्हीं नम्बर रकबे को दोहरी प्रविष्टि द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम भी फर्जी खाता कायम किया गया है।

दोहरी प्रविष्टि के निस्तारण हेतु आख्या उप जिलाधिकारी, सगड़ी के न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी है। जो उनके न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में हाथरस ब्रांच-लौहचा (एटा) निरीक्षण भवन से निकलने वाले राजवाहा के ग्राम दौलतपुरा में (डिस्ट्रिक्ट रोड ब्रिज) का निर्माण कराये जाने की जानकारी

120-श्री मनीष असीजा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में हाथरस ब्रांच-लौहचा (एटा) निरीक्षण भवन से निकलने वाले फिरोजाबाद राजवाहा पर कि0मी0 35-36 पाइंट पर दौलतपुर गांव के पास पी0डब्लू0डी0 की सड़क क्रास करने हेतु डाले गये पाइप भारी वाहनों के चलते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ? क्या सरकार बतायेगी राजवाहा अवरुद्ध हो जाने की समस्या के समाधान हेतु डी0आर0बी0 (डिस्ट्रिक रोड ब्रिज) निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव (सिंचाई विभाग) को प्रेषित पत्र संख्या-ख-5 नं0-891951 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग द्वारा एक परियोजना गठित कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में नागरिकों की अवस्थापना सुविधाओं से युक्त आवासीय कालोनी बनवाये जाने की मांग

121-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में निजी/अवैध कालोनियों में अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में बहुत बड़ी संख्या में नागरिक नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद में नागरिकों के लिये अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एक बड़ी नयी आवासीय योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के पास लैण्ड बैंक न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा कोई आवासीय योजना विकसित नहीं की जा सकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत खैलार नहर से गोपालपुरा तक जर्जर मार्ग के निर्माण या मरम्मत कराने की मांग

122-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड-बबीना अन्तर्गत खैलार नहर से गोपालपुरा तक मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक कठिनाइयों का

सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण या मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत खैलार से गोपालपुरा तक दतिया वाहक नहर है जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। अतः उक्त मार्ग का मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ा गांव के ग्राम दोंन से गोरामछिया तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग

123-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड-बड़ागांव के ग्राम-दोंन से गोरा मछिया तक सम्पर्क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत या निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में पारीक्षा रेलवे क्रासिंग से रमैयापुरा होते हुए धरमपुरा तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की जानकारी की मांग

124-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड-चिरगांव में पारीछा रेलवे क्रासिंग से रमैयापुरा होते हुए धरमपुरा तक सड़क अत्यन्त जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। प्रश्नगत मार्ग जनपद झांसी के चिरगांव विकास खण्ड चिरगांव में पारीक्षा रेलवे क्रासिंग के समीप नहर की पटरी से होते हुए ग्राम रमैयापुरा तथा धरमपुरा तक जाता है, जिसकी कुल लम्बाई 4.30 किमी0 है जिसमें 02 किमी0 नहर की पटरी पर निर्मित है।

शेष 2.30 किमी0 धरमपुर सम्पर्क मार्ग के रूप में निर्मित है। इसके नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2016-17 में स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

125-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा में वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा मथुरा शहर के महौली रोड को मास्टर प्लान के अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराने एवं मरम्मत कराने का प्रकरण

126-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0-10486214/2014, दिनांक 31-07-2014 जो जनपद मथुरा अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा जनपद मथुरा में मथुरा शहर के महोली रोड को मास्टर प्लान के अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराकर 100 फीट चौड़ा किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करते हुए सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मथुरा-वृन्दावन पुनरीक्षित महायोजना वर्ष 2021 के अनुसार महोली रोड की चौड़ाई 100 फीट न होकर 24 मी0 (80 फीट) दर्शित है। उक्त प्रस्तावित 24 मी0 चौड़ाई की भूमि पूर्णतः शासकीय स्वामित्व की नहीं है। सन्दर्भित सड़क की चौड़ाई राजस्व मानचित्र के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है तथा किसी तरह का कोई अतिक्रमण महोली मार्ग पर नहीं है।

उक्त सन्दर्भित महोली मार्ग पर दो-लेन सड़क का सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(वेल में पहले से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी आदि सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण सदन बहुत थोड़े समय के लिए है, कल भी आप लोग सदन नहीं चलने दिये, आज भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आप अपने गुजरात को देखिये वहां कांग्रेस के सारे

विधायक विधान सभा से निकाल दिये गये हैं। आप लोग शांति से चलाइये। बैठिये, बाढ़ पर चर्चा लगी है, कानून-व्यवस्था पर नेता विरोधी दल और आप सबकी नोटिसेस हैं, उस पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने सीटों पर जाइये। आप चर्चा नहीं कराना चाहते, बाढ़ पर चर्चा नहीं कराना चाहते, कानून-व्यवस्था पर आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, आप केवल व्यवधान पैदा करना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पुलिस के बल पर यह सरकार अत्याचार कर रही है। पूरे प्रदेश में इमरजेंसी जैसी स्थिति है, लखनऊ में पुलिस के बल पर इतनी बड़ी गुण्डागर्दी आज तक नहीं हुई। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, निर्दोषों को पीटा जा रहा है।

[12.23 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सीटों पर चलिये। अब मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा हूं।

आज दिनांक 24-08-2016 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत की गयीं।

पहली सूचना पं0 सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की है, मा0 सदस्य वेल में हैं।

तीसरी सूचना श्री बावन सिंह की है, मा0 सदस्य वेल में हैं।

चौथी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की, जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय 200 आबादी वाले ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों का मरम्मत/लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में है,

छठीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अन्तर्गत राप्ती नदी के कटान से प्रभावित गांवों में बोल्डर पीचिंग व स्पर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आई बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

नवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है, मा0 सदस्य वेल में हैं।

दसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जयसवाल की जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से प्रभावित किसानों का मुआवजा शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है,

ग्यारहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत पंचमलाल की मृत्यु के पश्चात् मृतक आश्रित पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौरी-चौरा में किसानों को राहतराशि एवं पूर्व से लम्बित पड़े मुआवजे को अविलम्ब दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

तेरहवीं सूचना डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी की जनपद लखनऊ के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गीतापल्ली वार्ड में ईको पार्क के निर्माण में ध्वस्त भूमिगत नाला (साइफन) के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

चौदहवीं सूचना डॉ0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पन्द्रहवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की जनपद महोबा की विधान सभा क्षेत्र महोबा में नई सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा-

[मा0 मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न मुख्य मार्ग अति क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

1-मोदीनगर-तलहैटा-धनतला मार्ग तक।

2-तलहैटा से भूडगढ़ी मार्ग एवं आबादी भाग में सी0सी0 व नाली का निर्माण।

3-भोजपुर-पिलखुआ (फरीदनगर) से किन्हापुर मार्ग।

4-शाहजहांपुर विद्यापुर मार्ग से बखरवा सम्पर्क मार्ग।

5-सैदपुर से मुरादाबाद सम्पर्क मार्ग।

6-मछरी से शाहजहांपुर मार्ग।

7-भोजपुर पिलखुआ मार्ग के कि0मी0-4 से अमराला सम्पर्क मार्ग।

8-शामली से रजवाहे की पटरी गाजियाबाद की सीमा तक।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-सारा से गांवड़ी मार्ग।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय 200 आबादी वाले ग्रामों एवं मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र-222, बबीना (झांसी) बुन्देलखण्ड का सबसे बड़ा स्टोन क्रेशर का जोन है एवं सबसे पिछड़ा पहाड़ी एवं ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है भौगोलिक स्थिति जनपद-सोनभद्र से मिलती-जुलती है। म0प्र0 राज्य से तीन ओर से घिरा है इसलिए आबादी छोटे-छोटे मजरों में विभाजित हैं, जिस प्रकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 200 आबादी वाले ग्रामों/मजरे डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना से आच्छादित हैं, इसी तरह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित 200 आबादी वाले मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से आच्छादित किये जायें क्योंकि इन ग्रामों में देश की आजादी से अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और वह जनजातीय जीवन जीने को मजबूर हैं। विद्युतीकरण न होने की इस गम्भीर समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के साथ ही क्षेत्र में स्थित इन 200 आबादी वाले ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत/लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित 1-ग्राम कबूलपुर से नगला सीसिया, ककरारी तक, 2-ग्राम बजेहरा लौधई श्यामो मोड़ तक, 3-ग्राम गढ़सानी से बरारा तक, 4-बिचपुरी रेलवे स्टेशन से बिचपुरी पानी की टंकी तक की मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कों का 10 वर्षों से अधिक समय होने एवं रख-रखाव, सुरक्षा व्यवस्था न होने से जर्जर हालत हो गयी है। मेरे द्वारा अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से शासन/प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गंगा के कटान के कारण कुण्डाकलां, कुण्डाखुर्द, बहादुरपुर, सकुराबाद, मबई कलां, सहजौर ग्राम सभाओं की पैदावार जमीन प्रतिवर्ष गंगा के कटान के कारण गंगा नदी में समाहित होता जा रहा है। जिससे कि क्षेत्रीय किसानों एवं नागरिकों को अपने जीविकोपार्जन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस कटान को जनहित में रोकना अतिआवश्यक है अन्यथा इस क्षेत्र के हजारों हजार किसान भुखमरी के कगार पर आ जायेंगे तथा इनका जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। उक्त समस्या से जिला प्रशासन एवं सरकार को कई बार अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे सरकार के प्रति गंगा के कटान को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अन्तर्गत राप्ती नदी के कटान से प्रभावित गांवों में बोल्डर पिचिंग व स्पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[मा0, मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु, जनपद-सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कूड़ा नदी, बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी की कटान से निम्नलिखित दर्जनों गांवों का अस्तित्व खतरे में है, जनहित में कटान प्रभावित उक्त गांवों में बोल्डर पिचिंग व स्पर निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है :-

1-विकास खण्ड-जोगिया, राप्ती नदी ग्राम-परखौली, अमरिया, संगलदीप व गायघाट।

2-विकास खण्ड-जोगिया, बूढ़ी राप्ती नदी, खेतवल तिवारी, तनेजवा व फत्तेपुर।

3-कूड़ा नदी ग्राम-तिघरा, तिलसड़ी, महथावल व परसपुर।

4-विकास खण्ड-नौगढ़ स्थित कूड़ा नदी ग्राम पंचायत गनेरा में बांध पर एक अदद रेग्युलेटर का निर्माण कार्य।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आई बाढ़ के कारण आम जन-जीवन अस्त-व्यवस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मा0, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया गंगा और घाघरा नदी के बीच स्थित है। वर्तमान में दोनों नदियों के बाढ़ के कारण आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नदियों का जल स्तर जब कम हो

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जायेगा तो कटान शुरू हो जायेगा जिसके कारण आम जनता के धन, जन की भारी क्षति होगी। कटान को रोकने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि बाढ़ के स्थायी समाधान न होने के कारण वर्षा के दिनों में हमेशा कटान की समस्या बनी रहती है। जनहित में कटान की समस्या का समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः इस जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओलावृष्टि व बेमौसम बरसात से प्रभावित किसानों का मुआवजा शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मा0, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद-बस्ती के तहसील भानपुर एवं तहसील रुधौली में आपदा प्रभावित किसान जिम्मेदार अधिकारियों के चौखट तक चक्कर लगा-लगाकर थक-हार गया है। ओलावृष्टि व बेमौसम बरसात के चलते जहां रबी की पिछली फसल किसानों की बर्बाद हो गयी वहीं खेतों में खड़ी खरीफ की फसल किसान आर्थिक तंगी के चलते नहीं उपजा पा रहा है। कहीं बाढ़ व कहीं सूखे की समस्या से पूरा जनपद प्रभावित है। विगत चार वर्षों से किसान लगातार सूखा, बाढ़ एवं ओलावृष्टि की समस्या से ग्रसित है, किसानों के घाव पर मरहम लगाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को आहेतुक सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया गया था। आपदा राहत के लिए तहसील प्रशासन भानपुर के द्वारा लगभग 34 करोड़ 84 लाख रुपये की मांग की गयी थी, जिसमें अभी तक 7 करोड़ 20 लाख रुपये ही प्रापत हुए हैं। उसी क्रम में रुधौली तहसील के लिए 18 करोड़ 89 लाख रुपये की मांग की गयी थी जिसके सापेक्ष 3 करोड़ 25 लाख रुपये ही प्राप्त हुए हैं। शेष राशि के अभाव में किसान आज भी तहसीलों का चक्कर लगा रहा है। शेष धनराशि का यथाशीघ्र भुगतान किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे किसानों के घावों पर मरहम लगाया जा सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत पंचम लाल की मृत्यु के पश्चात मृतक आश्रित पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम हेत भारती-

[मा0, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

पंचम लाल पूर्व मा0 वि0 कोरार, विकास क्षेत्र पहला, जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। पंचम लाल की मृत्यु दिनांक 21-6-1994 के सेवा काल में हो गयी थी, मृतक पंचम लाल के पुत्र महेन्द्र कुमार सेन, निवासी ग्राम व पोस्ट सैर परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीतापुर ने अपने पिता स्व0 पंचम लाल के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने का आवेदन किया, जिस पर सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के द्वारा विशेष सचिव, शिक्षा-5 अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के प्रेषित पत्र सं0 बे0शि0प0/4907-8/2011-12, दिनांक 15-11-11 विषय परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्रा0 विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात आवेदन पर नियुक्ति सम्बन्धी छूट का अनुमोदन भी शासनादेश सं0-5103/15-5-2000-400(222)/99, दिनांक 4-9-2000 के पैरा 8 में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के द्वारा छूट का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद भी मृतक आश्रित की आज तक नियुक्ति नहीं की गयी जो शासनादेश का उल्लंघन के साथ मृतक परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है। जिससे मृतक का परिवार भुखमरी के कगार पर है।

अतएव अति महत्वपूर्ण, संवेदनशील व अविलम्बनीय विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौरी-चौरा में किसानों की राहत राशि एवं पूर्व से लम्बित पड़े मुआवजे को अविलम्ब दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[मा0, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में ओलावृष्टि होने के कारण क्षेत्रीय किसानों को अत्यधिक क्षति हुई थी, जनपद-गोरखपुर में ओलावृष्टि आदि से किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण क्षेत्रीय किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। सरकार द्वारा भी क्षेत्र का सर्वे कराकर प्राकृतिक आपदा ग्रस्त घोषित किया था।

किसानों को गत वर्ष के प्राकृतिक आपदा राहत राशि अभी तक 20 प्रतिशत भी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी एवं इस वर्ष भी राहत राशि वितरित नहीं हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल के नुकसान का सही सर्वे नहीं किया गया और न ही आज तक किसानों को सही राहत राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।

राज्य सरकार से किसानों को नई व पुरानी सूखा राहत राशि व किसानों के पूर्व से लम्बित पड़े राहत राशि को अविलम्ब भुगतान कराने हेतु संबंधित विभागों को अपने स्तर पर कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त राहत राशि के भुगतान हेतु कोई कार्य नहीं किये जाने से क्षेत्र के किसानों में शासन के प्रति अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से जनपद-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के किसानों को राहत राशि एवं पूर्व से लम्बित पड़े मुआवजों को अविलम्ब दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गीतापल्ली वार्ड में ईको पार्क के निर्माण में ध्वस्त भूमिगत नाला (साइफन) के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी-

[मा0, मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ कैण्ट जनपद लखनऊ में पूर्व मुख्य मंत्री कु0 मायावती के सरकार के कार्यकाल के दौरान लखनऊ कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने जेल की जमीन पर कांशीराम इको पार्क का निर्माण आनन-फानन में कराया गया था जिसके दौरान इको पार्क के नीचे से गुजरने वाला एक पुराना साइफन (भूमिगत नाला) ध्वस्त कर दिया गया था। परिणामस्वरूप आलमबाग क्षेत्र के कई वार्ड जैसे कि गीतापल्ली, बाबू कुंज बिहारी, ओमनगर, गुरुनानक नगर सहित अन्य कई वार्ड के लगभग 2 लाख लोग पिछले कई वर्षों से जलभराव की समस्या से ग्रसित हैं। बरसात के दिनों में लोगों के घरों में कई फुट पानी भर जाता है जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के साथ आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है तथा बीमारियां फैलती हैं। उपरोक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु गीतापल्ली वार्ड में इको पार्क के निर्माण में ध्वस्त साइफन (भूमिगत नाला) का पुनर्निर्माण अतिआवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ की नगर प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0के0 वर्मा-

[मा0, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ की नगर प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष जिसकी क्षमता 1150 क्यूसेक की है किन्तु उक्त शाखा में शीर्ष से टेल तक सिल्ट जमा होने के कारण इस समय केवल 450 क्यूब लीटर पानी ही आ पा रहा है। मान्यवर कई बार मेरे द्वारा सदन में इस विषय को संज्ञान में लाया जा चुका है किन्तु अभी तक प्रभावी कार्यवाही दृष्टिगत नहीं है।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि इस जल शाखा शीर्ष में शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई हेतु धन उपलब्ध कराकर शीघ्रातिशीघ्र सफाई कराने हेतु सम्बन्धित को आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद महोबा की विधान सभा क्षेत्र महोबा में नई सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया-

[मा0, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनहित में क्षेत्र में कुछ नयी सड़कों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है, जिनमें मुख्य निम्नवत् हैं :-

---

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लुहेडी बस स्टैण्ड से ग्राम पठारी मार्ग, महोबा टेलीफोन एक्सचेंज ग्राम चन्द्रपुरा होते हुए ग्राम बनियांतला तक, ग्राम मबई खुर्द से भैस्ता नहर पटरी मार्ग, ग्राम बीला दक्षिण से मकरबई खोड़े तक, ग्राम सिंघनपुर बधारी से ग्राम बारी तक, ग्राम अतरार से कछियन पुरवा तक, ग्राम बड़खेरा रजबाहा मार्ग का पुनः निर्माण, ग्राम गहरा से सलुवा तक सड़क निर्माण, ग्राम उरवारा से कैमाहा मार्ग, ग्राम सिजहरी से ग्राम पवा तक, ग्राम सूरा चौकी से ग्राम सिजहरी होते हुए मजरा तक, ग्राम मामना मुडेरा से एन0एच0 तक, ग्राम कबरई से ग्राम कैमाहा, बीला उत्तर एवं बीला दक्षिण तक।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही की मांग करता हूं।]

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः-

1. श्री ललितेशपति त्रिपाठी 2. श्री प्रदीप माथुर 3. श्री राजकुमार रावत 4. ठाकुर दलवीर सिंह 5. श्री भगवती प्रसाद 6. श्री पूरन प्रकाश 7. श्री सुरेश कुमार खन्ना 8. श्री श्यामदेव राय चौधरी 9. श्री धर्मपाल सिंह 10. श्री मुकुट बिहारी वर्मा 11. श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 12. श्री रविन्द्र जायसवाल 13. श्री जगन प्रसाद गर्ग 14. श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया 15. डॉ0 अरुण कुमार 16. श्री सन्त प्रसाद 17. श्री अगयश रामसरन वर्मा 18. श्री राजबली जैसल 19. श्री मुकेश श्रीवास्तव 20. श्री चन्द्रभान सिंह पटेल 21. श्री दीपक पटेल 22. श्री शमशेर बहादुर शेरू भइया 23. श्री फेरन लाल अहिरवार 24. श्री हाजी मुसर्रत अली विट्टन 25. श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी 26. श्री गयाचरन दिनकर 27. ठा0 सूरज पाल सिंह 28. श्री भीम प्रसाद सोनकर 29. श्री राधेश्याम जायसवाल 30. श्री अनूप कुमार गुप्ता 31. श्री उमा शंकर सिंह 32. डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द 33. श्री मो0 जासमीर अंसारी 34. श्री उमेश पाण्डेय 35. श्री दलजीत सिंह 36. श्री संजय कपूर और 37. श्री उदय राज

[12:24 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को नियम-300 के अंतर्गत 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उसमें पहली सूचना श्री सुदेश शर्मा की मोदी शुगर मिल के मालिक श्री उमेश मोदी के विरुद्ध मोदी नगर थाने में धारा-420 एवं 3/7 में दर्ज मुकदमें में उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2016 को शहरी क्षेत्र के मा0 सदस्यों को हैण्डपम्प व नल, 8 कि0मी0 की हाट मिक्स प्लाण्ट निर्मित सड़क एवं लोहिया ग्राम के चयन की सुविधायें मा0 सदस्यों को अभी तक न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें शासनादेश जारी कर दिया गया है।

तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की गांधी सभागार, पीलीभीत में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 28 मई, 2016 में प्रोटोकाल सम्बन्धी निर्देशों का उल्लंघन कर सदस्य विधान सभा को बैठने का स्थान न दिये जाने एवं सभागार से बाहर कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

मोदी शुगर मिल के मालिक श्री उमेश मोदी के विरुद्ध मोदीनगर थाने में धारा-420 एवं 3/7 में दर्ज मुकदमें में उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री सुदेश शर्मा जी, आप अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलिये, इतने शोर में कह पाओगे ?

*श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कल नियम-56 के अन्तर्गत मैंने इसको उठाया था उसमें सरकार का जवाब आया था कि मिल मालिकों के खिलाफ इसलिए कार्यवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उनके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश है।

श्री सतीश महाना (वेल से)-

मान्यवर, बाहर निर्दोष लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर बल प्रयोग किया गया है। सैकड़ों लोग जीवन और मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यह सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा।)

(श्री सुरेश राणा द्वारा माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

राणा जी, क्या बाहर जाना चाहते हो?

*श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं हालांकि टी0वी0 चैनल और अखबार के माध्यमों से सब जानकारी है कि निरन्तर मिल मालिकों पर छापे मारने का सरकार दावा कर रही है इससे यह प्रतीत होता है कि इसमें कोई स्थगनादेश नहीं है। मान्यवर, मैंने स्वयं जानकारी की है कि इस प्रकार का कोई स्थगनादेश नहीं है। मेरी वहां के डी0सी0ओ0 से बात हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये। संसदीय कार्यमंत्री जी, मद संख्या-3। सुरेश राणा जी, आपका दोहरा चरित्र खुल गया है बाहर आते हो तो इतना प्रेम से बात करते हो।

[12.26] संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-का0नि0-2-634/ग्यारह-9 (1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश-(157)-2016, दिनांक 27 मई, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या का0नि0-2-634/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश- (157)-2016, दिनांक 27

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापी नहीं गयी।

मई, 2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-का0नि0-2-773/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0अधि0-30-07 आदेश-(158)-2016, दिनांक 02 जून, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या का0नि0-2-773/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(158)-2016, दिनांक 02 जून, 2016 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(भाजपा के सदस्य सदन के वेल से अनवरत सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-का0नि0-2-774/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0अधि0-30-07 आदेश-(159)-2016, दिनांक 02 जून, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या का0नि0-2-774/ग्यारह-9(135)-2015- उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(159)-2016, दिनांक 02 जून, 2016 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सतीश महाना (सदन के वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, बाहर निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं। माताओं बहिनों का अपमान किया जा रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है।)

उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2016 (दिनांक 29-01-2016 से 08-03-2016 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2016 (दिनांक 29-01-2016 से 08-03-2016 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

† छापी नहीं गयी।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2014 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2014 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज की बात भाजपा सदस्यों द्वारा कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

बाहर हो रहा है तो जाइये आप भी। आप लोग बड़ी होशियारी से यहां बैठ गये हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह ठंडे पानी की वजह से यहां गर्म माहौल में हैं। कार्यकर्ताओं को वहां ठंडे पानी के लिये छोड़ दिया है और खुद यहां उपद्रव कर रहे हैं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2015 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2015 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मद संख्या-9

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

अब मद संख्या-10।

[12.29] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015-2016) का पंचम प्रतिवेदन†

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015-2016) का पंचम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित पशुपालन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

(सदस्यों द्वारा सदन के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहने पर घोर व्यवधान)

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

जाइये अपने लोगों को बचाइये। आप लोग बहुत होशियार हैं लाठी से बचने के लिये यहां पर बैठ गये हैं और क्या।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, सदन की सूचना के लिये यह बताना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। यह तो इस गुमान की बुनियाद पर कि लाठी न चल जाये भागे हुए हैं वहां से।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015-2016) का 11वां प्रतिवेदन†

श्रीमती आशा किशोर-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015-2016), का 11वां प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (वर्ष 2015-2016) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' (वर्ष 2015-2016) का द्वितीय प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर निबन्धन विभाग से सम्बंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग यहां हंगामा कर रहे हैं बाहर जाकर हंगामा करें।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे।)

[12:31 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 अगस्त, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 24 अगस्त, 2016 से 30 अगस्त, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 23 अगस्त, 2016 को सदन में पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 24 अगस्त, 2016 को ली जायं :-

---

† छापा नहीं गया।

(1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

(2) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016

(3) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016

2-दिनांक 29 अगस्त, 2016 सदन का उपवेशन अपराह्न 2:00 बजे से प्रारम्भ हो।

3-दिनांक 29 अगस्त, 2016 को प्रश्नकाल न हो तथा किसी भी नियम के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

4-दिनांक 23 अगस्त, 2016 को सदन में पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 29 अगस्त, 2016 को ली जायं :-

(1) उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016

5-सदन का दिनांक 24 अगस्त से 30 अगस्त, 2016 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :-

अगस्त, 2016

24 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण। **2**-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण- (1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 (3) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016
25 गुरुवार	जन्माष्टमी का अवकाश (बैठक नहीं होगी)।
26 शुक्रवार 27 शनिवार 28 रविवार	बैठक नहीं होगी।

29 सोमवार

1-निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनायें।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण-

(1) उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016

30 मंगलवार

1-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति प्रयुक्त की गई आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के लिए श्री अमित तिवारी, चीफ इन एडिटर, राजनगर, जनपद-गाजियाबाद तथा श्री सतीश श्रीवास्तव, स्थानीय संवाददाता, उ0प्र0 इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया प्रा0 लि0, बस्ती के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विधान सभा की विशेषाधिकार समिति की, की गई निम्नलिखित संस्तुति पर विचार किया जाना :-

'इण्डो विजन नेटवर्क मीडिया के चीफ इन एडिटर तथा स्थानीय संवाददाता, श्री सतीश श्रीवास्तव को सदन में बुलाकर सदन स्वयं उनके दण्ड का निर्धारण करे।'

2-विधायी कार्य।

3-असरकारी दिवस [(आधा दिन) शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त, 2016 के स्थान पर]।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12:33 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-8-2016 को नियम-311 की एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित करते हुए नियम-56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित

सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की (नियम-311 से परिवर्तित), श्री राजबली जैसल, श्री दीपक पटेल, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री उमाशंकर, श्री त्रिभुवन राम, श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में, दूसरी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में, तीसरी सूचना श्री गयाचरण दिनकर, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री फेरन लाल, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री गयादीन अनुरागी, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री माविया अली, श्री दलजीत सिंह, श्री रवि शर्मा, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रामहेत भारती, श्री उमेश पाण्डेय की प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं एवं बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में।

श्री मनीष असीजा की सूचना डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजकता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की सूचना नगर आयुक्त गोरखपुर की लापरवाही के कारण नगर निगम की जमीन से अतिक्रमण न हटने के कारण विहिया पी0ए0सी0 गेट के सामने पुल का एप्रोच मार्ग न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शेष सूचनाएं अस्वीकार की गईं।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव व अन्य माननीय सदस्यगण जिन्होंने बाढ़ पर अपनी सूचना दी है यह कोई बोलेंगे। प्रदेश में इतनी बाढ़ आई हुई है।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निरन्तर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री गया चरण दिनकर)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश में बिगड़ती हुयी कानून-व्यवस्था और प्रदेश में हर वर्ग की महिलाओं के साथ हो रही तमाम आपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में तथा प्रदेश में सरकार की निष्क्रियता से उत्पन्न हो रही ज्वलंत समस्या के सम्बन्ध में चर्चा कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप चर्चा करना चाहें तो करें हम सुनने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह करने नहीं देना चाहते। आपकी सूचना जो प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के संबंध में है, यह 30 तारीख को ली जायेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सही नहीं है। समाचार पत्र में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े गलत हैं। जो आंकड़े प्रेस ने दिये हैं वह कहां से दिये हैं यह जानकारी सरकार लेना चाहेगी। आज अधिकारियों की तरफ से एक बड़ी प्रेस कान्फ्रेंस होगी जिसमें यह जानकारी ली जायेगी कि यह आंकड़े कहां से मिले। मान्यवर, यह सब फर्जी आंकड़े हैं और तथ्य से बिल्कुल परे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब इसको 30 तारीख को दीजियेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको 30 तारीख को विस्तार से दीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे पास महिला उत्पीड़न की पूरी लिस्ट है और इसमें दहेज मृत्यु, बलात्कार, शील भंग, अपहरण, छेड़खानी, महिला उत्पीड़न इन सब में 6 प्रतिशत, 33 प्रतिशत की कमी आई है और मैं थोड़ा-सा और आईना दिखाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको 30 तारीख को ले लिया है तो 30 तारीख को पूरा ब्यौरा दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि सदन में एक पक्ष आया है और एक पक्ष यह आया है कि अपराध बढ़े हैं। इसलिये यह जिम्मेदारी है कि मैं बतला दूं कि अपराध बढ़े नहीं हैं, अपराध घटे हैं और समाचार पत्रों में जो यह खबर आई है जिसका संज्ञान सदन में नहीं लिया जा सकता, यह खबर सही नहीं है, यह फर्जी खबर है और इस पर हमारे अधिकारियों की प्रेस कान्फ्रेंस आज ही होने जा रही है और उसका खण्डन किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध घटे हैं। अपराध बढ़े हैं उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां अपराध बहुत बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अब वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर कोई चर्चा करना चाहेगा ?

श्री गया चरण दिनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये जो आम बजट प्रस्तुत किया गया था अभी तक जब वह ही नहीं खर्च हो सका है। लगभग 100 करोड़ से अधिक बजट वाले महकमों में किसी में 01 परसेन्ट किसी में 02 परसेन्ट और मैक्जिमम 28 परसेन्ट धनराधि जब खर्च हुई है, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जब अभी भी खर्च नहीं हो सका है तो फिर औचित्य नहीं बनता कि अनुपूरक

मांग रखी जाए, अनुपूरक बजट पेश किया जाए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि संस्थागत वित्त में केवल 1.07 प्रतिशत, एस0आई0टी0 में 2.43 प्रतिशत, निःशक्त एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण में केवल 2.88 प्रतिशत, परिवहन विभाग के लिये निर्धारित बजट में मात्र 3.46 प्रतिशत, कृषि विभाग में दिये गये बजट का केवल 5.81 प्रतिशत, न्याय में 8.14 प्रतिशत, प्राविधिक शिक्षा के लिये जारी बजट में केवल 6.37 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा के लिये जारी बजट में मात्र 8.44 प्रतिशत, मुस्लिम वक्फ के लिये 7.93 प्रतिशत और एलोपैथिक चिकित्सा के लिये 8.09 प्रतिशत, औद्योगिक एवं रेशम विभाग के लिये जारी बजट में 8.18 प्रतिशत, उच्च शिक्षा में जारी बजट का केवल 10.34 प्रतिशत, परिवार कल्याण में जारी बजट का केवल 10.54 प्रतिशत।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाईये, कुछ नहीं हो पा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं चाहता था कि नये नेता प्रतिपक्ष हैं तो शायद कुछ बोलते तो उनकी आवाज भी सुनने को मिलती, लेकिन वह आंकड़े लेकर के आए हैं कि खर्च कम हुआ है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उन आंकड़ों को बहुत ध्यान से नहीं देखा है। ....

(घोर व्यवधान के मध्य)

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगा रहे थे)

अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन्हें धरना यहां नहीं देना चाहिए, इन्हें धरना वहां देना चाहिए, इनको पार्लियामेण्ट घेरनी चाहिए और अध्यक्ष जी, पार्लियामेण्ट इसलिए घेरनी चाहिए, अध्यक्ष जी, यह किताब बताती है कि कितना पैसा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था, जो नहीं आया केन्द्र से। अगर इसमें एक भी शब्द गलत हो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और इन माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जाओ दिल्ली को घेरो और लोकसभा को घेरो। क्योंकि जो पैसा मिलना चाहिए था, उत्तर प्रदेश को वह पैसा नहीं दे रहे हैं ये लोग। आखिरकार पैसा क्यों नहीं मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आप लोग शांत रहिए, आपका भाषण बाद में हो जायेगा।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, ढाई साल में अच्छे दिनों का नारा देकर क्या किया इन्होंने? यह लोग रास्ता खोज रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंच जायें। ये अपनी ताकत से नहीं पहुंच पा रहे हैं।

हमारे कम से कम एक अच्छे विपक्षी नेता थे, उनको भी इन्होंने भटका दिया। हमारे नेता विपक्ष बहुत अच्छे थे, उन्हें इन्होंने भटका दिया। कुछ लोग और भी हैं, याद रखना, अगर कपड़ा पहनना चाहते हो, सूट पहनना चाहते हो, लेकिन यह समझ लो कि आप गुदड़ी से सुन्दर दिखने लगोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यह अपनी कमियां छिपा रहे हैं। जो केन्द्र की जिम्मेदारी थी, सड़क पर पैसा देना था, हमारे दादा खड़े हैं, शान्त हैं, अच्छी बात है और दादा इसलिए शान्त खड़े हैं क्योंकि जिस सड़क से वह आते हैं, वे जानते हैं कि नेशनल हाईवे की हालत क्या है ? नेशनल हाईवे पर गड्ढे कितने बने हुए हैं। अरे, कम से कम नेशनल हाईवे के लिए पैसा भेज दो। प्रधानमंत्री सड़क के लिए पैसा भेज दो। यह तमाम पैसा जो उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था, यह मोटी किताब है, इस मोटी किताब का कोई जवाब देगा कि नहीं देगा ? हम तो इनसे जवाब मांग रहे हैं, ये यहां बैठे हैं और वह बाहर बैठे हैं। यह तो लाभ उठा रहे हैं, इनका कार्यालय पास है, मैंने बहुतों का सुझाव नहीं माना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, इनकी सभ्यता का अन्दाजा आप लगाइये। यह बड़े सभ्य माने जाते हैं, अपने आप को बड़ा सभ्य बताते हैं। अपने आप को भारतीय संस्कृति के लोग बताते हैं। नेता सदन खड़े हैं, बोल रहे हैं। यह इनकी बुजदिली है। [xxx] अगर बुजदिल नहीं हो तो अपनी सीट पर जाकर बैठो, सुनो और जवाब दो। चुनौती देते हैं, आपको। हमारी सुनो और जवाब दो।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, अगर यह इस पर विरोध करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसान के ऊपर संकट आया, अध्यक्ष महोदय, किसान के सामने संकट आया, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ और इन्होंने केन्द्र से टीमें भेजीं, इन्होंने आंकलन कर लिया और आंकलन के बाद जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए था, उसका बताओ कितना दिया इन्होंने ? ये सप्लीमेन्ट्री बजट मैं इसलिए लेकर आया हूं कि ओलावृष्टि में जिन किसानों का नुकसान हुआ और केन्द्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, जितना उन्हें करना चाहिए था। इसलिए इस सप्लीमेन्ट्री बजट में हम दो हजार करोड़ रुपये किसानों को ओलावृष्टि से राहत देने के लिए लेकर आए हैं और अगर ये इसके खिलाफ हैं तो यह बतायें कि ये सीधे-सीधे किसान के खिलाफ हैं कि उनकी मदद नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेस-वे बन रहा है और मैंने पहले बजट में पैसा दिया था कि जमीन ली जाए, जमीन लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है और अगर यह सप्लीमेंन्ट्री बजट के खिलाफ हैं तो इसका मतलब यह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के भी खिलाफ हैं। जो ये यहां पर खड़े हुए हैं। ये हमारी जितनी भी योजनाएं सीधे-सीधे गरीबों के लिए हैं, जैसे लोहिया आवास, हौसला योजना से ले करके तमाम योजनाएं और हमारे प्राथमिक विद्यालय जो अंधेरे में थे तो पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 60 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें हम बिजली पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं और यह पूरी

नोट-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तरह एक्सपोज हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस गांव की इन्होंने चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले से, आखिरकार वहां बिजली नहीं थी। ये आंकड़ा है और यह आंकड़ा मेरे पास है, मैंने करके दिखाया कि उस गांव के लोग टीवी देख रहे हैं। इनसे ज्यादा होशियार और कोई हो नहीं सकता। गांव में बिजली नहीं पहुंची, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो तस्वीर कम्प्यूटर पर लगायी कि लोग उस गांव में टीवी देख रहे हैं और जैसे ही इन्हें जानकारी हुई, उसे हटा दिया, यह आप लोग जानते होंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

शेम-शेम, देश को ठग लिया। ठग लिया देश को।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हमारे जितने मा0 सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के हैं, अगर ये विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब किसान का विरोध कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उसका विरोध करने वाले लोग हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, हालांकि उनकी नेता के साये तले एक नेता ने कुछ कहा। ..

(घोर व्यवधान)

हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्हें पूरा सदन और सब लोग उन्हें बहन जी बोलते हैं। उसका लाभ उठाने के लिए हमने उन्हें बुआ बोल दिया। अगर उनकी नेता को बुआ बोलना नहीं पसंद है तो कम से कम हमें बतायें कि हम उनको क्या बोलें। कम से कम उन्हें बताना चाहिए। इसलिए यह तमाम जो काम इस सप्लीमेंट्री में हम लेकर आये हैं यह किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लेकर आये हैं। यह भारतीय जनता पार्टी जो दो-ढाई साल से केंद्र सरकार में है। इन्हें विकास से कोई लेना-देना नहीं है। यह उत्तर प्रदेश का विकास नहीं चाहते हैं। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री भी दिया, लोक सभा के सबसे ज्यादा सदस्य दिये । लेकिन आने वाले समय में यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों के पक्ष में रहेगी। इनको जनता सही आईना दिखाने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।

[12:37 बजे] वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान सं0-2, लगायत 03, 05, 07, लगायत 11, 13 लगायत 18, 20 लगायत 26, 28, 31 लगायत 32, 34, 37 लगायत 52, 56 लगायत 60, 63, 65, 69 लगायत 77, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 92 तथा 94

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, बजट का पारित होने वाला प्रस्ताव रखिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 05, 07 लगायत 11, 13 लगायत 18, 20 लगायत 26, 28, 31 लगायत 32, 34, 37 लगायत 52, 56 लगायत 60, 63, 65, 69 लगायत 77, 79, लगायत 81, 83, लगायत 84, 86 लगायत 92 तथा 94 के अंतर्गत कुल रुपये चौबीस हजार आठ सौ उन्नासी करोड़ चौवालीस लाख सत्तर हजार (रुपये 24879,44,70,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 05, 07 लगायत 11, 13 लगायत 18, 20 लगायत 26, 28, 31 लगायत 32, 34, 37 लगायत 52, 56 लगायत 60, 63, 65, 69 लगायत 77, 79, लगायत 81, 83, लगायत 84, 86 लगायत 92 तथा 94 के अंतर्गत कुल रुपये चौबीस हजार आठ सौ उन्नासी करोड़ चौवालीस लाख सत्तर हजार (रूपये 24879,44,70,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सत्तापक्ष की तरफ से मेजें थपथपायी गयीं।)

[12:47 बजे] अनुपूरक अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 3,61,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 75,63,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 15,69,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 10,26,76,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री) के अन्तर्गत 4,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 20,77,74,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 46,70,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 63,18,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 8,26,91,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 19,66,52,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 93,14,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 3,01,00,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 1,18,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 45,67,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 15,61,02,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 1,94,03,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 15,13,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 15,55,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 15,05,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,40,25,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 40,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 5,23,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 80,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 24,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 7,60,90,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,72,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 5,56,25,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 1,43,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,41,93,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 66,97,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,07,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,59,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,55,13,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,60,43,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,49,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 20,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 98,85,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 35,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 3,80,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 33,20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 22,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 35,73,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 10,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत 2,10,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,37,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 1,16,18,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 36,74,06,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 77,58,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 3,59,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत 1,61,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 4,81,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,15,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 3,48,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 26,53,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 12,93,79,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 22,08,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,05,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 10,21,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 15,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 1,00,78,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,00,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 7,06,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 7,79,00,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.49] उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

† दिनांक 29-08-2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016

31 मार्च, 2017 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2016 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2016-2017 के लिए 360797,64,94,000 रूपये का निकाला जाना

2- ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 360797,64,94,000 रूपये (रुपये तीन लाख साठ हजार सात सौ सत्तानवे करोड़ चौंसठ लाख चौरानवे हजार मात्र) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3- इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	1683910	2000	1685910
		पूंजी :	14439	...	14439
02	आवास विभाग	राजस्व :	9649321	12389	9661710
		पूंजी :	20390000	36001	20426001
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	3241259	600	3241859
		पूंजी :	910001	...	910001
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	333443	...	333443
		पूंजी :	70900	...	70900
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	976714	...	976714
		पूंजी :	100000	...	100000
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	2570219	...	2570219
		पूंजी :	106200	...	106200
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	11441883	...	11441883
		पूंजी :	57022507	...	57022507
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	1605811	...	1605811
		पूंजी :	83395	...	83395
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	144414563	40081767	184496330
		पूंजी :	143481887	373204	143855091
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	3304461	15318	3319779
		पूंजी :	161187	15	161202
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(कृषि)	राजस्व :	34847139	1525	34848664
		पूंजी :	7766081	...	7766081
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	3065203	...	3065203
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	19994385	750	19995135
		पूंजी :	112135140	...	112135140
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	87001503	...	87001503
		पूंजी :	4875447	...	4875447
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	10668949	1379	10670328
		पूंजी :	1753746	...	1753746
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	957210	...	957210
		पूंजी :	5500000	...	5500000

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	909500	450	909950
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	4372370	146176	4518546
		पूंजी :	110453	130102	240555
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	99685	...	99685
		पूंजी :	1500000	...	1500000
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	475635	627707	1103342
		पूंजी :	...	1000	1000
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	3290436	350	3290786
		पूंजी :	76558706	50	76558756
22	खेल विभाग	राजस्व :	789082	...	789082
		पूंजी :	2723713	...	2723713
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	1780267	200	1780467
		पूंजी :	847218	...	847218
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	12415672	...	12415672
		पूंजी :	4822144	...	4822144
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	6382455	1000	6383455
		पूंजी :	6186374	...	6186374
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	135245932	7001	135252933
		पूंजी :	15015005	...	15015005
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	218539	...	218539
		पूंजी :	...	...	0
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2145184	...	2145184
		पूंजी :	3000	...	3000
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	141588	141588
		पूंजी :	...	...	0
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	51571	...	51571
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	19003410	...	19003410
		पूंजी :	23185745	...	23185745
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	54172059	2000	54174059
		पूंजी :	8422036	...	8422036

** भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या*

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	8500317 205420	... ...	8500317 205420
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	3736415 131783	... ...	3736415 131783
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व : पूंजी :	51885888 1889942	2600 ...	51888488 1889942
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व : पूंजी :	6950156 197013	200 ...	6950356 197013
37	नगर विकास विभाग	राजस्व : पूंजी :	69077968 13600002	... ...	69077968 13600002
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व : पूंजी :	457756 2020000	... ...	457756 2020000
39	भाषा विभाग	राजस्व : पूंजी :	227533 ...	... ...	227533 0
40	नियोजन विभाग	राजस्व : पूंजी :	2867396 12342402	... ...	2867396 12342402
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व : पूंजी :	3667870 1	... ...	3667870 1
42	न्याय विभाग	राजस्व : पूंजी :	17185715 10905098	3117770 53000	20303485 10958098
43	परिवहन विभाग	राजस्व : पूंजी :	2323081 2331517	1 ...	2323082 2331517
44	पर्यटन विभाग	राजस्व : पूंजी :	468412 1524500	... ...	468412 1524500
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व : पूंजी :	105986 ...	... ...	105986 0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व : पूंजी :	142113 ...	... ...	142113 0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व : पूंजी :	3465486 2572600	... ...	3465486 2572600
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व : पूंजी :	21535751 9023876	180 ...	21535931 9023876

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	57525447	1000	57526447
		पूंजी :	2040000	...	2040000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	7975122	1700	7976822
		पूंजी :	2991287	...	2991287
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	49655010	...	49655010
		पूंजी :	225000	...	225000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	31859154	12127	31871281
		पूंजी :	738743	526	739269
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	16978	...	16978
		पूंजी :	1	...	1
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	21802561	400	21802961
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	939441	38359	977800
		पूंजी :	810220	12900	823120
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	3400000	...	3400000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	200000	...	200000
		पूंजी :	14317501	...	14317501
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़के)	राजस्व :	47281357	500	47281857
		पूंजी :	98334862	120000	98454862
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	1821963	...	1821963
		पूंजी :	4119172	...	4119172
60	वन विभाग	राजस्व :	6728797	1370	6730167
		पूंजी :	6845026	...	6845026
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	106987212	337681072	444668284
		पूंजी :	27264005	150602363	177866368
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	270994847	295133	271289980
		पूंजी :	3000000	...	3000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	2867529	...	2867529
		पूंजी :	20000	...	20000
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	2552523	...	2552523
		पूंजी :	235841	...	235841

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	373992	2198071	2572063
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	461039	7292	468331
		पूंजी :	400	...	400
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	1344409	12709	1357118
		पूंजी :	68382	...	68382
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	4689568	...	4689568
		पूंजी :	2436508	...	2436508
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	1472292	...	1472292
		पूंजी :	678982	...	678982
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	367946081	...	367946081
		पूंजी :	12714471	...	12714471
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	84301206	270	84301476
		पूंजी :	5267100	...	5267100
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	22471062	...	22471062
		पूंजी :	3379060	...	3379060
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	5872613	...	5872613
		पूंजी :	316001	...	316001
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	1493657	...	1493657
		पूंजी :	505680	...	505680
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	3014870	10	3014880
		पूंजी :	102500	...	102500
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	828839	...	828839
		पूंजी :	3981	...	3981
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	7673226	...	7673226
		पूंजी :	261600	...	261600
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	17563868	...	17563868
		पूंजी :	1854557	...	1854557
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	58692928	...	58692928
		पूंजी :	50000	...	50000
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	2394869	...	2394869
		पूंजी :	452247	...	452247

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	442655	49630	492285
		पूंजी :	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	125231843	...	125231843
		पूंजी :	90486445	...	90486445
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	91716	...	91716
		पूंजी :	100000	...	100000
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	58674	...	58674
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	3300870	...	3300870
		पूंजी :	240000	...	240000
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	464855	...	464855
		पूंजी :	21400	...	21400
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	9046470	...	9046470
		पूंजी :	380000	...	380000
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	6003103	654502	6657605
		पूंजी :	162401	...	162401
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	485852	...	485852
		पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	3004605	3	3004608
		पूंजी :	46941	...	46941
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	690301	5	690306
		पूंजी :	523783	...	523783
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	22087753	...	22087753
		पूंजी :	65979666	100000	66079666
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	40145218	5000	40150218
		पूंजी :	...	...	0
	योग	राजस्व :	2170561988	385122104	2555684092
		पूंजी :	900863241	151429161	1052292402
	महायोग :		3071425229	536551265	3607976494

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12.52 बजे] उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30, सन् 2007) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा-2 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (नौ) के पश्चात् निम्न उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(दस) कोई ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, आनलाइन क्रय अथवा ई–कामर्स के माध्यम से, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो।''

धारा–4–क का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा–4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 4–क बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''4–क. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कमिश्नर परिपत्र द्वारा ऑनलाईन क्रय या ई–कामर्स द्वारा

ई–कामर्स के माध्यम से लायी गयी वस्तुओं पर कर का संग्रहण

स्थानीय क्षेत्र में, विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर कर संग्रहीत करने की सरल प्रक्रिया बना सकते हैं तथा ऐसी प्रक्रिया के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/ अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो, से कर के संग्रहण की प्रक्रिया भी उपबन्धित की जा सकती है तथा ऐसा ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति ऐसी रीति से जो उसके अधीन अवधारित की जाए, इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान के लिए दायी होगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12.54 बजे] उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 1952 की धारा–10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में :–

(क) उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह कि बोर्ड, इस उपधारा के अधीन सदस्यों को हटाने के पूर्व उनका स्पष्टीकरण मांगेगा और उस पर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा।''

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या धारा–4 और 5 के अधीन नाम–निर्दिष्ट कोई सदस्य, ऐसी नोटिस दिये जाने के पश्चात् जो विहित की जाय, राज्य सरकार द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ''

धारा–11 का संशोधन

3–मूल अधिनियम, की धारा–11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''11–धारा–10 के अधीन बोर्ड द्वारा हटाया गया कोई सदस्य अपने हटाये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और किसी ऐसी अपील में राज्य सरकार का आदेश अन्तिम होगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 व खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.55 बजे] उत्तर प्रदेश दण्ड निधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 व खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–35 सन् 1979 की धारा-9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा–9 में :–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988; या'';

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "1 जनवरी, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक ''1 जनवरी, 2013'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

गुजरात विधान सभा चले जाइए, वहां जा कर दिखाओ तो जानें। अगर ऐसा दिखा देंगे तो बर्खास्त कर दिए जायेंगे। हमारे यहां तो दिखा भी ले रहे हैं। जाइए गुजरात, जाइए मध्य प्रदेश देखिए वहां। अब चुप रहिए, आप विधान सभा में हल्ला कर रहे हैं, आप तो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, आप तो कम से कम शान्त रहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.56 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-08-2016 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें से कुल 11 सूचनायें ली गयी हैं।

पहली सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है। (वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

दूसरी सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत दिल्ली-कानपुर मार्ग में स्लिप रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। तीसरी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संस्कृत भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद के रीवर गंगा बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्यों के उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में है (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। पांचवी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत ओलावृष्टि/सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। छठी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ में आयी प्रलयकारी बाढ़ से कतिपय घाटों में हुई कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। सातवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। आठवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के रूदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत स्पर्शाघात से मृतक परिवारों के आश्रितजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)। नवीं सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत गोवर्धन में दिनांक 16-08-2016 को विद्युत तार गिरने से हुई मृत्यु के मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)। दसवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद में पैकफैड में तैनात श्री सुधीर कुमार, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा किये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)। ग्यारहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की नगर निगम फिरोजाबाद में राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग एवं माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं-श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री पंकज कुमार गुप्ता, श्री बेचई लाल सरोज, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री रामहेत भारती, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज, श्री उमाशंकर, श्री दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कुमार लल्लू, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री रोशनलाल वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री दीपक पटेल, श्री काली चरन सुमन, श्री फैरनलाल, हाजी मुसर्रफ अली बिट्टन, श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री पूरन प्रकाश, श्री राधेश्याम जायवाल, श्री गयाचरण दिनकर, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री जय प्रकाश निषाद, डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री अनिल कुमार, श्री नूर सलीम राणा, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री उमाशंकर, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री धर्मपाल सिंह, श्री रवीन्द्र जायसवाल, डा0 अरूण कुमार, श्री वेदराम भाटी, श्री संजय कपूर, श्री अगयश राम सरन वर्मा अब एक सूचना है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियों एवं विधान सभा के पूर्व विधान सभा अध्यक्षों का दिनांक 29 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे सभा मण्डप में स्टेज पर सम्मान समारोह, उनके तैल चित्रों का अनावरण तथा भोज की सूचना

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहते हैं कि दिनांक 29-08-2016 को जितने भी हमारे पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं या जितने हमारे पूर्व स्पीकर रहे हैं, सबका तैल चित्र लगाया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। सभी माननीय जो हमारे बीच में जीवित हैं उन सबको हमने सम्मान के साथ बुलाया है। इस स्टेज पर बैठाकर उनको सम्मानित किया जायेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी यहां 11.00 बजे पूर्वाह्न आ जाएं। विधान सभा की विधिवत् कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे शुरू होगी। आप सब लोग यहां आइयेगा। इसमें सभी दलों के नेता हैं किसी एक दल के मुख्य मंत्री नहीं हैं, सभी दलों के मुख्य मंत्रियों का तैल-चित्र बहुत बढ़िया लगा दिया गया है। कोई भी आयेगा तो देखेगा कि पहले मुख्य मंत्री से ले कर आज तक कौन मुख्य मंत्री है उनके चेहरे को पहचानेगा। उसी तरह से पहले विधान सभा अध्यक्ष से अब तक के सभी तैल-चित्र लगे हैं जो भी आयेंगे वह इन सबको देखेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी आइएगा। सभी को आमंत्रण भी जायेगा और उस दिन भोज भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब हम उठते हैं दिनांक 29-08-2016 को अपराह्न 2.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 49 मिनट पर सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2016 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 24 अगस्त, 2016

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का उत्तर पीछे पृष्ठ-34 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र-2016 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 की अनुपूरक सामग्री

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, इलाहाबाद द्वारा अवस्थापना निधि से वर्षवार स्वीकृत निर्माण कार्य का विवरण तथा पूर्ण एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण निम्नलिखित हैं :--

वर्ष 2012-13 :-- **(रु0 लाख में)**

1-	इलाहाबाद नगर में कुम्भ मेला-2013 के कार्यों के अधीन पुराने कटरा मोहल्ले में मनमोहन पार्क चौराहे से लक्ष्मी टाकीज चौराहे तक सड़क निर्माण/मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	रु0 133.75	कार्य पूर्ण

वर्ष 2013-14 :--

1-	इलाहाबाद नगर में चन्द्रशेखर आजाद नगर (मेंहदौरी) योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-271 से बी-31, बी-213 से बी-273, ए-219 से बी-151, ए-126 से ए-154, बी-95 से बी-67, ए-129 से ए-115, ए-153 से ए-175 एवं ए-177 से ए-193 तक 9.00 मीटर चौड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	रु0 73.51	कार्य पूर्ण
2-	इलाहाबाद नगर में चन्द्रशेखर आजाद नगर (मेंहदौरी) योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-15 से ए-299 तक 12.00 मीटर चौड़ी का सुदृढ़ीकरण कार्य।	रु0 20.39	कार्य पूर्ण
3-	इलाहाबाद नगर में चन्द्रशेखर आजाद नगर (मेंहदौरी) योजना, इलाहाबाद में ए-213 से ए-31 तक 18.00 मीटर चौड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य।	रु0 22.14	कार्य पूर्ण
4-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर (करेली) योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 ए-662 से ए-676, ए-648 से ए-660 एवं बी-645 से बी-679 तक 7.50 मीटर चौड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य।	रु0 8.86	कार्य पूर्ण
5-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर (करेली) योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 ए-640 से ए-730, ए-696 से ए-676, बी-725 से बी-697 एवं बी-649 से बी-637 तक 9.00 मीटर चौड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य।	रु0 40.04	कार्य पूर्ण
6-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर (करेली) योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 ए-618 से बी-519 तक 12.00 मीटर चौड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य।	रु0 18.56	कार्य पूर्ण

7-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर (करेली) योजना, इलाहाबाद में भवन सं0-सी-534 से सी.पी.-21 तक 24.00 मीटर चौड़ी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य।	रु0 67.41	कार्य पूर्ण

वर्ष 2014-15 :--

1-	इलाहाबाद नगर क्षेत्र के दिलकुशा पार्क (उत्तरी) में चारों तरफ पार्क को जोड़ने वाली एवं विकास भवन के सामने से जनपद न्यायालय गेट के सामने होते हुए बेली रोड तक सड़कों के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण (बी0एम0एस0डी0बी0सी0) का कार्य।	रु0 69.32	कार्य पूर्ण
2-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-1028 से डी-903 एवं भवन संख्या बी-2 से बी-1264 तक 24.00 मी0 चौड़ी सड़क की पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	रु0 70.97	कार्य पूर्ण
3-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-1028 से डी-903 तक 24.00 मी0 चौड़ी सड़क का चौड़ीकरण सहित मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य।	रु0 100.72	कार्य पूर्ण
4-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-40 से सी-79 तक 24.00 मी0 चौड़ी सड़क का मात्र चौड़ीकरण कार्य।	रु0 34.69	कार्य पूर्ण
5-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-2 से बी-1264 तक 24.00 मी0 चौड़ी सड़क का मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्य।	रु0 88.26	कार्य पूर्ण
6-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 ए-376 से बी-289/1 तक 12.00 मी0 चौड़ी सड़क का मरम्मत/सुदृढ़ीकरण एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	रु0 45.66	कार्य पूर्ण
7-	झूंसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद में भूखण्ड सं0-09/100 से 09/114/10 तक 12.00 मी0 चौड़ी सड़कों का मरम्मत/सुदृढ़ीकरण (बी0एम0+एस0डी0बी0सी0) एवं सेक्टर-9 में भवन सं0 9/188/1 से 9/267/2, 9/239/7 से 9/208ए, 9/178 से 9/183, 9/179/2 से 9/155, 9/160 से 9/161, 9/238 से 9/249 एवं 9/218 से 9/226 तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	रु0 79.80	कार्य पूर्ण

8-	झूंसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद के सेक्टर-4,5, 10 व 11 में भवन सं0 4/65 से 4/87, 5/84 से 5/97, 5/81 से 5/86, 5/81 से 117, 5/118 से 5/126, 5/133 से 5/138, 10/288 से 10/262, 10/253 से 10/261 तक, 11/299 से 11/279, 11/188 से 11/310 एवं 11/214 से 11/296/7 तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	रु0 61.21	कार्य पूर्ण
9-	इलाहाबाद नगर क्षेत्र के चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 ए-101 से ए-113, ए-126 से ए-67, बी-92 से बी-38/3 एवं बी-10 से बी-38/3 तक 12.00 मी0 व 18.00 मी0 चौड़ी सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण एवं सड़क की पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	रु0 63.74	कार्य पूर्ण
10-	इलाहाबाद नगर क्षेत्र के चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-43 से बी-51, बी-41 से बी-93, बी-53 से बी-69, बी-140 से बी-148, सी-25 से सी-28 तक एवं सी-93 से सी-94 तक 7.50 मी0 सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण एवं सड़क की पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	रु0 38.40	कार्य पूर्ण
11-	इलाहाबाद नगर क्षेत्र के चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 सी-49 से सी-23, सी-96 से सी-110, सी-13 से सी-31, सी-6 से सी-43, सी-18 से सी-115, ए-311 से ए-61, बी-48 से बी-76, बी-193 से बी-205 एवं बी-139 से बी-151 तक 9.00 मी0 सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण एवं सड़क की पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	रु0 71.20	कार्य पूर्ण

वर्ष 2015-16 :--

1-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में गैस पार्क के निकट भवन सं0 सी-94 से सी-108, सी-92 से सी-139, डी-1 से डी-13, डी-49 से डी-153 तक सी0सी0 रोड, इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	रु0 63.16	कार्य पूर्ण
2-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में गैस पार्क के निकट भवन सं0 सी-64 से सी-80, सी-140 से सी-122, सी-172 से सी-156, एवं सी-150 से सी-156 तक सी0सी0 रोड, इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	रु0 66.30	कार्य पूर्ण

3-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-522 से बी-562, एवं भवन सं0 सी-8 से बी-604 तक बी0एम0+एस0डी0बी0सी0, इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	रु0 67.47	कार्य पूर्ण
4-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में भवन सं0 बी-1724 से सी-1728, बी-1706 से बी-1724/13 तक सी0सी0 रोड, इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	रु0 54.05	कार्य पूर्ण
5-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में डी-ब्लाक ऊंचा-नीचा पार्क के चारों तरफ भवन सं0 डी-55 से डी-169, डी-67 से डी-87, डी-193 से डी-121, डी-201 से डी-203, डी-55 से डी-33, डी-27 से डी-33 तक बी0एम0+एस0डी0बी0सी0, इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	रु0 80.08	कार्य पूर्ण
6-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में जागृति पार्क के निकट भवन सं0 सी-13 से सी-7/1, सी-165 से सी-233/6, सी-521 से सी-553, सी-167 से सी-179/1 एवं सी-573 से सी-583, सी-579 से सी-587 एवं बी-518/1 से बी-518/4 तक बी0एम0+एस0डी0बी0सी0, इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	रु0 77.29	कार्य पूर्ण
7-	इलाहाबाद नगर में जी0टी0बी0 नगर योजना, इलाहाबाद में जागृति पार्क के निकट भवन सं0-सी-1791/1 से सी-137, सी-123 से सी-111, सी-125 से सी-137, सी-561 से सी-551 एवं सी-249 से सी-15 तक बी0एम0+ एस0डी0बी0सी0, इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	रु0 74.35	कार्य पूर्ण
8-	झूंसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद में मकान सं0-3/1 से 3/346 तक, 3/917 से 3/565 तक एवं मकान नं0-1/127 से 1/226 तक सड़क निर्माण (बी0एम0+एस0डी0बी0) एवं सड़क के दोनों तरफ पटरियों पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	रु0 85.28	कार्य अपूर्ण माह 10/2016 तक पूर्ण हो जायेंगे।
9-	इलाहाबाद नगर क्षेत्र में मनोहरदास बगिया, गंगागंज, इलाहाबाद में मकान सं0 86सी से 10/93ए/124ए, मकान सं0-10/55बी/2 से 118/1, मकान सं0-10/72ए/12 से		कार्य अपूर्ण

	10/78, मकान सं0 86सी से 177/10/48 एवं मकान सं0 222/10/86 से 10/71 तक सड़क निर्माण (बी0एम0+ एस0डी0बी0) एवं सड़क के दोनों तरफ पटरियों पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	रु0 96.12	माह 10/2016 तक पूर्ण हो जायेंगे।
10-	इलाहाबाद नगर क्षेत्र में तेलियरगंज में मुख्य मार्ग, पार्क के पास श्री रामपूजन पटेल (पूर्व मंत्री) के आवास होते हुए मस्जिद तक गली एवं सुधार कार्य।	रु0 33.73	कार्य अपूर्ण माह 10/2016 तक पूर्ण हो जायेंगे।

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
	वर्ष 2012-13		
1	अशोक नगर पत्रकारपुरम् योजना में सड़क व पार्क का सुधार।	24.30	कार्य पूर्ण
2	गंगादीप कालोनी से निर्माणाधीन उस्तापुर महमूदाबाद झूंसी विद्युत उपकेन्द्र तक पक्का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने का कार्य।	7.50	कार्य पूर्ण
3	गोविन्दपुर आवास योजना में भवन संख्या सी-1 से सी-11 तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3.81	कार्य पूर्ण
4	यमुना बैंक रोड स्थित बोट क्लब के पहुंच मार्ग हेतु सी0सी0 रोड के सुदृढ़ीकरण।	5.31	कार्य पूर्ण
5	राजापुर रोडवेज वर्कशाप के समीप मार्ग की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण का कार्य।	17.80	कार्य पूर्ण
6	अल्कापुरी कालोनी में सड़क सुधार का कार्य।	6.60	कार्य पूर्ण
7	प्रयाग स्ट्रीट का सुधार कार्य।	13.00	कार्य पूर्ण
8	चन्द्रशेखर आजाद पार्क के अन्दर स्थित रिंग रोड के अन्तर्गत शेष भाग में एस0डी0बी0सी0 का कार्य।	24.45	कार्य पूर्ण
	योग :-	**102.77**	

	वर्ष 2013-14		
1	सिविल लाइन्स टी0बी0 सप्रू रोड पर अग्निपथ कालोनी में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3.00	कार्य पूर्ण
2	22, थार्नहिल रोड कम्पाउण्ड में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	6.50	कार्य पूर्ण
3	लाउदर रोड से सटे डा0 दीपक अग्रवाल के घर के सामने से अन्त तक सड़क व नाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	12.50	कार्य पूर्ण
4	भुलई का पुरवा (निकट काटजू की बाग) में श्री एस0एन0 पाण्डेय के मकान से श्री आर0एन0 त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.30	कार्य पूर्ण
5	राजापुर नेवादा में स्थित सरकुलर रोड के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	13.00	कार्य पूर्ण
6	अशोक नगर विस्तार में सड़क एवं ड्रेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	15.00	कार्य पूर्ण
7	आनन्द भवन के सामने भारद्वाज पार्क की ओर फुटपाथ व सड़क साइड पटरी के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	12.00	कार्य पूर्ण
8	म्योराबाद आवास योजना में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	6.70	कार्य पूर्ण
9	भारद्वाज पार्क के सामने सड़क पर (फुटपाथ के बगल) एस0डी0बी0सी0 का कार्य।	2.50	कार्य पूर्ण
10	बदरी आवास योजना में श्री अवधेश यादव के मकान से योजना पार्क के गेट तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	12.00	कार्य पूर्ण
11	मेहदौरी, बदरी आवास योजना में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	7.00	कार्य पूर्ण
12	नयापुरा स्टैनली रोड ई0डब्लू0एस0 कालोनी में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.50	कार्य पूर्ण
13	38 मां आनन्दमयी कालोनी, लाउदर रोड में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.60	कार्य पूर्ण
14	दरियाबाद स्थित तक्षक तीर्थ स्थल के समीप सड़क सुधार कार्य।	12.00	कार्य पूर्ण
15	करेली क्षेत्र में एवटी पब्लिक स्कूल के समीप सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	10.00	कार्य पूर्ण

16	गंगा दर्शन आवास योजना के भूखण्ड सं0 एच-91 के समक्ष व बगल सड़क एवं ड्रेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	10.00	कार्य पूर्ण
17	अलकापुरी आवास योजना के ब्लाक 12, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 10 के सम्मुख सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	26.52	कार्य पूर्ण
18	करेली में सी0आई0एस0एफ0 कार्यालय से ग्रीन पार्क तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	7.85	कार्य पूर्ण
19	करेली में करामत की चौकी मोहल्ले में श्री आफताब आलम के भवन संख्या 185/11जे/9एम से श्री हसन अब्बास के भवन संख्या 21बी/2बी/1 तक सड़क व नाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	6.00	कार्य पूर्ण
20	अशोक नगर विस्तार योजना-2 पत्रकार कालोनी में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5.95	कार्य पूर्ण
21	एलनगंज के निकट चर्चा रोड पर स्थित पार्क की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3.33	स्थानीय विवाद के कारण कार्य निरस्त
22	झूंसी स्थित प्रतिष्ठानपुरी आवास योजना की ओर जाने वाले मार्ग से गंगा तटबंध को मिलाने वाली सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	29.50	कार्य पूर्ण
23	अशोक नगर में पंचपुष्प अपार्टमेन्ट से पत्रकार कालोनी को जाने वाली सड़क (मा0 न्यायमूर्ति श्री चतुर्वेदी) के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	15.70	कार्य पूर्ण
24	कस्तूरबा गांधी मार्ग मेरी लूकस स्कूल के सामने की सड़क पर एस0डी0बी0सी0 का कार्य।	1.52	कार्य पूर्ण
25	थार्नहिल रोड से उत्तर तरफ स्ट्रैची रोड तक पेपर ब्लाक सहित सड़क पटरी के जीर्णोद्धार का कार्य।	8.73	कार्य पूर्ण
26	म्योर रोड से नीम के पेड़ तक सरकुलर रोड के साइड पटरी पर पेपर ब्लाक लगाने व नाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	20.45	कार्य पूर्ण
27	अरैल घाट (संगम नोज) से अरैल ग्राम की ओर जाने वाली सड़क पर नाला सुदृढ़ीकरण व सड़क चौड़ीकरण का कार्य।	32.22	कार्य पूर्ण

28	पुराना ममफोर्डगंज में श्री प्रेमचन्द्र के मकान से श्री वी0के0 मित्तल के मकान तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3.26	कार्य पूर्ण
29	कटरा चौराहा से ए-बेली रोड को जाने वाली सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	12.40	कार्य पूर्ण
30	नया कटरा में कन्हैया लाल से दक्षिण चन्दा लाज तक तथा दिलकुशा पार्क के तीनों ओर सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	9.23	कार्य पूर्ण
31	जूही कालोनी राजापुर में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	7.05	कार्य पूर्ण
32	ज्वाला देवी विद्या मन्दिर गंगापुरी के सामने सड़क इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.56	कार्य पूर्ण
33	22, थार्नहिल रोड में अवशेष सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1.73	कार्य पूर्ण

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
34	कौशाम्बी रोड से कसरिया गांव की ओर जाने वाली सड़क की दोनों साइड पटरियों पर पेपर ब्लाक लगाने का कार्य।	28.95	कार्य पूर्ण
35	न्याय मार्ग से कैन्ट रोड (आकलैण्ड रोड) तक सड़क पटरी पर पेपर ब्लाक लगाने का कार्य।	17.25	कार्य पूर्ण
36	शिवाजी पार्क ममफोर्डगंज से अनुपम स्टोर ममफोर्डगंज को जाने वाली सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं शिवाजी पार्क के बाहरी भाग के चारों ओर पेपर ब्लाक का कार्य।	14.92	कार्य पूर्ण
37	बी0के0 बनर्जी मार्ग नया कटरा की क्षतिग्रस्त सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य।	17.55	कार्य पूर्ण
	योग :--	**410.28**	
	वर्ष 2014-15		
1	लाजपत राय रोड ममफोर्डगंज सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण डिवाइडर व प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	475.00	कार्य पूर्ण
2	नया कटरा में मन्नी लाल चौराहे से कारपेन्टरी स्कूल के दक्षिण-पश्चिम कार्नर से ममफोर्डगंज निगम चौराहे होकर हलवाई चौराहे तक सड़क एवं नाली सुदृढ़ीकरण का कार्य।	42.00	कार्य पूर्ण

3	म्योराबाद आवास योजना में आन्तरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	16.25	कार्य पूर्ण
4	श्री हनुमत निकेतन सिविल लाइन्स के प्रवेश द्वार के पास (केन्द्रीय आबकारी/आयकर कार्यालय के सामने) फटपाथ, साइड पटरी व नाली सुदृढ़ीकरण का कार्य।	18.73	कार्य पूर्ण
5	न्याय मार्ग से 5, राजवाटिका अशोक नगर होते हुए श्री मातेश्वरी के घर तक सड़क के दोनों ओर इन्टरलाकिंग का कार्य।	12.50	कार्य पूर्ण
6	नया कटरा, डी पार्क के समीप सड़कों व ड्रेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	17.16	कार्य पूर्ण
7	नया पुरवा स्टैनली रोड में अधूरी सड़क के शेष भाग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	12.10	कार्य पूर्ण

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
8	सरकुलर रोड में पूर्व निर्मित सड़क के उत्तरी भाग में शेष पुलिया तक के भाग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3.20	कार्य पूर्ण
9	ममफोर्डगंज में एच0आई0जी0 पाकेट में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	8.85	कार्य पूर्ण
10	बदरी आवास योजना में एच0आई0जी0 भवनों के सामने अवशेष भाग में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5.95	कार्य पूर्ण
11	बालसन चौराहे से चर्च लेन चौराहे तक चौड़ीकरण, पाथवे व चर्च लेन क्रासिंग से कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल तक नाला सुदृढ़ीकरण तथा पोल शिफ्टिंग/विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	165.00	कार्य पूर्ण
12	ममफोर्डगंज आवास योजना में 553 ममफोर्डगंज से डा0 मनबोधन लाल के घर तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5.72	कार्य पूर्ण
13	भारायन अपार्टमेन्ट, ममफोर्डगंज से कटोरी पार्क के पश्चिम गेट के सामने से आबकारी को जाने वाली सड़क का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.00	कार्य पूर्ण

14	राजापुर चन्द्रा गेस्ट हाउस के बगल स्थित सरस्वतीपुरम् कालोनी में आन्तरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.50	कार्य पूर्ण
15	महात्मा गांधी मार्ग पर पत्थर गिरिजाघर से हनुमान मन्दिर (तुलसी चौराहा) तक मार्ग के सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1534.00	कार्य प्रगति पर
16	लालबहादुर शास्त्री मार्ग के पोलो ग्राउन्ड साइड पटरी पर पेवर ब्लाक लगाने व ड्रेन सुदृढ़ीकरण का कार्य।	70.00	कार्य पूर्ण
17	कमला नगर ट्यूबवेल के उत्तर भाग को जाने वाली सड़क व ड्रेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5.50	कार्य पूर्ण
18	भारत स्काउड एण्ड गाइड स्कूल के सामने से 13 बलरामपुर हाउस तक की मुख्य व आन्तरिक सड़क व ड्रेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	23.83	कार्य पूर्ण
19	सिविल लाइन्स में राज अन्ध विद्यालय एल्गिन रोड पर सड़क एवं ड्रेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	7.00	कार्य पूर्ण

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
20	भवन संख्या 34/18 हेस्टिंग रोड के सामने सड़क व ड्रेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	6.70	कार्य पूर्ण
21	छोटा बघाड़ा में श्री रवीन्द्र यादव के मकान से श्री सुकदेव के मकान तक सी0सी0 रोड, नाला, रिटेनिंग वाल का निर्माण एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	65.00	कार्य पूर्ण
22	स्टेनली रोड से कचेहरी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर साइड पटरी पर पेवर ब्लाक लगाये जाने एवं नाली सुदृढ़ीकरण का कार्य।	10.00	कार्य पूर्ण
23	एलनगंज में मंगलपूर्ति कुंज अपार्टमेन्ट के सामने सड़क के दोनों तरफ पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.00	कार्य पूर्ण
24	काटजू बाग हाउस योजना चांदपुर सलोरी के अत्यावश्यक वैकल्पिक मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य।	16.00	कार्य पूर्ण
25	चर्चलेन में प्रगति अपार्टमेन्ट के समीप सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3.50	कार्य पूर्ण

26	गोविन्दपुर आवास योजना में म0नं0 LIG-118-1 से होते हुए उत्तर में पार्क तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	8.00	कार्य पूर्ण
	योग :--	**2541.49**	
	वर्ष 2015-16		
1	ओल्ड जी0टी0 रोड पर बालसन चौराहे से धोबीघाट चौराहे तक साइकिल ट्रैक व हरितपट्टी के निर्माण से सम्बन्धित सिविल कार्य।	1030.00	कार्य पूर्ण
2	ममफोर्डगंज में निगम चौराहे से हलवाई चौराहे तक सड़क के दोनों ओर इण्टरलाकिंग का कार्य।	12.00	कार्य पूर्ण
3	बी0के0 बनर्जी मार्ग पर स्थित शगुन निलियम गेस्ट हाउस के बगल पूर्व जिला जज श्री एम0एच0 खान के घर के सामने इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.08	कार्य पूर्ण
4	जगराम चौराहे से लाजपत राय चौराहे तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	14.58	कार्य पूर्ण

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
5	बड़ी बगिया सलोरी में सुलभ शौचालय/होमगार्ड कार्यालय से पश्चिम में आशुतोष पाण्डेय एवं उत्तर में डा0 आर0के0 मौर्या के घर तक सड़क व नाली सुदृढ़ीकरण का कार्य।	8.68	कार्य पूर्ण
6	दारागंज में स्टेशन रोड एवं मीरा गली की सड़कों की साइड पटरी में इण्टरलाकिंग का कार्य।	16.50	कार्य पूर्ण
7	अल्कापुरी में 8/1 से 11/2 तक सड़क पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.18	कार्य पूर्ण
8	काटजू बाग आवास योजना से सलोरी आवास योजना तक सड़क पटरी एवं नाली का निर्माण कार्य।	34.05	कार्य प्रगति पर
9	छोटा बघाड़ा में श्री रवीन्द्र यादव के आवास से ढरहरिया पुलिया होते हुए शंकरजी के मन्दिर तक सड़क की पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	17.89	प्रश्नगत स्थल पर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर लाइन डाली जा रही है, जिसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

10	छोटा बघाड़ा में मुख्य मार्ग से भृगु मार्ग होते हुए धीरेन्द्र एडवोकेट के घर तक सड़क पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	18.29	कार्य पूर्ण
11	श्री रवीन्द्र यादव के आवास के समाने से श्री विवेक यादव के घर होते हुए वार्ड नं0 30 छोटा बघाड़ा में गुलाब पाल के, घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली, फुटपाथ का निर्माण कार्य।	13.53	कार्य पूर्ण
12	राम दयाल नगर कालोनी, अशोक नगर की आन्तरिक सड़क एवं नाली की मरम्मत का कार्य।	16.85	कार्य पूर्ण
13	छोटा बघाड़ा में सोना देवी के मकान से महेन्द्र मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	17.58	प्रश्नगत स्थल पर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर लाइन डाली जा रही है, जिसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
14	बदरी आवास योजना स्थित भवन संख्या EI/173 के बगल गली मरम्मत का कार्य।	4.00	कार्य पूर्ण
15	सरदार पटेल मार्ग सिविल लाइन्स स्थित बसन्त बिहार कालोनी में सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.00	कार्य पूर्ण
16	बसियाबाद करेली में सड़क व नाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	69.80	कार्य पूर्ण
17	ब्लू बेल स्कूल से आई0ओ0सी0 रोड करेली, को जाने वाली सड़क व ड्रेन सुदृढ़ीकरण का कार्य।	69.70	कार्य पूर्ण
18	आई0ओ0सी0 रोड करेली से नूरउल्ला रोड वाया करामत की चौकी इलाहाबाद की सड़क व ड्रेन सुदृढ़ीकरण का कार्य।	98.18	कार्य पूर्ण
19	प्रयागपुरम् प्रयाग स्ट्रीट रोड की आन्तरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.00	कार्य पूर्ण

20	वोट क्लब, इलाहाबाद में बाउण्ड्रीवाल के सुदृढ़ीकरण व ग्रिल लगाने का कार्य। (पार्ट-ए)	9.75	कार्य पूर्ण
21	वोट क्लब, इलाहाबाद में पहुंच मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य। (पार्ट-बी)	9.13	कार्य पूर्ण
22	वोट क्लब, इलाहाबाद में बाउण्ड्रीवाल के सुदृढ़ीकरण व ग्रिल लगाने का कार्य। (पार्ट-सी)	7.55	कार्य पूर्ण
23	वोट क्लब, इलाहाबाद में रंगाई पुताई का कार्य।	1.25	कार्य पूर्ण
24	वोट क्लब में दो टायलेट के निर्माण कार्य।	2.10	कार्य पूर्ण
25	वोट क्लब आन्तरिक परिसर में पाथवे सुदृढ़ीकरण व रेलिंग का कार्य।	14.81	कार्य पूर्ण
26	त्रिवेणी दर्शन से वोट क्लब परिसर तक बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	23.16	कार्य पूर्ण
27	अलोपी बाग फ्लाई ओवर के नीचे इण्टरलाकिंग कार्य।	4.05	नगर निगम द्वारा कराये जाने के कारण कार्य निरस्त

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
28	सोमेश्वर महादेव मन्दिर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	35.64	कार्य प्रगति पर
29	बी0के0 बनर्जी मार्ग पर मा0 न्यायमूर्ति श्री सुमीत कुमार जी के सुरक्षा दस्ते से स्टेनली रोड तक सड़क की बायीं पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.88	कार्य पूर्ण
30	लल्ला चुंगी (वीमेन हास्टल) के समीप प्लाटर निर्माण व औद्यानिक कार्य।	4.00	कार्य प्रगति पर
31	स्टैनली रोड पर मा0 उच्च न्यायालय के गेस्ट हाउस की ओर जाने वाली सड़क के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	21.34	कार्य पूर्ण
32	शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण चौराहे/तिराहों व डिवाइडर की मरम्मत, रंगाई पुताई, अनुरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	10.30	कार्य पूर्ण

33	मा0 उच्च न्यायालय के गेट नं0-3 (न्याय मार्ग की ओर) के सम्मुख रोटरी का निर्माण कार्य।	15.00	लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के कारण कार्य निरस्त
34	के0पी0यू0सी0 हास्टल के समीप स्थित तिकोने पार्क का जीर्णोद्धार का कार्य।	7.00	कार्य पूर्ण
35	श्री शमसुद्दीन 17आर/15एन इस्लाम नगर करामत की चौकी से श्री अली अशरफ के मकान सं0 28एम/20/1 तक सड़क पर इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	20. 15	कार्य पूर्ण
36	दरभंगा कालोनी में पेवर ब्लाक एवं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य।	12.13	कार्य पूर्ण
37	बेली गांव में श्री विनोद यादव से उत्तर श्री जियाउद्दीन तक तथा यहां से पश्चिम श्री संजय शुक्ल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	12.84	कार्य पूर्ण
38	दारागंज आबादी से नागवासुकी मन्दिर तक सड़क व नाली सुदृढ़ीकरण एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	20.51	कार्य प्रगति पर

<u>इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	अभ्युक्ति
39	दारागंज शमशान से आबादी तक सड़क व नाली सुदृढ़ीकरण एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	17.47	कार्य पूर्ण
40	बहादुरगंज में सुलाकी चौराहा से राम भवन होते हुए कोठा पार्चा डाट पुल तक सड़क के दोनों तरफ नाली पर पटरी का निर्माण कार्य।	20.89	कार्य प्रगति पर
41	गंगागंज में नुरूल्ला रोड से एस0के0 श्रीवास्तव तथा संजय कुमार से फैजल के घर तक हाटमिक्स प्लाण्ट तक इण्टरलाकिंग, सड़क पटरी का कार्य।	14.00	कार्य पूर्ण
42	जार्ज टाउन आर0एन0 बनर्जी मार्ग पर श्री राधेश्याम रस्तोगी से श्री मुन्नी लाल यादव, माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय श्री वी0एन0 खरे व माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय निवास से सी0सी0/इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक/बिटुमिन सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	19.93	कार्य प्रगति पर
	योग :--	**1764.89**	

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ-36 पर)

ग्रामीण इलाकों में खराब विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिये योजनाओं का विवरण

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना)-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण (11वीं योजना) के अन्तर्गत प्रदेश के 22 जनपदों में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों हेतु रु0 4621 करोड़ की लागत से 630 अविद्युतीकृत ग्राम व 32031 अविद्युतीकृत मजरों के सघन विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, जो वर्ष 2016-17 में पूर्ण होना सम्भावित है। माह-जुलाई, 2016 तक 630 ग्राम एवं 23313 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना)-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत 64 जनपदों के 100 से अधिक आबादी वाले 1,40,651 मजरों के सघन विद्युतीकरण के कार्य हेतु रु0 7282 करोड़ की योजना चल रही है। कार्य प्रगति पर है। माह जुलाई, 2016 तक 868 ग्राम एवं 47,757 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत पोषकों के पृथकीकरण का कार्य-

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, कृषि पोषकों को अलग करने हेतु फीडर सेपरेशन, मोटरिंग, प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं 91 सांसद आदर्श ग्राम योजना हेतु आर0ई0सी0 द्वारा रु0 6946.91 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है जिसमें प्रदेश के 38 जिलों में रु0 3257.70 करोड़ की लागत से पोषकों के पृथकीकरण का कार्य कराया जाना है। कार्य हेतु 37 जिलों के लिए कार्यादेश (एल0ओ0आई0) निर्गत हो गया है।

(घ) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना वर्ष 2012-13 का कार्य नवम्बर, 2015 में पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2013-14 का कार्य माह मई, 2016 में पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2014-15 में चयनित 2094 ग्राम में से 46 ग्राम पूर्व से संतृप्त हैं। माह जुलाई, 2016 तक 1988 ग्राम/2484 बसावटी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष 60 ग्रामों/674 बसावटी का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2015-16 में चयनित 2100 ग्राम में से 57 ग्राम पूर्व से संतृप्त हैं। माह जुलाई, 2016 तक 1734 ग्राम/2464 बसावटों का पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष 309 ग्रामों/972 बसावटों का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2016-17 में चयनित 2019 ग्रामों/बसावटों में से माह जुलाई, 2016 तक 207 ग्राम/274 बसावटों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष 1812 ग्रामों/3826 बसावटों का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) उ0प्र0 के तहसील/नगरों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण-

उ0प्र0 के तहसील/नगरों में स्वतंत्र एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु 201 तहसीलों में नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तथा तत्सबन्धित 33/11 के0वी0 पोषकों का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर कुल व्यय रु0 802 करोड़ अनुमानित है।

प्रस्तावित 201 नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों में 32 नग दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, 34 नग पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0-मेरठ, 69 नग पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0-वाराणसी एवं 66 नग मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0-लखनऊ में निर्माण कराया जाना था।

पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0-मेरठ में 33, दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, आगरा में 32, मध्यांचल वि0वि0नि0नि0-लखनऊ में 65 एवं पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0-वाराणसी में 58 नग उपकेन्द्र ऊर्जीकृत कर दिये गये हैं। इस प्रकार कुल 188 नग उपकेन्द्र ऊर्जीकृत कर दिये गये हैं तथा शेष भाग का कार्यों के शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

(घ) निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य योजना के अन्तर्गत 34,515 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण संभावित है। माह जुलाई, 2016 तक 10,355 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत जनपद-झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा एवं चित्रकूट में रु0 99.97 करोड़ से 600 मीटर की औसत दूरी वाले 7292 नलकूपों का ऊर्जीकरण माह मार्च, 2016 में पूर्ण किया जा चुका है।

(छ) विद्युत वितरण निगमों में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 72 घण्टों के भीतर बदले जाने की कार्य योजना-

शासन की प्राथमिकता के अनुसार किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को अच्छी विद्युत आपूर्ति हेतु 72 घण्टे की समयसीमा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त परिवर्तन बदले जा रहे हैं। इस हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :--

ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने हेतु अलग से स्टाफ एवं वाहन की व्यवस्था तथा प्रत्येक स्टोर में विभिन्न क्षमता के पर्याप्त परिवर्तक स्टाक में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वितरण कम्पनियों में कॉल सेन्टर की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए विभागीय कार्यशालाओं की क्षमतावृद्धि एवं नई कार्यशालाओं की स्थापना की गई।

वितरण परिवर्तकों का तत्परता से प्रतिस्थापन करने हेतु मा0 जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक जनपदों में परिवर्तकों के प्रतिस्थापन हेतु लगाये गये वाहनों के अनुबंध एवं रजिस्ट्रेशन का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद/क्षेत्र में स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं0 भी उपलब्ध कराया गया है।

(ज) विजन 2016 : बेहतर विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना-

वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में 22-24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु 556 नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों, उससे सम्बन्धित 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 लाईन, 11/0.4 के0वी0 नये उपकेन्द्र का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जाना है। कालान्तर में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्येति योजना तथा आई0पी0डी0एस0 योजना लागू होने के कारण विजन-2016 के अन्तर्गत 329 नग उपकेन्द्र व उनसे सम्बन्धित 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाईन व 11/0.4 के0वी0 नये उपकेन्द्र का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जाना है। इनमें से 31-07-2016 तक 148 नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घण्टे, तहसील स्तरीय क्षेत्रों को 16 घण्टे, जनपद व समकक्ष स्तरीय क्षेत्रों को 20 घण्टे, मण्डल स्तरीय क्षेत्रों को 22 घण्टे, महानगर स्तरीय क्षेत्रों को 22 घण्टे, बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे एवं औद्योगिक क्षेत्र तथा ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र को 24 घण्टे, कवाल नगर, गाजियाबाद एवं नोयडा को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(झ) 24x7 पावर फार आल-

24x7 पावर फार आल केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारों की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2019 तक सभी घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक व्यवसायों, सार्वजनिक आवश्यकताओं, किसी अन्य विद्युत उपभोग करने वाली इकाई को 24 घण्टे तथा कृषि क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना है।

इस उद्देश्य की रिपोर्ट तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मै0 क्रिसिल को सलाहकार नियुक्त किया गया है। मै0 क्रिसिल द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट से डिस्काम के 'रोल आउट प्लान' देने में विफल होने के कारण नये सलाहकार की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 235 विधान सभा (381) 09-01-2017-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।